


“उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान :
जौनपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में”



वाणिज्य में
डी० फिल० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ

द्वारा
विनोद कुमार पाण्डेय
शोध छात्र

निर्देशक
डॉ० प्रदीप जैन
उपाचार्य

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
2001

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	i - iv
अध्याय 1 : प्रस्तावना	1-15
अध्याय 2 : उत्तर प्रदेश का परिदृश्य	16-45
अध्याय 3 : भारत में बैंकिंग	46-66
अध्याय 4 : ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत	67-98
अध्याय 5 : भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	99-127
अध्याय 6 : उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	128-146
अध्याय 7 : जनपद जौनपुर का परिदृश्य	147-171
अध्याय 8 : जनपद—जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान	172-198
अध्याय 9 : निष्कर्ष एवं सुझाव	199-209
: सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	i-ix
: प्रश्नावली	x-xv

प्राक्कथन

इस परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन तो अवश्यभावी प्रक्रिया है जो निरन्तर होती रहती है, परन्तु परिवर्तन की गति भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह इतनी तीव्र गति से होती है कि समय की सीमाओं को लांघ जाती है, तो कहीं इतनी धीमी गति से होती है कि लगता है कि वक्त ही ठहर सा गया हो।

बैंकिंग व्यवस्था भी इसी प्रकार इतनी तीव्र गति से बदल रही है कि बैंकिंग का स्वरूप ही परिवर्तित होता जा रहा है। परन्तु बैंकिंग के क्षेत्र में ग्रामीण बैंकिंग की गति को वह दिशा व गति नहीं मिल पाई है जिसकी ग्रामीण क्षेत्र को आवश्यकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण विकास में निःसन्देह उल्लेखनीय कार्य किया है परन्तु कृषि पर बढ़ते दबाव के प्रति हमें समय रहते ही सचेत होना होगा। कृषकों को उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने, मजदूरी और लगान का भुगतान करने, भूमि में आधारिक सुधार करने, पुराने ऋणों को समाप्त करने आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोत ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि वित्त की समुचित व्यवस्था कर दी जाय तो ग्रामीण क्षेत्र तीव्र गति से विकसित हो सकेंगे और देश के आर्थिक विकास में सहायक होंगे।

सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि निचले स्तर से विकास योजनाएँ बनायी जाये। इस शोध कार्य का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के योगदान का अध्ययन करना और ऐसे प्रभावशाली सुझाव देना है, जिससे यह ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में पूर्ण योगदान देकर विकास के लक्ष्य को पूरा करा दे।

इस शोध ग्रन्थ को नौ अध्यायों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अध्याय में गहन एवं आलोचनात्मक अध्ययन करके ऐसे प्रभावशाली तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की दोषपूर्ण वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इसका प्रथम अध्याय प्रस्तावना है। इस अध्याय में विकास का अर्थ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक परिवर्तन तथा भारत में बैंकिंग विकास और परिकल्पना तथा शोध विधि, अध्ययन क्षेत्र एवं शोध की सीमाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

दूसरा अध्याय उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है। इस अध्याय में उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य का परिचय कराया गया है। तृतीय अध्याय में भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है तथा अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चतुर्थ अध्याय ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत का है जिसके अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि वित्तीय आवश्यकता एवं प्रकार तथा कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों का वर्णन किया गया है। पंचम अध्याय भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उद्देश्य तथा कार्य, जमाओं तथा अग्रिमों का विस्तृत अवलोकन किया गया है।

षष्ठम अध्याय उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित है। इसमें उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उद्देश्य, कार्य, जमाओं तथा अग्रिमों का वर्णन किया गया है। सप्तम अध्याय जनपद—जौनपुर का परिदृश्य है। इसके अन्तर्गत जनपद की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समीक्षा को मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया है तथा जनपद से सम्बन्धित जनसंख्या, रोजगार एवं वित्तीय आंकड़ों को

अष्टम् अध्याय जनपद जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान से सम्बन्धित है जो इस शोध अध्ययन का मूल बिन्दु है। इस अध्याय में गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद जौनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु उपलब्ध कराये गये वित्त का विस्तृत वर्णन किया गया है। अन्तिम अध्याय में निष्कर्ष एवं सुझाव जो गहन सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञात हुए हैं को प्रस्तुत किया गया है।

मैं सर्वप्रथम अपने **शोध निर्देशक मृदुभाषी डॉ. प्रदीप जैन उपाचार्य वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद** के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिनके अमूल्य निर्देशन, दुर्लभ स्नेहशीलता, सहयोग एवं प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही मैं अपने इस कार्य को पूर्ण कर सका।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रो. पी.सी. शर्मा का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने विषम परिस्थितियों में मार्गदर्शन करते हुए शोधकार्य शीघ्र सम्पन्न करने हेतु मेरा अदम्ब उत्साह वर्द्धन किया।

मैं डा. जगदीश नारायण मिश्रा उपाचार्य वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने सदैव अपने आशीर्षकों से अभिसिंचित कर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

मैं आदरणीय प्रो. एस.पी. सिंह, प्रो. के.एम. शर्मा, प्रो. रमेन्दु राय, प्रो. एस.ए. अन्सारी, डा. एस.एम.जेड. खुर्शीद एवं अन्य समस्त गुरुजनों का आभारी हूँ जिन्होंने समय समय पर आवश्यकतानुसार मुझे सहयोग प्रदान किया।

मैं श्री सी.बी. मिश्रा शाखा प्रबन्धक गोमती ग्रामीण बैंक मड़ियाहूँ का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिनसे मुझे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के योगदान से सम्बन्धित विषय पर शोध कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं बैंक के अध्यक्ष तथा अन्य शाखा प्रबन्धकों एवं अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने विभिन्न प्रकार से मुझे सहयोग प्रदान किया है।

मैं अपने शोध सहपाठी डा. श्याम कृष्ण पाण्डेय एवं राजेन्द्र कुमार मिश्र का भी आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य के सन्दर्भ में मुझे अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान कर सहायता की है।

मैं अपने पूज्यनीय माता एवं पिता जी के श्री चरणों में अपना कोटिशः प्रणाम अर्पित करता हूँ जिनके आशीर्वचन से मैं यह कार्य पूर्ण कर सका।

अन्त में मैं आइडियल कम्प्यूटर प्वाइंट के विशाल वाजपेयी, बिशेशवर श्रीवास्तव एवं रूपेश वर्मा को शोध ग्रन्थ को इतने सुन्दर ढंग से व समय पर मुद्रित करने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग से ही मैं इसे समय पर प्रस्तुत कर सका।

०५-०२-२०२१

Vinod Kumar Pandey

(विनोद कुमार पाण्डेय)

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अध्याय - 1

प्रस्तावना
अध्ययन क्षेत्र
परिकल्पना
शोध विधि एवं सीमाएँ

प्रस्तावना

विकास का अर्थ

विकास लुभावना और आकर्षक शब्द है जो सुखद अनुभूति का बोध कराता है। विकास की प्रक्रिया अनवरत है जहाँ विकास क्रम की गति अवरुद्ध भी होती है जो प्रभाव की स्थिति का परिचायक है। विकास केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता। विकास की गति व प्रभाव को विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं व परिवर्तन जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक घटक समग्र रूप में निर्धारित करते हैं। लेकिन सभी घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक आर्थिक होता है। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद हर क्षेत्र में परिवर्तन होने लगता है। उनको केवल सही मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है। अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय समाज में नवचेतना आयी तथा व्यक्तियों में जो समर्पण भाव था वह आजादी के बाद आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं में बदल गया। सभी व्यक्तियों ने अपने सपनों को साकार करने का अवसर व साधन चाहा। केवल जागरुक और शिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि अनपढ़ ग्रामीण वर्ग भी आजादी से उत्पन्न लाभों के लिए लालायित था तथा रुढ़िवादी जंजीरों में जकड़े, सामन्ती अर्थव्यवस्था से पीड़ित ग्रामीणों ने भी विकास की किरणों आजादी के रूप में देखी। राष्ट्र निर्माताओं ने योजनाबद्ध विकास की नयी नीति पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में उनके कार्यान्वयन का वीणा उठाया और यह विकास क्रम निरन्तर आगे बढ़ता रहा। विकास का लाभ किसे अधिक मिला और किसे कम यह विवाद का विषय है। किन्तु यह

निश्चित रूप से सत्य है कि विकास का क्रम निरन्तर आगे बढ़ता रहा है। इसके साक्षी चतुर्दिक विकास के परिणाम हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में लक्षित हो रहे हैं। इन परिवर्तनों की चर्चा ग्राम विकास के परिप्रेक्ष्य में हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं :

आर्थिक परिवर्तन

आजादी के बाद 50 वर्षों में ग्रामीण जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन हर क्षेत्र आवास, खान-पान, वेषभूषा और रहन-सहन के स्तर में हुए हैं। गुड़ और नमक मिर्चा से रोटी खाने वाला आम ग्रामीण अब डबल रोटी व चाय अपना सका है। नीम की दातुन की जगह टूथ पेस्ट एवं ब्रश का प्रयोग करने लगा है। आज पीतल, कौंसे या एल्युमिनियम के बर्तन के स्थान पर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट का प्रयोग गाँवों में अवश्य ही मिल जायेगा। आजकल गाँव में भी डायनिंग टेबल, कुर्सी, सोफा, और टी. वी. फ्रीज आदि होना आम बात हो गयी है। गाँवों में भी छप्पर झोपड़ी के स्थान पर पक्के मकान तथा मोटर साइकिल, जीपे आदि दैनिक जीवन के अंग बन गये हैं। वस्त्रों में भी परिवर्तन आ गया है। पैंट-शर्ट, टाई-शूट, बूट, टी-शर्ट, सलवार-कमीज, मिडी टाप, लहंगा, चुनरी आदि रंग विरंगे प्रचलित हो गयी हैं। सौन्दर्य प्रसाधन भी गाँवों से दूर नहीं है। क्रीम, पावडर, कंघे, विन्दि गाँवों की महिलाओं तक पहुँच गयी है। गैस चुल्हा, जूता, सिगरेट, पान-पराग आदि असानी से उपलब्ध हैं। गाँवों में लगने वाले मेलों में अब परम्परागत बिसाती के समान की बिक्री नहीं होती। तड़क-भड़क की हर चीज वहाँ सहज उपलब्ध हो जाती है क्योंकि वहाँ उसका बाजार बन चुका है और खरीददार उपलब्ध हैं।

सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन

किसी भी सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। लोग किसी भी नवीन परिवर्तन को असानी से स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कतिपय परिवर्तन ऐसे होते हैं जो मूल मान्यताओं के साथ ही क्रमिक रूप से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित संयुक्त परिवार प्रथा अब क्षीण होने लगी है। नये वस्त्र विन्यास के प्रचलन के साथ ही पर्दा प्रथा लुप्त होती जा रही है। सह-शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप महिला व पुरुष वर्ग में विचार-चेतना का स्तर बदल रहा है। वैवाहिक व अन्य समारोह में फिजुल खर्चों और दिखावे के स्थान पर सरल आयोजनों का प्रारम्भ भी हुआ है। समूह चिंतन के स्थान पर व्यक्तिगत चिंतन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है। नैतिक मूल्यों में ह्रास और बढ़ती हुई उच्छ्वल प्रवृत्ति की भी शिकायत कम नहीं है। मिल बैठकर सुलझा लिये जाने वाले विवाद भी अब कोर्ट कचेहरियों में ज्यादा जाने लगे हैं। सांस्कृतिक मान्यताओं में भी बदलाव आया है। अब रेडियों और दूरदर्शन के विस्तार ने सभी मान्यताओं में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन आने लगा है। क्लब, जलपानगृह और सिनेमा जैसी जगहों पर छुआछूत का भेद नहीं रखा जा सकता है, अतः यह बदलाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है चाहे परिस्थितिक मजबूरियों के कारण ऐसा हो रहा है। विवाह व अन्य मांगलिक समारोहों में परम्परागत लोक गीतों और नृत्यों के स्थान पर फिल्मी संस्कृति से प्रेरित नाच गाने और डिस्को लोकप्रिय होते जा रहे हैं। यात्रा की वृत्ति में भी वृद्धि हो रही है।

परिवर्तन की दशा समान नहीं, यह विसंगतिपूर्ण है किन्तु परिवर्तन तो है ही। सदियों की जड़ता के टूटने का चिह्न तो दृष्टिगोचर हो ही रहा है। एक नयी सांस्कृतिक क्रान्ति का विचार-बोध मूर्त रूप लेता जा रहा है। कम्प्यूटर क्रान्ति और 21वीं सदी के सूर्योदय ने स्वर्णिम भविष्य के सपनों

शैक्षणिक परिवर्तन

शिक्षा की उपयोगिता और उससे जुड़े इतर प्रश्नों को यदि छोड़ दिया जाय तो शिक्षा का प्रसार सभी क्षेत्रों में हुआ है। जैसा कि निम्नलिखित आकड़ों से विदित होता है :

तलिका 1.1

देश में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति/प्रगति

शिक्षा संस्था	1951	1961	1971	1981	1991
1. प्राथमिक विद्यालय	209671	330399	408378	494503	558392
2. उच्च प्राथमिक	13596	49663	90621	118335	146636
3. माध्यमिक विद्यालय	7416	17329	37051	51624	78619
4. महाविद्यालय	370	967	2285	3421	4862
5. व्यवसायिक शिक्षण संस्था	208	852	992	1156	886
6. विश्वविद्यालय	27	45	82	110	146,
7. चिकित्सा महाविद्यालय	28	60	98	106	128
8. डॉक्टरों की संख्या	61840	83756	151129	267812	399068

स्रोत - विकास मान बैंकिंग और ग्रामीण विकास श्याम लाल गौड़ पेज नं. 3

उपर्युक्त आकड़ों से शैक्षणिक परिवर्तन का ज्ञान होता है। उच्च तकनीकी क्षेत्र में भारत विश्व के गिने चुने कुछ देशों में होने का गौरव रखता है। शिक्षा के विकास से जहाँ पर चारों तरफ परिवर्तन हुआ है वही पर शिक्षित बेरोजगारी ने इस वर्ग को कुन्टाए दी है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन की गति भी बढ़ी है। किन्तु एक जागरुक नागरिक का हक भी शिक्षा ने आम आदमी को दिलाया है।

राजनैतिक परिवर्तन

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय जनमानस में न केवल राजनैतिक जागरूकता आयी है बल्कि भारतीय जन-मानस ने चुनावों के समय अपने परिपक्व राजनैतिक दर्शन का भी परिचय दिया है। संकट की घड़ी में अभूतपूर्व एकता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा वंदनीय गुण हैं जो समय-समय पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में उजागर हुआ है। क्षेत्रवाद जातिवाद और प्रदेशवाद जैसी संकीर्ण विचार-धारा के रहते हुए भी आदमी में सोच की नयी पद्धति विकसित हुई है जो भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है।

इधर कुछ दिनों से देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं और पनपते आतंकवाद ने राजनैतिक नेतृत्व के सामने नये-नये प्रश्न चिन्ह उपस्थित किये हैं। ऐसी घटनाएँ किसी भी राष्ट्र की जीवन धारा में यदि निरन्तर पनपती रही तो विघटनकारी तत्वों को सिर उठाने का मौका मिलेगा और देश विकास के मार्ग से हटकर गृहकलह जैसी घातक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होने लगेगा राजनैतिक नेतृत्व के सामने इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने जैसा चुनौतीपूर्ण दायित्व भी समय प्रवाह ने डाल दिया है। वास्तव में हर परिवर्तन के मूल में आर्थिक विकास होता है अतः उक्त सभी परिवर्तनों में आर्थिक विकास की कहानी सन्निहित है। यह आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में हुआ है। उद्योग, व्यापार, कृषि, खनिज दोहन, सैन्य, संयोजन, यातायात जल साधन जैसे सभी क्षेत्र जो अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, विकास गंगा से लाभान्वित हुए हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास का प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण विकास हमारे अध्ययन का मूल विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तुतः गाँवों की समृद्धि पर ही आधारित रही है और इस स्थिति में विशेष परिवर्तन आया भी नहीं है। ग्रामीण विकास से एक सहज अभिप्राय जो लगाया जाता है वह है कृषि का विकास। ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों की प्रगति का विस्तृत वर्णन अन्य अध्यायों में किया गया है।

ग्रामीण विकास समग्र विकास की प्रक्रिया का ही एक अंग है, इसे एकाकी अथवा एंकागी रूप में नहीं देखा जा सकता। जैसा कि सर्वविदित है "विकास का आधार है साधन—आर्थिक संसाधन।" ये आर्थिक संसाधन विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध है किन्तु वर्तमान संदर्भों में बैंक संस्थागत वित्त विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन और संस्थागत वित्त की मुख्य इकाई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ग्रामीण विकास में क्या योगदान रहा है इसी के क्रमिक विकास व योगदान का अध्ययन इस शोध का मुख्य विषय है।

भारत में विकासमान बैंकिंग

विश्व प्रतिमानों के अनुसार यह एक धारणा ही बन गयी है कि औद्योगिक विकास से जुड़े हुए बैंकर्स या जो शिखर स्तर पर पुनर्वित्त प्रदान करते हों वे ही विकासमान बैंकर की श्रेणी में आते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये बड़े—बड़े संस्थागत वित्तीय संगठन तो विकासमान बैंकर की श्रेणी में आ ही जायेंगे लेकिन व्यावसायिक बैंक या ग्रामीण बैंक भी विकासमान बैंकर के रूप में देखे जा सकते हैं। भारतीय संदर्भ में तो सचमुच ही व्यावसायिक बैंकों की छोटी—छोटी शाखाएं विकासमान बैंकर की भूमिका बहुत सफलतापूर्वक अदा कर रही हैं। ग्रामीण बैंक तो सच्चे अर्थों में विकास मान बैंकर हैं। भारत में ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व केन्द्रीय बैंक के पास प्रारम्भ से ही रहा है। जो किसी भी राष्ट्र के मुकाबले विशिष्ट पहचान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पितृ संगठन के रूप में अनेक नई व महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की रचना की हैं वे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के ही अन्तर्गत थीं। भारतीय आद्यौगिक विकास बैंक, भारतीय लघु—उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीय आवास बैंक, आयात निर्यात बैंक ऐसी ही कुछ प्रमुख विकासमान बैंकिंग संस्थाओं के नाम हैं जिनका जनक भारतीय रिजर्व बैंक ही रहा है और ये सब आज विकासमान बैंकिंग के रूप में स्थापित एवं प्रमुख वित्तीय संस्थायें हैं।

हमारे शोध का मूल विषय ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका है। अतः इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित समस्त बातों का अध्ययन करके विस्तार पूर्वक विवेचना की गयी है।

भारत में बैंकिंग विकास का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। सन् 1935 में भारत में बैंकों की शाखाओं की संख्या 946 थी, जिसमें से 160 शाखाएं इम्पीरियल बैंक की तथा शेष अन्य बैंकों की थी। उस समय लगभग प्रति तीन लाख की जनसंख्या के लिए एक बैंक कार्यालय था जो कि पर्याप्त नहीं था। उस समय देशी बैंक और महाजन ही बैंकिंग का प्रमुख कार्य करते थे। जमा राशियाँ प्राप्त करना, हुंडियों को भुनाना, वित्त प्रदान करना तथा प्रेषणों के क्रय और विक्रय के माध्यम से सामान्य बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना था। देशी बैंकरो के अग्रिम, जमानत के आधार पर होते थे तथा ब्याज दरे उच्चतर होती थी। महाजन आमतौर पर जमा राशियाँ प्राप्त नहीं करते थे और मुख्य रूप से अनुत्पादक व्यय के लिए वित्त प्रदान करते थे। सामान्यतः बैंकिंग सेवाएँ देश के किसी भी भाग में पर्याप्त नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बना। हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी कि मुद्रा और ऋण के नियन्त्रण के लिए कार्यों का द्वि भागीकरण और उत्तरदायित्व का विभाजन समाप्त होना चाहिए।¹ चौथे दशक के अंतिम वर्षों में रिजर्व बैंक ने कुछ मुख्य कार्य हाथ में लिए जिनमें से एक था उत्कृष्ट और पर्याप्त एवं ऋण विन्यास को आधुनिक ढंग से निर्मित करना। इस प्रयोजन से बैंकों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम 1949 (1965 में जिसका नाम बैंकिंग विनियम अधिनियम के रूप में हुआ) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को व्यापक अधिकार सौंपे गये। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान, बैंकों द्वारा न्यूनतम सांविधिक चल निधि और न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि रखने, बैंकिंग कम्पनियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण तथा अंतिम लेखा प्रस्तुत करने से संबन्धित है। इस अधिनियम में 1949 और

1965 के बीच किये गये मुख्य संशोधन, समापन प्रक्रिया, भारतीय बैंकों के कार्यालय विदेशो मे खोलने तथा नीति संबन्धी मामलो के बारे मे बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को देने से संबन्धित है जो बैंकिंग कारोबार को गैर बैंकिंग कारोबार से मिलाने पर निषेध का पालन नही कर सके, अथवा गैर अनुसूचित व्यवसायिक बैंक न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओ से सम्बन्धित मानदंडो के अनुरूप खरे नही उतरे, ऐसे बहुत से बैंकों को रिजर्व बैंक ने बंद करवा दिया। अन्य अनेक बैंक मिला दिये गये। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरुप बैंकों की कुल संख्या दिसम्बर 1947 की 640 से घटकर दिसम्बर 1957 मे 389 रह गयी।¹

कृषि वित्त की समस्या वाणिज्य और उद्योग के लिए वित्त की समस्या से भिन्न है। वाणिज्य और उद्योग अपेक्षाकृत संगठित व्यवसाय है और इनकी वित्त की मांग उत्पादक कार्यों के लिए ही होती है। यही कारण है कि इनकी वित्त की मांग को पूरा करने के लिए बहुत पहले ही विभिन्न देशों में बैंकों और आद्योगिक वित्त की विशिष्ट संस्थाओं का विकास हुआ है। कृषि अपेक्षाकृत असंगठित व्यवसाय है। इसकी सफलता या असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर होती है इसके अलावा किसानो द्वारा लिये जाने वाले ऋणो मे स्पष्ट रूप से उत्पादक और अनुत्पादक मे भेद कर पाना आसान नही होता। इसलिए बैंकों ने खेती के लिए या उससे सम्बन्धित दूसरे कार्यों के लिए ऋण देने मे प्रायः दिलचस्पी नही दिखाई और लम्बे अर्से तक किसान ऋण के लिए मुख्य रूप से साहूकार और महाजनो पर निर्भर रहे है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वतन्त्रता के समय भारत एक ऐसे देश की श्रेणी मे था जहाँ पर अंधकार, बीमारी, बेरोजगार एवं आलसी लोग रहते थे। यहाँ के लोगो को अपना जीवन स्तर सुधारने की न उमंग थी न पर्याप्त साधन। भारतीय गाँवों की पहचान थी सूखी नदियों, अधनंगे एव भूखे बच्चे व स्त्रियों, उजड़े खेत आदि। आजादी के बाद भारत की प्रमुख समस्या

अपने करोड़ों निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था। सन 1957 में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आर्यंगर ने कहा था कि, "पिछले चालीस वर्ष की अवधि के दौरान गरीबी अपने उच्च शिखर पर बनी रही और लोग उन्हीं आदि कालीन दशाओं में बने रहे जिनमें उनके पूर्वज रहते थे।"

यही तथ्य भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों गाँवों के बारे में भी सत्य है। इस देश में हाल ही में विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इस गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति को दूर करने के लिए योजनाबद्ध विकास के मार्ग को अपनाया गया है ताकि कृषि, उद्योग व यातायात आदि सभी क्षेत्रों में विकास हो सके।

भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में रहती है अतः ग्रामीण विकास में ग्रामीण साख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्भवतः इसी कारण से रिजर्व बैंक ने आरम्भ से ही "कृषि साख विभाग" की स्थापना कर दी थी इस विभाग को निम्न कार्य सौंपे गये थे :

1. कृषि संगठन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित कराना।
2. ग्रामीण, ऋणग्रस्तता, ग्रामीण वित्त, सहकारिता आदि से सम्बन्धित कानूनों का अध्ययन करना तथा उन पर अपना मत प्रकाशित करना।
3. कृषि साख की समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों का दल रखना जो आवश्यकता के समय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सहकारी संस्थाओं को परामर्श दे सके।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सन 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण हेतु एक गोरवाला समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1954 में प्रस्तुत की और सुझाव दिया कि देश में ग्रामीण साख की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना

होनी चाहिए जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाकर देहातो में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करे और कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में सस्ती साख सुलभ करे।

गोरवाला समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने तत्कालीन इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया को ही स्टेट बैंक में परिणत कर दिया। सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास किया गया और 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक की भारत स्थित समस्त सम्पत्ति और दायित्व स्टेट बैंक को सौंप दिये गये।

ग्रामीण साख में व्यापारिक बैंकों की अत्यन्त सीमित भूमिका के कारण सरकार ने जुलाई 1969 में 14 प्रमुख बैंकों तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने ग्रामीण साख में अपने योगदान में काफी वृद्धि की तथा अपनी शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार किया। उदाहरण के लिए राष्ट्रीयकरण से ठीक पहले (अर्थात् जून 1969 में) भारत में व्यापारिक बैंकों की कुल 8262 शाखाएँ थी जिनमें से केवल 1832 (अर्थात् 22.2 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थी। मार्च 2000 में कुल शाखाओं की संख्या 64000 तक पहुँच चुकी थी जिसमें से 14454 (22.6 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थी। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी उनकी निम्नलिखित नीतियों के आधार पर आलोचना की जाती है :

1. कर्मचारी ग्रामीण शाखाओं में अनिच्छा से कार्य करते हैं।
2. अत्यधिक ग्रामीण शाखाएँ खोले जाने से बैंकों के प्रशासनिक खर्च बढ़े तथा बैंकों के साख में भी कमी हुई है।
3. बैंकों के ऋण कार्यक्रमों में लाभ अधिकतर बड़े व मध्यम श्रेणी के किसानों को ही प्राप्त हुआ है।

4. बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का संकेन्द्रण भी कुछ राज्यों में ही है।
5. ऋणों की वसूली की स्थिति अच्छी नहीं है। लगभग आधा ऋण ही वापस लौटता है जिससे कृषि को ऋण देने वाली संस्थाओं का अस्तित्व ही खतरे में आने की आशंका है।
6. अनेक ग्रामीण शाखाएँ साख विकास के कार्यक्रमों को बनाने व उन्हें लागू करने में असफल रही हैं।
7. व्यापारिक बैंकों ने भी अपनी ऋण सेवाओं का विस्तार अधिकतर उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में किया है जिनमें पहले से ही सहकारी समितियाँ कार्यरत थीं इस प्रकार भौगोलिक रिक्तता को पूरा कर सकने में व्यापारिक बैंक असफल रहे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने प्रत्येक 17000 की आबादी पर एक बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय लिया जो स्थानीय लोगों को साख एवं ऋण सुविधा प्रदान कर सके। जिनसे लोगों की आय में वृद्धि हो एवं उनका आर्थिक स्तर ऊँचा हो सके। किन्तु बैंकों ने सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में अपनी शाखा खोलने में असमर्थता प्रदर्शित की क्योंकि उनकी शाखाएँ खोलने की लागत अधिक थी एवं कर्मचारी भी सूदूर क्षेत्र में काम करने के अभ्यस्त नहीं थे।

सन 1975 में भारत में आपात स्थिति की घोषणा के बाद बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विचार सरकार के समक्ष आया और तत्कालीन सरकार ने कम लागत अवधारणा के आधार पर बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय किया जिसमें यह परिकल्पना की गयी थी कि निश्चित क्षेत्रों में खुलने वाली शाखाएँ केवल ऋण वितरण का कार्य करेगी। इसी सन्दर्भ में भारत सरकार ने 26 सितम्बर

1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमकर्ताओं को उधार तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित कर सकें।

आरम्भ में 2 अक्टूबर 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। पश्चिम बंगाल में माल्दा, राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में शिवानी एवं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर में। ये बैंक क्रमशः यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चालू किये गये। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी एक करोड़ रुपये और निर्गमित एवं चुकता पूँजी 25 लाख रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंशपूँजी में योगदान संचालित व्यवसायिक बैंक द्वारा 35 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत योगदान दिया जाता है। यद्यपि मूल रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित व्यवसायिक बैंक ही हैं किन्तु वे कुछ पहलुओं में इनसे भिन्न हैं:

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे तथा सीमान्त किसानों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि मजदूरों और निर्धन आर्थिक दृष्टि से कमजोर ग्रामीणों को ही उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम देते हैं।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण की दरें किसी राज्य में सहकारी समितियों की ऋण दरों से तुलनीय हैं।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलों के निर्धारित इलाकों तक सीमित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2000 तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा उनकी कुल 14517 शाखाएँ एवं आच्छादित जिलों की संख्या 443 थी। क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने कुल ऋणों का 90 प्रतिशत कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराया गया। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता एवं रियायतें देता है। जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली पुनर्विन्त की सुविधा नाबार्ड से प्राप्त होने लगी।

अध्ययन का क्षेत्र

शोध कार्य के अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होने के कारण शोध का कार्य क्षेत्र विशेष रूप से जौनपुर जनपद पर केन्द्रित किया गया है जो कि प्रदेश का एक अत्यन्त अविकसित जनपद है।

जौनपुर जनपद में गोमती ग्रामीण बैंक, जो कि जनपद का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है कि विभिन्न शाखाओं की निक्षेपों एवं अग्रिमों का विकास खण्ड तहसील एवं जिला स्तर पर अध्ययन किया गया है तथा उनका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जौनपुर जनपद में स्थित सहकारी बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों के निक्षेपों तथा अग्रिमों का गोमती ग्रामीण बैंकों से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त गोमती ग्रामीण बैंक का प्रदेश में स्थित अन्य ग्रामीण बैंकों, व्यापारिक बैंकों के समस्त जमा तथा अग्रिमों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

परिकल्पना

इस अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पना का निरूपण किया गया है:

1. ग्रामीण बैंक की स्थापना से पूर्व भारत में विद्यमान ग्रामीण वित्त के स्रोत अपर्याप्त थे।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा साहूकारों, सहकारी बैंकों तथा अन्य व्यापारिक बैंकों की कमियों को दूर किया गया है।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं जहां पहले से कोई बैंक विद्यमान नहीं थे। स्थापना के पश्चात शाखाओं, जमा तथा ऋणों की मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर वृद्धि हुई है।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र के कृषको, कृषि श्रमिकों और अन्य ग्रामीण समुदायों के सहायतार्थ ही स्थापित किये गये थे।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बंचतों को गतिशील बनाने में भी सहायक हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुषप्ता वस्था में पड़ी निष्क्रिय पूँजी को एकत्रित करके उसी ग्रामीण क्षेत्र में विनियोग करके लोगों का विकास करना इन बैंकों के माध्यम से सम्भव हुआ है।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतः रोजगार योजनाओं के अर्न्तगत बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शोध विधि एवं सीमाएँ

शोध विधि

जनपद जौनपुर के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के अध्ययन के लिए मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों शोधार्थी ने व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किये हैं तथा द्वितीयक आँकड़ों जौनपुर जनपद के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (गोमती ग्रामीण बैंक) के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखाओं, बैंकर्स, ग्रामीण विकास संस्था लखनऊ, जिला कार्यालय जौनपुर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कानपुर एवं लखनऊ तथा नाबार्ड में कार्यरत उपयुक्त अधिकारियों से प्राप्त किये गये हैं।

सीमाएँ

वर्तमान अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों का भी प्रयोग किया गया है अतएव द्वितीय आँकड़ों पर आधारित शोध की समस्त सीमाएँ इस शोध ग्रन्थ में भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना होगा कि शोध का कार्य काल साधारणतया जून 2000 तक ही सीमित है तथा जनपद जौनपुर से सम्बंधित आँकड़ों केवल मार्च 2000 तक ही प्राप्त हुए हैं।

अध्याय - 2

उत्तर प्रदेश का परिदृश्य
भौगोलिक परिदृश्य
सामाजिक परिदृश्य
आर्थिक परिदृश्य

भौगोलिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश भारत के सीमान्त प्रदेशों में से एक अति महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई तिब्बत एवं नेपाल की सीमाओं को छूती है। इसके उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में हिमांचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश और पूर्व में बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती हैं।

भौगोलिक दृष्टि से यह 77.5° , $3'$ — $84^{\circ}39'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका पूर्व पश्चिम का विस्तार 650 किमी है। उत्तर से दक्षिण तक यह $23^{\circ}52'$ तथा $31^{\circ}28'$ उत्तरी अक्षांशों के मध्य है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसका प्रसार 240 किमी. है। इसका कुल क्षे.फ. 2,94,411 वर्ग किमी है। जो कि सम्पूर्ण देश के कुछ क्षे.फ. का लगभग 8.9 प्रतिशत है। प्रदेश का 246329 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मैदानी भाग के और 48084 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय भाग के अर्न्तगत आता है। जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्रमशः 83.70 प्रतिशत व 16.30 प्रतिशत है।¹

क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से मध्यप्रदेश, राजस्थान, एवं महाराष्ट्र के बाद, उत्तर प्रदेश राज्य का देश में चौथा स्थान है, किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से (देश की जनसंख्या का 19.44 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यह प्रदेश 83 जिलो, 904 विकास खण्डों और 1,12,804 गांवों के साथ फैला हुआ है।²

स्रोत- 1. उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक, फरवरी 2000 पेज-32

2. वहीं

उत्तर प्रदेश धरातलीय दृष्टि से विभिन्नतायें लिए हुए हैं। यहां पर पर्वत, पहाड़िया, पठार, मैदान आदि सभी प्रकार की भू-दृश्यावलियां होती हैं। राज्य के प्राकृतिक भागों को स्पष्ट रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है।

1. पर्वतीय प्रदेश
2. उप-पर्वतीय प्रदेश
3. गंगा का मैदान
4. दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी भाग

पर्वतीय प्रदेश

इस प्राकृतिक प्रदेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र आता है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा टोंस नदी द्वारा हिमांचल प्रदेश से और पूर्व में काली नदी द्वारा नेपाल से विलग होती है। दक्षिण में उप-पर्वतीय क्षेत्र की हिमाच्छादित शिखरों द्वारा भारत-तिब्बत सीमा बनाती है।

उत्तर के हिमालय सम्भाग में चकराता एवं देहरादून उत्तर काशी, अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल जिलों के कुछ भाग आता है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशों में चौथा स्थान है, व जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा स्थान है।

उप-पर्वतीय प्रदेश

राज्य का उप-पर्वतीय प्रदेश क्रमशः शिवालिक पर्वत श्रेणियों के साथ पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर-पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया जिले तक विस्तृत है। यह क्षेत्र कंकरीली तथा पथरीली मिट्टी द्वारा निर्मित है। इस क्षेत्र में नम एवं दलदली मैदान पाया जाता है जो राज्य के

सहारनपुर, विजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों के उत्तरी भाग में फैला हुआ है।

गंगा का मैदान

उत्तर प्रदेश का बड़ा भू-भाग गंगा के मैदान के अन्तर्गत आता है। इसमें कोई भी स्थान (सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग को छोड़कर जहाँ से शिवालिक पर्वत श्रेणियां शुरू होती हैं) समुद्र की सतह से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं है। यहां की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है।

दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी भाग

दक्षिण के पठारी भाग को बुन्देलखण्ड का पठार कहा जाता है। इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी एवं गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इस क्षेत्र के बहुत कम स्थानों पर पठारों की ऊंचाई 450 मीटर से अधिक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिलों के कुछ स्थानों पर कैमूर एवं सोनपार की पहाड़िया लगभग 600 मीटर तक ऊंची है।

जलवायु

उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबन्धीय एवं मानसूनी है, जहां धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की अलग-अलग ऊंचाइयों के कारण यहां जलवायु में अन्तर पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय भाग बर्फ से ढका रहता है जहां शीतकाल में कड़ाके की ठंड पड़ती है और दिसम्बर से मार्च के बीच हिमपात होता है।

राज्य के दक्षिण भाग की जमीन बंजर और पथरीली होने के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी तथा जाड़ों में अधिक ठंडी पड़ती है। राज्य में मध्य

जून से मध्य सितम्बर तक बंगाल की खाड़ी से आने-वाले मानसून के फलस्वरूप मुख्य रूप से वर्षा होती है। हिमालय सम्भाग में सामान्यतः भारी वर्षा होती है। राज्य के प्रमुख भागों में वर्षा का वार्षिक औसत 94 सेमी. रहता है। नैनीताल, देहरादून एवं गढ़वाल जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा (184.7 सेमी.) होती है तथा मथुरा में सबसे कम (54.4 सेमी) वर्षा होती है।

राज्य के जल संसाधन

राज्य की प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है।

राज्य के विभिन्न नदियों को उद्गम स्थलों के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है।

1. हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां (गंगा, यमुना, काली, शारदा एवं गण्डक नदियां प्रमुख है।)
2. गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां (गोमती, वरुण, रिहन्द, पाण्डों, ईसन आदि प्रमुख है।)
3. दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां (चम्बल, बेतवा, केन, सोन, रिहन्द तथा कन्हार आदि मुख्य है।)

उत्तर प्रदेश जनसंख्या

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जहां देश की कुल जनसंख्या का 16.4 प्रतिशत भाग निवास करता है। इस प्रकार प्रत्येक छठा भारतवासी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

1991 की जनगणनानुसार राज्य की जनसंख्या 13.91 करोड़ थी जिसमें 7.40 करोड़ पुरुष तथा 6.51 करोड़ स्त्रियां सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या में 53.2 प्रतिशत पुरुष तथा 46.8 प्रतिशत स्त्रियां है।

राज्य की 80.16 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा केवल 19.84 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 1991 की जनगणनानुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2.93 करोड़ है जिसमें 1.56 करोड़ पुरुष (53.2 प्रतिशत) तथा 1.37 करोड़ स्त्रियां (46.8 प्रतिशत) है।¹ 1991 की जनगणनानुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत 41.6 प्रतिशत था (जिसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया है।) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 36.66 प्रतिशत रही जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह दर 61 प्रतिशत रही।

राज्य में जनसंख्या घनत्व 473 तथा स्त्री पुरुष अनुपात 879 स्त्रियां प्रति हजार पुरुष था। राज्य की 88.64 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दी भाषी है इसके बाद क्रमशः उर्दू 10.5 प्रतिशत, पंजाबी 0.58 प्रतिशत, बंगाली 0.15 प्रतिशत, सिन्धी 0.19 प्रतिशत, मराठी 0.01 प्रतिशत भाषा बोलने वालों का स्थान है।²

उत्तर प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु अलग-अलग होने के कारण यहां पर अनेक प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान है।

(1) **खनिज सम्पदा** : उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा खनिज कम उपलब्ध है राज्य में पहली खनिज नीति 29 दिसम्बर, 1998 को घोषित किया गया। जिसमें कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया

स्रोत: 1. जनगणना 1991

2. उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक – 2000 पेज नं. 37

गया तथा 12 जिलों को खनिज बहुल जिले घोषित किये गये जो कि निम्नलिखित है : सहारनपुर, झांसी, जालौन, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र नैनीताल तथा देहरादून। खनिज नीति 1998 के अन्तर्गत निम्न बिन्दु प्रमुख है।

1. खनिजों से प्राप्त राजस्व के 5 प्रतिशत भाग से 'खनिज विकास निधि' स्थापित करने की योजना।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन।
3. राज्य के आई.आई.टी. तथा पॉलीटेक्निकों में खनन पाठ्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा।
4. पट्टे के लिए आवेदन का निस्तारण दो से चार हफ्ते के बीच करते हुए पट्टे 60 दिन में देने की घोषणा।
5. खनिज उद्योग में देशी/विदेशी निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहन।

खनिज—नीति में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार 'खनिज उत्पादन में राज्य का देश में 10वां स्थान तथा देश के कुल खनिज उत्पादन में प्रदेश का 2.6 प्रतिशत भाग है।

तालिका 2.1

उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज तथा खनिज क्षेत्र

क्र. सं.	खनिज	क्षेत्र
1.	तांबा	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कुमाऊँ, चमोली (पोखरी एवं धनपुर क्षेत्र), नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ एवं सोनराई।
2.	संगमरमर	देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं मिर्जापुर, सोनभद्र।
3.	यूरेनियम	ललितपुर।
4.	लोह अयस्क	गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल (हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का ही लौह अयस्क उपलब्ध)
5.	काँच बालू	वाराणसी के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुडारी बाला बहेट और इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के शंकरगढ़, लौहगढ़, बोरगढ़, और धानद्रोल क्षेत्र में।
6.	चाँदी	अल्मोड़ा जिला (अल्पमात्रा)
7.	मैग्नेलाइट	अल्मोड़ा जिला (अल्पमात्रा)
8.	हीरा	बांदा एवं मिर्जापुर
9.	चूना पत्थर	देहरादून (चकराता तहसील), गढ़वाल (लैंस टाउन तहसील) मिर्जापुर (गुरुमाकनाच), सोनभद्र (कजराहट), टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल जिले में भी उपलब्ध है।

क्र. सं.	खनिज	क्षेत्र
10.	सीसा	कुमाऊँ क्षेत्र में (राय, घरनपुर, रेलम, बेसकन, दसोसी और दण्डक क्षेत्रों में) देहरादून जिले में (कुमा-बरेसा और मुधौल क्षेत्र में) अल्मोड़ा जिले में (चैना पानी और बिलौन क्षेत्र में)
11.	कोयला	सोनभद्र के निचले गोडवाना क्षेत्र में मिर्जापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में।
12.	जिप्सम	गढ़वाल (खरारी धारी, खेरा, लक्ष्मन झूला, नरेन्द्र नागिन और मधुधनी क्षेत्र में), देहरादून (घपीला क्षेत्र) नैनीताल जिला (नैनीताल, खुरपाताल, मझरिया क्षेत्र) झाँसी, हमीरपुर जिलों में भी उपलब्ध
13.	ग्लास लैण्ड	इलाहाबाद (करछना तहसील), बांदा (करवी तहसील) मऊ जिला।
14.	डोलामाइट	मिर्जापुर, सोनभद्र, टिहरी, बांदा एवं देहरादून।
15.	एस्टबेस्टस	गढ़वाल (उडवीमठ एवं कान्धेरा में)

स्रोत : उत्तर प्रदेश एक अध्ययन - पेज नं. 43

रोजगार

उत्तर प्रदेश में 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य के कुल व्यक्तियों में 29.13 प्रतिशत व्यक्ति काम करने वाले हैं। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में यह प्रतिशत क्रमशः 30.52 प्रतिशत तथा 26.26 प्रतिशत है। जबकि राज्य के कुल पुरुषों में काम करने वाले पुरुषों का अनुपात 49.31 प्रतिशत है तथा स्त्रियों में यहा प्रतिशत केवल 7.45 प्रतिशत है।

तालिका 2.2

विभिन्न उद्योगों में काम करने वालों का विवरण (प्रतिशत में)

(1991 की जनगणनानुसार)

क्र.सं.	श्रेणी	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	कास्तकार	53.27	53.94	48.18
2.	खेतिहर मजदूर	18.94	16.70	35.82
3.	पशुपालन, शिकार आदि	.71	.74	.51
4.	खनन एवं उत्खनन	.08	.09	.06
5.	पारिवारिक उद्योग	2.41	2.26	3.55
6.	विनिर्माण संसाधन	5.34	5.72	2.45
	(पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त)			
7.	निर्माण	1.24	1.36	.31
8.	व्यापार एवं वाणिज्य	6.17	6.79	6.45
9.	परिवहन संचार	1.86	2.09	.16
10.	अन्य सेवाएँ	9.98	10.31	7.51

स्रोत : जनगणना 1991

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या खेतिहर है। जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 53.27 प्रतिशत है। कृषि कार्य में पुरुष तथा स्त्री की भागीदारी लगभग बराबर है। जबकि दूसरे स्थान पर खेतिहर मजदूर है जो कि कुल कार्यशील जनसंख्या का 18.94 प्रतिशत है इस क्षेत्र में महिला का योगदान अधिक 35.82 प्रतिशत है जबकि पुरुष का केवल 16.70 प्रतिशत है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 83 जिले हैं जिसमें से 1991 के बाद सृजित 17 जिले निम्न हैं -

सन्त कबीर नगर, चम्पावत, साहू महाराज नगर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, कन्नौज, औरैया, बागपत, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, चन्दौली, श्रावस्ती, ज्योतिबा फूलेनगर, कौशाम्बी, वागेश्वर, महामाया नगर (वर्ममान हाथरस) तथा बलराम पुर।

तालिका 2.3

1991 की जनगणना के समय प्रदेश के 63 जिलों का क्षेत्रफल जनसंख्या आकार तथा घनत्व

क्र. संख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
1.	उत्तरकाशी	8,016	2,39,709	1,24,978	1,14,731	30
2.	चमोली	9,168	4,54,871	2,27,131	2,27,740	50
3.	टेहरी गढ़वाल	4,421	5,80,153	2,81,934	2,98,219	131
4.	देहरादून	3,088	10,25,679	5,56,432	4,69,247	332
5.	गढ़वाल	5,397	6,82,535	3,34,371	3,51,164	126
6.	पिथौरागढ़	8,856	5,66,408	2,85,297	2,81,111	64
7.	अल्मोड़ा	5,385	8,36,617	4,00,900	4,35,717	155
8.	नैनीताल	6,794	15,40,174	8,23,798	7,16,376	227
9.	साहरनपुर	3,860	23,09,029	12,47,254	10,61,775	498
10.	मुजफ्फरपुर	4,049	28,24,543	15,28,634	13,13,909	702
11.	बिजनौर	4,715	24,54,521	13,11,710	11,42,811	521
12.	मेरठ	3,911	34,47,912	18,61,742	15,86,170	882

क्र. संख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
13.	गाजियाबाद	2,594	27,03,933	14,76,188	12,27,745	1,042
14.	बुलन्दशहर	4,353	28,49,859	15,35,572	13,14,287	655
15.	मुरादाबाद	5,967	41,21,035	22,24,855	18,96,180	691
16.	रामपुर	2,367	15,02,141	8,08,419	6,93,722	635
17.	बदायूं	5,168	24,48,338	13,52,744	10,95,594	474
18.	बरेली	4,120	28,34,616	15,41,086	12,93,530	688
19.	पीलीभीत	3,499	12,83,103	6,92,361	5,90,742	367
20.	शाहजहांपुर	4,575	19,87,395	10,94,363	8,93,032	434
21.	अलीगढ़	5,019	32,95,982	17,88,880	15,07,102	657
22.	मथुरा	3,811	19,31,186	10,63,487	8,67,699	507
23.	आगरा	4,027	27,51,021	15,01,927	12,49,094	683
24.	एटा	4,446	22,44,998	12,30,561	10,14,437	505
25.	फिरोजाबाद	2,362	15,33,054	8,36,926	6,96,128	649
26.	मैनपुरी	2,759	13,16,746	7,18,173	5,98,573	477
27.	फर्रुखाबाद	4,274	24,40,266	13,29,574	11,10,692	571
28.	इटावा	4,326	21,24,655	11,60,227	9,64,428	491
29.	कानपुर(नगरीय)	1,040	24,18,487	13,25,728	10,92,759	2,325
30.	कानपुर(देहात)	5,137	21,38,317	11,60,736	9,78,081	416
31.	फतेहपुर	4,152	18,99,241	10,09,369	8,89,872	457
32.	इलाहाबाद	7,261	49,21,313	26,24,829	22,96,484	678

क्र. संख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
33.	जालौन	4,565	12,19,377	6,66,865	5,52,512	267
34.	झांसी	5,024	14,29,698	7,67,430	6,62,268	285
35.	ललितपुर	5,039	7,52,043	4,03,685	3,48,358	149
36.	हमीरपुर	7,165	14,66,491	7,96,448	6,70,043	205
37.	बांदा	7,624	18,62,139	10,11,230	8,50,909	244
38.	खीरी	7,680	24,19,234	13,13,517	11,05,717	315
39.	सीतापुर	5,743	28,57,009	15,58,905	12,98,104	497
40.	उन्नाव	4,558	22,00,397	11,74,856	10,25,541	483
41.	हरदोई	5,986	27,47,082	15,10,831	12,36,251	459
42.	लखनऊ	2,528	27,62,801	14,80,839	12,81,962	1,093
43.	रायबरेली	4,609	23,22,810	12,03,153	11,19,657	504
44.	बहराइच	6,877	27,63,750	15,01,250	12,62,500	402
45.	गोण्डा	7,352	35,73,075	19,07,575	16,65,500	486
46.	बाराबंकी	4,401	24,23,136	13,04,303	11,18,833	551
47.	फैजाबाद	4,511	29,78,484	15,48,368	14,30,116	660
48.	सुल्तानपुर	4,436	25,58,970	13,23,422	12,35,548	577
49.	प्रतापगढ़	3,717	22,10,700	11,12,755	10,97,945	595
50.	बस्ती	4,284	27,38,522	14,29,610	13,08,912	639
51.	गोरखपुर	3,324	30,66,002	15,93,355	14,72,647	922
52.	देवरिया	5,445	44,40,024	22,57,554	21,82,470	815

क्र. संख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
53.	आजमगढ़	4,214	31,53,885	15,71,593	15,82,292	748
54.	जौनपुर	4,038	32,14,636	16,12,164	16,12,472	796
55.	बलिया	2,988	22,62,273	11,62,307	10,99,966	757
56.	गाजीपुर	3,377	24,16,617	12,34,615	11,82,002	716
57.	वाराणसी	5,091	48,60,582	25,63,848	22,96,734	955
58.	मिर्जापुर	4,952	16,57,139	8,79,820	7,77,319	335
59.	हरिद्वार	1,994	11,24,488	6,09,054	1,15,434	564
60.	सिद्धार्थ नगर	2,944	17,07,885	8,92,981	8,14,904	580
61.	मऊनाथ भंजन	1,727	14,45,782	7,32,487	7,13,295	837
62.	सोनभद्र	6,358	10,75,041	5,77,403	4,97,638	169
63.	महाराजगंज	2,948	16,76,378	8,78,048	7,98,330	569

स्रोत : उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक, पंज नं. 39

सामाजिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि संबंधी क्रियाओं से अपनी जीविका चलाती है यह प्रदेश सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य हैं यहां पर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विकसित हुई तथा उसका विस्तार हुआ। इस राज्य में त्रेता युग में राम की जन्म एवं लीला स्थली अयोध्या एवं द्वापर युग

में कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा तथा पौराणिक महत्व संजोए शिव नगरी काशी प्रमुख आकर्षक स्थलों में है। इसी प्रकार के अनेक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल इस प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में विद्यमान है। इस प्रदेश के कुछ जनपद एवं क्षेत्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते है यथा— इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, मेरठ व कौशाम्बी से प्राप्त पुराअवशेष आदिम युग के मानव की सभ्यता के मूक साक्षी है।

उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, वहां की आदिम जन-जातीय संस्कृति की उत्तरी सीमा जो चीन एवं नेपाल से जुड़ी है की जनजातीय संस्कृति, सभ्यता एवं रीति रिवाज से भिन्न है। इस प्रकार इस प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य विविधता में एकता दर्शाता हैं। सभी प्रकार की जातियों एवं धर्मों का मिलन इस प्रदेश की अपनी एक अलग सामाजिक एवं धार्मिक विशेषता है।

यहां पर एक ओर तो गंगा, यमुना नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान अपनी उर्वरा भूमि से समाज की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन सबसे अधिक आधारभूत आवश्यकता की आपूर्ति करते है जबकि दूसरी ओर प्रयाग का संगम तीर्थ एवं हरिद्वार का गंगा तीर्थ स्थल सभी जातियों के लोगों को समाज के एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। ये सभी स्थल सामाजिक एकता के प्रतीक है। यही कारण है कि इस प्रदेश का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.54 प्रतिशत वार्षिक से अधिक रही है जो कि देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 1971 में देश की जनसंख्या 8.83 करोड़ थी जो कि 1991 में बढ़कर 13.91 करोड़ हो गयी। इसप्रकार प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में भारी असंतुलन है।

तालिका 2.4

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या

(करोड़ में)

जनगणना वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	कुल योग
1901	4.32	.540	4.87
1911	4.32	.490	4.82
1921	4.17	.493	4.67
1931	4.42	.556	4.98
1941	4.95	.701	5.66
1951	5.45	.862	6.33
1961	6.42	.947	7.38
1971	7.59	1.240	8.84
1981	9.09	1.990	11.09
1991	11.15	2.760	13.91

स्रोत : उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक समीक्षा

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विगत नौ दशकों में (1901-1991) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात 20 प्रतिशत व 80 प्रतिशत रहा अर्थात् उत्तर प्रदेश में कृषि पर जनसंख्या के दबाव में बहुत ही कम कमी आयी जो कि इतनी लम्बी समयावधि में न के बराबर कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत के आस-पास रही जबकि औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशों यथा - महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडू, कर्नाटक में नगरीकरण का प्रतिशत क्रमशः 37.7, 34.9, 34.2 तथा 30.9 रहा है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कृषि बाहुल्यता प्रदर्शित होती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में जो जनसंख्या का प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ उसके परिणाम स्वरूप नगरीय जीवन में आर्थिक एवम् सामाजिक विषमतायें तथा सामाजिक बुराइयों में वृद्धि हुई और अन्ततः नगरों के ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया दिखायी पड़ने लगी है।

विगत दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण राज्य के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 2.5
राज्य में जनसंख्या घनत्व
(व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)

	1981	1991
ग्रामीण	314	385
नगरीय	4363	5553
कुल	377	473

स्रोत : जनगणना 1981 एवं 1991

राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901, 1911 एवं 1921 में क्रमशः 165, 164, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी⁰ था जो कि लगातार घट रहा था जबकि 1921 के बाद लगातार वृद्धि हुई जो कि 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981 में क्रमशः 169, 192, 215, 251, 300 तथा 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. था तथा 1991 की जनगणना के अनुसार यह 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। यह घनत्व कुल भारत के 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से बहुत अधिक है। यदि जनसंख्या वृद्धि की यही दर जारी रही और जनसंख्या घनत्व का अनुपात ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2051 तक प्रदेश में कृषि पर जनसंख्या का दबाव भयावह स्थिति में पहुंच जायेगा; क्योंकि मानव भूमि अनुपात तेजी से घट रहा है।

राज्य की जनसंख्या में तीव्रतर वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार व विकास के महत्व को स्वीकार किया गया है। राज्य में 1000 से कम जनसंख्या वाले गांव 47.3 प्रतिशत (83235) 1000 से 1999 जनसंख्या समूह वाले गांवों का उत्तर प्रदेश में प्रतिशत 44.8, 2000 से 4999 जनसंख्या समूह वाले गांव का प्रतिशत 7.2 तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव मात्र 0.7 प्रतिशत है।

प्रदेश में स्त्री-पुरुष का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 879 है जबकि 1981 की जनगणना में यह अनुपात 885 था, इस प्रकार एक दशक में प्रति हजार पुरुष पर 6 की कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात 884 तथा नगरीय 860 रहा है।

प्रदेश की जनजातियाँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ, "जनजातियों या जनजाति समुदायों के अथवा उनके समूहों या भागों के अन्तर्गत" आती है, जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाये। जनजाति समुदाय के निम्न लक्षण होते हैं :

1. कई परिवारों का समूह : जनजाति का निर्माण कई परिवारों के संकलन से होता है। परिवार ही जनजाति समाज की मौलिक इकाई है।

2. विशिष्ट नाम : प्रत्येक जनजाति का कोई न कोई विशिष्ट नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह जानी जाती है।

3. एक निश्चित भू-भाग : प्रत्येक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में निवास करती है। डॉ. रिर्वर्स का मत है कि जनजाति के लिए निश्चित भू-क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि कई जपजातियाँ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है। किन्तु डॉ. मजूमदार का मत है कि घुमक्कड़

जनजातियां भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही घूमती हैं, सभी स्थानों पर नहीं। अतः प्रत्येक जनजाति का निवास एक निश्चित भू-क्षेत्र में होता है।

4. हम की भावना : एक भू-भाग में निवास करने के कारण एक जनजाति के सदस्यों में 'सामुदायिक भावना' पायी जाती है इसी कारण वे संकट के समय एकता का प्रदर्शन करते हैं।

5. सामान्य भाषा : एक जनजाति की एक सामान्य भाषा होती है जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। यह भाषा अलिखित होती है तथा इसका हस्तान्तरण मौखिक रूप से ही होता है।

6. जनजाति अन्तर्विवाह : सामान्यतः सभी जनजातियां अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं अन्य जनजातियों से नहीं।

7. एक राजनीतिक संगठन : प्रत्येक जनजाति का अपना एक राजनीतिक संगठन होता है। वे अपना शासन स्वयं करते हैं। शासन कार्य वंशानुगत राजा, मुखिया या वयोवृद्धि लोगों की समिति द्वारा किया जाता है। परन्तु भारत में इनका पृथक एवं स्वतंत्र राजनीतिक संगठन नहीं है वरन् सभी जनजातियां भारतीय गणराज्य की सदस्य हैं।

8. संस्कृति : प्रत्येक जनजाति को अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक जनजाति के रीति-रिवाज, प्रथाएं एवं जादुई विश्वास एवं क्रियाएं, सामाजिक संगठन, नैतिकता, विश्वास और मूल्य अन्य जनजातियों से भिन्न होते हैं।

9. अर्थव्यवस्था : सामान्यतः सभी जनजातियों की अर्थव्यवस्था आजीविका स्तर की है जिसमें आत्मनिर्भरता अधिक पायी जाती है। सामान्यतः वस्तु विनिमय व्यापारिक क्रियाओं का आधार होता है। आर्थिक सम्बन्ध अधिकांशतः नातेदारों एवं परिचित लोगों तक सीमित होते हैं।

10. नातेदारी का महत्व : जनजाति समाज में नातेदारी को बहुत महत्व दिया जाता है। जनजातीय लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं

सामाजिक सम्बन्ध अपनी नातेदारी तक ही सीमित रखते हैं।

11. धर्म : प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म होता है। इनके धर्म में प्रकृति पूजा, आत्मावाद और जीववाद की प्रधानता पायी जाती है। ये लोग कई जादुई क्रियाएं भी करते हैं।

12. सामान्य पूर्वज : कई जनजातियां अपनी उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज से मानती हैं यह पूर्वज वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं – भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू। इसके अतिरिक्त शौका, खरकर माहीगीर आदि कुछ अन्य जनजातियां हैं। प्रदेश की ये जनजातियां प्रत्येक जिले में रहती हैं, किन्तु देहरादून तथा नैनीताल जिलों में इनकी भारी संख्या निवास करती हैं। यहां इनकी जनसंख्या क्रमशः 76085 तथा 73998 है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :

1. भोटिया : उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 'भोट प्रदेश' में निवास करने वाले लोगों को 'भोटिया' कहा जाता है राज्य के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में तिब्बत एवं नेपाल के सीमावर्ती भाग को भोट प्रदेश कहते हैं। भोटिया लोग अल्मोड़ा, चमोंली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर प्रदेश काशी के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

भोटिया लोग मंगोल प्रजाति के वंशज हैं। पुरुष लम्बा कोट, पाजामा तथा पहाड़ी टोपी पहनते हैं जबकि महिलाएं 'चुंग' तथा 'फूयाबेल' पहनती हैं ये कमर को आकर्षक पट्टी से बांधे रखती हैं। महिलाएं भी टोपी पहनती हैं। मूंगे की माला इनका मुख्य आभूषण होता है। भोटिया के अनेक लोग बौद्ध धर्म अपना लिया है फिर भी ये लोग हिन्दु धर्म व परम्पराओं को मानते हैं। ये लोग 'गावला' तथा 'बैग रैंग चिम' देवताओं की पूजा करते हैं।

इन लोगों में 'अपहरण विवाह' की प्रथा प्रचलित रही है किन्तु समय के परिवर्तन के कारण माता—पिता द्वारा निर्धारित विवाह करने लगे हैं। पहले ये लोग 'हुड़ेक' वाद्ययंत्र बजाकर मनोरंज किया करते थे किन्तु अब इनका स्थान संगीत एवं सिनेमा ले रहे हैं।

ये लोग तिब्बत से नमक, सुहागा, ऊन, याक की पूंछ, सोना जानवरों की खाल, भेड़—बकरी तथा खच्चर लाते हैं और इसके बदले में चावल, गुण, चीनी, तम्बाकू, लोहा, बर्तन, सूती वस्त्र तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं तिब्बत को ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये आंशिक रूप से कृषि या मुख्यतः पशुपालन द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं।

2. बुक्सा : बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून तथा बिजनौर जिलों में छोटी—छोटी बस्तियों में रहती है। नैनीताल जिले की बाजपुर, रामनगर, तथा काशीपुर तहसीलों में इनकी जनसंख्या बहुतायत में है।

यह जनजाति पतवार राजपूत घरानों से सम्बन्धित मानी जाती है। ये लोग मुख्यतः हिन्दी भाषा ही बोलते हैं। देवनागरी लिपि में पढ़ना—लिखना इनकी परम्परा है। ग्रामीण पुरुष धोती, कुर्ता, सदरी तथा पगड़ी और पढ़े लिखे कोट—पैण्ट तथा बुशर्ट भी पहनते हैं। ग्रामीण महिलाएं गहरे रंग का लहंगा तथा चोली पहनती है जबकि शिक्षित महिलाएं साड़ी—ब्लाउज ही पहनती है।

इस जनजाति में चार सामाजिक वर्ग हैं। जिनमें बुक्सा ब्राह्मणों को सर्वोच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त है। इनमें मैदानी हिन्दु लोगों के समान ही विवाह संस्कार होते हैं इस समाज में घर जवाई प्रथा, बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह आज भी प्रचलित हैं।

बुक्सा जन महादेव, कालीमाई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम तथा कृष्ण की पूजा करते हैं। धान, मक्का, गेहूं, चना, लाहा की खेती तथा पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है।

3. जौनसारी : यह जनजाति कालसी, चकराता त्योणी, लाखामण्डल बावर, जौनपुर (जिला टेहरी गढ़वाल), राबेन तथा परगने काना आदि की ऊंची पहाड़ियों पर निवास करती है। इस जनजाति की उत्पत्ति मंगोलो तथा डेमों के रक्त मिश्रण से हुई है।

पुरुष जौनसारी धोती, कमीज तथा जाकेट और महिला जौनसारी घुटनों तक का कुर्ता एवं घाघरा पहनती है।

जौनसारी लोग हिन्दु देवी-देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। ये लोग 'महसू' देवता की पूजा करते हैं। ये लोग लकड़ी का कई मंजिल का घर बनाकर रहते हैं। इन लोगों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। अन्तर्जातीय विवाहों का भी प्रचलन है। महिलाएं कृषि कार्य करने में दक्ष होती हैं।

4. राजी : इस जनजाति को 'बनरौत' भी कहते हैं। यह जनजाति पिथौरागढ़ जिले के धारचूला एवं डी डी हाठ विकास खण्डों के किमखोला, चिपथड़ा, गानागांव, मौका तिरवा, चौरानी, कूना, कनयाल तथा जतड़ी ग्रामों में ही मुख्यतः निवास करती है।

राजी जन प्रायः जंगल में ही रहना पसन्द करते हैं तथा जंगल के देवता की पूजा करते हैं। 'बाघनाथ' इनका मुख्य देवता है। ये लोग घोर अन्ध विश्वासी होते हैं।

इनकी भाषा में तिब्बती तथा संस्कृत के शब्दों की बहुतायत होती है। घर पर ये लोग 'मुण्डा' तथा बाहर 'कुमाऊंनी' भाषा बोलते हैं, जिसमें हिन्दी तथा पहाड़ी भाषा का पुट होता है।

इनमें वधु को मोल लेकर ही विवाह किया जाता है। महिला को पुनर्विवाह का अधिकार होता है

पहले इन लोगों का व्यवसाय जंगल काटकर लकड़ी बेचना था किन्तु अब कटाई पर रोक लग जाने के कारण ये लोग मजदूरी करते हैं।

5. थारु : यह जनजाति नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये लोग किरात के वंशज कहे जाते हैं। राजस्थान के 'थार' क्षेत्र से आकर यहां बसने तथा मदिरा का अधिकाधिक प्रयोग करने के कारण इन्हें 'थारु' कहा जाता है।

थारु पुरुष लंगोटी की तरह धोती तथा अंगरखा पहनते हैं। ये बड़ी चोटी भी रखते हैं। थारु महिलाएं रंगीन लहंगा, चोली तथा ओढ़नी पहनती हैं। इन्हें गोदना खुदवाने का विशेष चाव होता है।

ये लोग हिन्दु धर्म को मानते हैं ये लोग धान, दाले, तिलहन तथा सब्जियों की खेती करके जीविकोपार्जन करते हैं।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में और उनके जनजातियां हैं यह जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। जिसके लिए विशेष आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

आर्थिक परिदृ

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दबाव, भौगोलिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था के सूचको को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह प्रदेश सम्पूर्ण देश के आर्थिक एवं औसत जीवन स्तर को प्रभावित करता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक संरचना के विश्लेषण के लिए कई बिन्दुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। यथा— आय, जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण, कार्यबल की संरचना आदि।

आय संरचना

किसी भी प्रदेश में उसकी आय, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का सूचक होती है। आय की गणना चालू मूल्यों एवं आधार वर्ष के मूल्यों के

आधार पर आंकी जाती है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से 5 प्रतिशत अधिक थी, परन्तु दूसरी योजना के अन्त में यह आय 7 प्रतिशत कम हो गयी और तब से अब तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम ही रही है। एक विशेषज्ञ समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि “उच्च जनसंख्या घनत्व, निम्न प्रति व्यक्ति आय एवं मन्द विकास की दर, लघु कृषि जोत, निम्न स्तर का नगरीकरण, उद्योगों का आय में निम्नदर से योगदान, साक्षरता की नीची दर तथा परिवहन, संचार एवं विद्युत शक्ति पर अपर्याप्त व्यय तथा प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ा है।

उत्तर प्रदेश की कुल आय प्रचलित मूल्यों पर 1993-94 में 78211 करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष 1998-99 में बढ़कर 152726 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार सकल आय में वृद्धि तो हुई परन्तु यह वृद्धि परिवर्तन सकल राष्ट्रीय आय के वृद्धि परिवर्तन से कम रहा है। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन तो आया परन्तु प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना में वृद्धि दर निम्न रही है। वर्ष 1993-94 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 5287 रुपये थी जो कि 1998-99 में बढ़कर 9261 रुपये हो गयी। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है :

तालिका 2.6

उत्तर प्रदेश की कुल एवं प्रति व्यक्ति राज्य आय

वर्ष	1993-94 के भावों पर		प्रचलित भावों पर	
	कुल (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति (रु.)	कुल (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति (रु.)
1993-94	78211	5287	78211	5287
1994-95	83469	5510	91867	6064
1995-96	85603	5518	102478	6605
1996-97	91768	5794	120955	7637
1997-98	93797	5808	133617	8273
1998-99	97137	5890	152726	9261

तालिका 2.7
राज्य आय के सूचकांक
(1993-94 = 100)

वर्ष	1993-94 के भावो पर	
	राज्य आय	प्रति व्यक्ति आय
1994-95	106.7	104.2
1995-96	109.5	104.4
1996-97	117.3	109.6
1997-98	119.9	109.8
1998-99	124.2	111.4

स्रोत सांख्यिकीय डायरी 1999 पेज नं. 63

तालिका 2.6 एवं 2.7 से स्पष्ट है कि राज्य में कुल आय एवं प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है। 1993-94 प्रचलित भावों पर कुल आय 78211 करोड़ थी जो 1998-99 में बढ़कर 152726 करोड़ हो गयी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय 1993-94 में 5287 रुपये से बढ़कर 1998-99 में 9261 रुपये हो गयी। फिर भी यह वृद्धि अन्य राज्यों की अपेक्षा कम रही है।

तालिका 2.8

भारत के विभिन्न प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय
(प्रचलित भावों पर रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1980-81	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	1380	10306	10590
2.	असम	1284	6928	7335
3.	बिहार	917	4231	4654
4.	गुजरात	1940	14675	16251

क्र.सं.	राज्य	1980-81	1996-97	1997-98
5.	हरियाणा	2370	16392	17626
6.	हिमाचल प्रदेश	1704	9737	10659
7.	कर्नाटक	1520	10279	11693
8.	केरल	1508	10309	11936
9.	मध्य प्रदेश	1358	7571	8114
10.	महाराष्ट्र	2435	17666	18365
11.	उड़ीसा	1314	5893	6767
12.	पंजाब	2674	18006	19500
13.	राजस्थान	1222	8481	9215
14.	तमिलनाडु	1498	11708	12989
15.	उत्तर प्रदेश	1278	6713	7263
16.	पश्चिम बंगाल	1773	9579	10636

स्रोत : सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1998 पेज नं. 75

तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम रही है।

राज्य में आय में वार्षिक वृद्धि दर भी काफी कम रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि पर 9 प्रतिशत थी जबकि उत्तर प्रदेश की 4.2 प्रतिशत थी जो कि लगभग भारत की तुलना में 50 प्रतिशत से भी कम है।

तालिका 2.9

भारत के प्रमुख राज्यों में आय में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
(आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97)

क्र.सं.	राज्य	कृषि एवं पशुपालन	विनिर्माण	योग
1.	आंध्र प्रदेश	3.8	1.2	5.3
2.	असम	1.5	0.7	2.8
3.	बिहार	(-) 1.5	(-) 3.9	0.3
4.	गुजरात	10.0	20.1	11.2
5.	हरियाणा	3.7	6.1	4.7
6.	हिमाचल प्रदेश	1.3	8.6	5.2
7.	कर्नाटक	3.0	5.3	4.7
8.	केरल	4.9	3.9	6.7
9.	मध्य प्रदेश	6.3	10.0	6.1
10.	महाराष्ट्र	11.6	10.3	9.5
11.	उड़ीसा	(-) 3.4	6.9	2.7
12.	पंजाब	3.0	10.3	4.7
13.	राजस्थान	8.7	2.2	7.2
14.	तमिलनाडु	(-) 0.4	8.5	6.2
15.	उत्तर प्रदेश	2.7	4.2	3.2
16.	पश्चिम बंगाल	6.6	5.6	6.6
	भारत	3.9	9.0	6.8

स्रोत : सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1999 पेज नं. 76

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का विकास उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक तीव्र गति से हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही है।

तालिका 2.10

विभिन्न औद्योगिक स्रोतों से आय वृद्धि की वार्षिक दर

(1993-94 के भावों पर)

खण्ड	1993-94 से 1998-99 तक
1. कृषि एवं पुशपालन	2.2
2. समस्त प्राथमिक उप-खण्ड	2.5
3. विनिर्माण	6.0
4. समस्त माध्यमिक उप-खण्ड	6.0
5. अन्य उप-खण्ड	5.5
6. कुल राज्य आय	4.4
7. प्रति व्यक्ति आय	2.2

स्रोत : सांख्यिकीय डायर उ. प्र. 1999 पेज नं. 66

तालिका 2.10 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही जो कि विकास का सूचक तो है परन्तु दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत ही है जबकि प्रदेश की कुल आय में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि पर अंकित की गयी।

उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित व्यय की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर भी यहा की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा भारत की अपेक्षा यह काफी कम रही है।

तालिका 2.11

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की व्यय राशि

योजना का नाम	अवधि	निर्धारित परिव्यय राशि (करोड़ रुपये में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56	153
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-61	233
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-66	561
तीन वार्षिक योजनाएं	1966-69	455
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-74	1166
पांचवी पंचवर्षीय योजना	1974-79	2909
वार्षिक योजना	1979-80	829
छठी पंचवर्षीय योजना	1980-85	6594
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-90	11949
वार्षिक योजना	1990-91	3208
वार्षिक योजना	1991-92	3696
वार्षिक योजना	1992-93	3640
वार्षिक योजना	1993-94	3872
वार्षिक योजना	1994-95	4762
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-97	22006 (सम्भावित)
नवीं पंचवर्षीय योजना	1997-2002	46340 (अनुमानित)

जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक संरचना में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के आधार पर ही उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

1. प्राथमिक क्षेत्र – कृषि, मछली संग्रहण, वनोत्पाद।
2. द्वितीयक क्षेत्र – उत्पादन सम्बन्धी समस्त आर्थिक क्रियाएं यथा विनिर्माण, खनन, कुटीर एवं लघु उद्योग आदि।
3. तृतीयक क्षेत्र – सेवा क्षेत्र : बैंकिंग, यातायात, बीमा, वित्त आदि।

जनसंख्या के व्यवसायिक विभाजन का प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।

तालिका 2.12

उत्तर प्रदेश में उद्योगवार मुख्य कर्मगारों की संख्या

(वर्ष 1991 की जनगणनानुसार)

क्षेत्र	संख्या हजार में
1. प्राथमिक क्षेत्र : कृषि, श्रमिक, पशुपालन जंगल में कार्य करना, कृषक, मछली पकड़ना, शिकार एवं बागवान, फलोधान एवं सम्बन्ध क्रियाएं।	30160
2. द्वितीयक क्षेत्र : खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, शोधन, सेवाएं एवं मरम्मत तथा निर्माण	3751
3. तृतीयक क्षेत्र : व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संग्रहण एवं संचार तथा अन्य सेवाएं।	7450
योग	41361

स्रोत : जनगणना - 1991

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र पर जनसंख्या की निर्भरता अब भी सर्वाधिक है यदि प्रतिशत में देखा जाय तो यह लगभग 70 प्रतिशत होगी जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में यह निर्भरता बहुत ही कम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में अभी भी द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का विस्तार बहुत कम हुआ है।

कार्य बल संरक्षण

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर एवं मापन निर्धारित करने में कार्यबल/श्रमशक्ति के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता पर निर्भर करती है। यद्यपि कार्य बल में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का ही फल है। प्राप्त आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1981 में कुल जनसंख्या में कर्मकारों का प्रतिशत 30.72 था जो कि 1991 में बढ़कर 32.20 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.13

उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिशत

क्र.सं.	वर्ग	कुल जनसंख्या से प्रतिशत	
		1981	1991
1.	मुख्य कर्मकार	29.23	29.73
2.	सीमान्त कर्मकार	1.49	2.47
3.	कार्य न करने वाले	69.28	67.80
	योग	100.00	100.00

स्रोत : उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक 2000 पेज नं0 69

वर्ष 1981 एवं 91 में मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में लगभग समान है, परन्तु सीमान्त कर्मकारों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 1991 में 2.47 हो गया जबकि 1981 में यह 1.49 था। वर्ष 1991 में 1981 की तुलना में कार्य न करने वालों के प्रतिशत में कमी आयी है।

अध्याय - 3

भारत में बैंकिंग
बैंकों का वर्गीकरण
व्यावसायिक बैंकों की प्रगति

भारत में बैंकिंग

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन अत्यन्त आवश्यक है और आर्थिक नियोजन को सफल होने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन में बैंकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से बैंकों की संरचना में आधारभूत परिवर्तन किये गये हैं। यद्यपि इस समय भी देश में मुद्रा बाजार असंगठित एवं संगठित दोनों रूपों में विद्यमान है, परन्तु पिछले पच्चास वर्षों में देश के संगठित मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके देश के केन्द्रीय बैंक को पूर्णरूप से सरकारी बैंक कर दिया गया है। बैंकों के सन्तुलित विकास तथा उन पर प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949 पारित किया गया एवं 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। 1969 में देश के 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई तथा 1955 में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना की गयी। देश के औद्योगीकरण के स्तर को उन्नत बनाने और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिए 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गयी। देश में औद्योगिक वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट,

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम एवं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम आदि की भी स्थापना हुई।

1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम एवं 1968 में कृषि वित्त निगम की स्थापना की गयी। 1975 में कृषि एवं ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। देश की आयात एवं निर्यात की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1982 में भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक की स्थापना की गयी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी।

बैंकों का वर्गीकरण

वर्तमान समय में देश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (1) केन्द्रीय बैंक
- (2) व्यावसायिक बैंक
- (3) सहकारी बैंक
- (4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (5) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- (6) विकास बैंक
- (7) गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ
- (8) अन्य प्रकार के बैंक

केन्द्रीय बैंक

बैंकिंग जगत में केन्द्रीय बैंकिंग एक अभूतपूर्व घटना है। इसीलिए विल रोजर्स ने केन्द्रीय बैंकिंग को महान मानवीय आविष्कार का दर्जा दिया

है। बैंक आफ इंग्लैण्ड विश्व का प्रथम केन्द्रीय बैंक है जिसकी स्थापना सन् 1694 ई. में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर सन् 1920 की ब्रसेल्स में आयोजित अन्तराष्ट्रीय वित्तीय गोष्ठी में पारित प्रस्तावों के आधार पर यह निश्चित किया गया कि जिन देशों में अभी तक केन्द्रीय बैंक स्थापित नहीं किये गये हैं वहाँ शिघ्रताशीघ्र इनकी स्थापना के प्रयत्न किये जाय जिससे उन देशों कि मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्थाओं में स्थिरता का भाव उत्पन्न किया जा सके एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिले।¹ भारत में तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों के एकीकरण के द्वारा सन् 1921 ई. में इम्पेरियल बैंक आफ इण्डिया की स्थापना की गयी जो व्यवसायिक बैंक के साथ ही साथ केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कुछ कार्यों को भी करता था। किन्तु हिल्टन यंग कमीशन (1926) की सिफारिशों के आधार पर एक पृथक केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना के सम्बन्ध में 8 सितम्बर सन् 1933 को सभा में एक बिल पेश किया गया। बिल पारित होने पर गर्वनर जनरल ने उसे अपनी स्वीकृति 6 मार्च सन् 1934 को प्रदान कर दी। इस स्वीकृति के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 13 अप्रैल 1935 से केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।² एम. एच. डी. कोक ने केन्द्रीय बैंक के निम्नलिखित सात कार्यों की चर्चा की हैं:

- (1) निर्गमनकर्ता बैंक
- (2) सरकारी बैंकर एजेंट तथा वित्तीय सलाहकार
- (3) सदस्य बैंकों के नकद कोष का संरक्षक
- (4) विदेशी मुद्रा के राष्ट्रीय कोष का संरक्षक
- (5) अन्तिम ऋणदाता
- (6) समाशोधन गृह के रूप में कार्य करते हुए केन्द्रीय निपटारा एवं हस्तान्तरण बैंक

1. डी. काक. एम. एच. केन्द्रीय बैंकिंग (तीसरा संस्करण) पेज 19

2. स्नातको के लिए अधिकोषण तथा बीमा डॉ. एस. ए. अन्सारी।

(7) साख नियन्त्रण

किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सरकार की आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक प्रणाली को इस प्रकार नियन्त्रित करना है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का चहुँमुखी विकास होकर देश में आर्थिक स्थायित्व स्थापित हो सके। रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बैंकर कें रूप में कार्य करता है एवं केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न आर्थिक मामलों में सलाह देता है। रिजर्व बैंक देश में साख नियन्त्रण करने के लिए बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, न्यूनतम नकद कोष, चयनात्मक साख नियन्त्रण तथा नैतिक दबाव आदि रीतियों का प्रयोग करता है।

व्यावसायिक बैंक

सामान्यतया जब बैंक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय व्यावसायिक बैंक से ही होता है। ब्रिटिश संसद ने बैंक की परिभाषा देते समय कहा कि, "बैंक एक फर्म या संस्था है जो परम सदविश्वास के साथ बैंकिंग व्यवसाय करता है।" ये बैंक छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करके आवश्यकता वाले क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं। व्यावसायिक बैंक को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :

- (i) अनुसूचित बैंक
- (ii) गैर-अनुसूचित बैंक
- (iii) लाइसेन्स धारी बैंक
- (iv) गैर लाइसेन्स धारी बैंक
- (v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- (vi) निजी क्षेत्र के बैंक
- (vii) भारतीय बैंक
- (viii) विदेशी बैंक

(i) अनुसूचित व्यवसायिक बैंक

वह बैंक जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया हो उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुसार किसी ऐसे बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो तथा निम्न शर्तों को पूरा करता हो।

1. उसकी प्रदन्त पूँजी तथा रक्षित निधि 5 लाख रूपये से कम मूल्य की न हो।
2. बैंक के कार्य कलाप जमाकर्त्ताओं के हितों के विपरीत न हो।
3. यह बैंक एक राज्य सहकारी बैंक अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार एक कम्पनी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय से अधिसूचित एक संस्था अथवा भारत के बाहर प्रचलित किसी सन्धियम के अन्तर्गत सम्मिलित कोई निगम अथवा कम्पनी हो।

(ii) गैर-अनुसूचित व्यवसायिक बैंक

गैर-अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि इन बैंकों को वे समस्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती जो कि अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती है परन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी जो कि एक अनुसूचित बैंक नहीं है, को एक नकद कोष रखना आवश्यक है।

(iii) लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक

वे बैंक जो बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार

लाइसेन्स प्राप्त करके बैंकिंग कार्य करते हैं उन्हें लाइसेन्सधारी बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक निम्नलिखित बातों से संतुष्ट होने पर लाइसेन्स प्रदान करता है।

1. कम्पनी के व्यवसाय का संचालन जमाकर्ताओं के प्रतिकूल न हो।
2. कम्पनी अपने वर्तमान तथा भावी जमाकर्ताओं के दों की माँग का पूर्ण भूगतान करने की स्थिति में होगी।
3. कम्पनी के प्रस्तावित प्रबन्ध तन्त्र का स्वरूप जनता अथवा जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल न हो।
4. कम्पनी की पूँजी संरचना तथा उपार्जन क्षमता पर्याप्त हो।
5. अन्य शर्त जो रिजर्व बैंक उचित समझता हो।

(iv) गैर लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक

वे बैंक जो बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त नहीं करते हैं, गैर लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक कहलाते हैं।

(v) सार्वजनिक बैंक

वह बैंक जिनका राष्ट्रीय करण कर दिया गया है, उन्हें सार्वजनिक बैंक कहते हैं। सार्वजनिक बैंक को निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है।

- (1) स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक
- (2) राष्ट्रीय कृत व्यावसायिक बैंक

भारत में वर्तमान में 28 सार्वजनिक बैंक हैं।¹

भारतीय स्टेट बैंक

अगस्त 1951 में रिजर्व बैंक ने श्री गोरवाला की अध्यक्षता में ग्रामीण साख की समस्याओं की जाँच करने तथा उनसे सम्बन्धित सुझाव देने हेतु ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की थी जिसने अपनी रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की थी। इस समिति का यह मत था कि यह बैंक इम्पीरियल बैंक तथा 10 बैंकों (जिनकी स्थापना देशी राज्यों में वहाँ की सरकार के सहयोग से हुई थी) को मिलाकर बनाया जाय। इस बैंक की अधिकांश पूँजी सरकारी अधिकार में रखने का सुझाव दिया गया था। इस नये बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रखने की सिफारिश की गयी।¹

भारत सरकार ने ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश स्वीकार कर लिया और तदनुसार जुलाई 1955 से भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कर दी।

1959 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सबसीडियरी बैंक) एक्ट 1959 पारित करके भूतपूर्व रियासतों से सम्बन्धित बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें भारतीय स्टेट बैंक का सहायक बैंक बना दिया गया। ये बैंक निम्न थे:

1. स्टेट बैंक ऑफ जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर
7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
8. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

सहकारी बैंक

भारत में सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधार-भूत कार्य सम्पन्न करते हैं, किन्तु ये व्यावसायिक बैंकों से भिन्न होते हैं। देश में सहकारी बैंकों की स्थापना अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा की गई है। सहकारी बैंकों का गठन देश में तीन स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक, जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।

उपयुक्त त्रिस्तरीय सहकारी बैंकों के अतिरिक्त 16 सितम्बर 1985 से एक बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (1984) के अन्तर्गत कुछ बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है जो एक राज्य तक सीमित नहीं होती तथा एक से अधिक राज्यों में सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। इस प्रकार की बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं। इन बैंकों के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, प्रथम, कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। द्वितीय, छोटे-छोटे साहसियों, शिल्पकारों, कृषि श्रमिकों तथा छोटे एवं अन्य सीमान्त कृषकों के लिए साख एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना।

सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद तथा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) भिवानी (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान) तथा मालदा (पश्चिम बंगाल)

में पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। बाद में देश के अन्य भागों में भी इन बैंकों का विस्तार किया गया। बैंक की पूँजी में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, 15 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 35 प्रतिशत प्रायोजक बैंक का हिस्सा होता है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ("NABARD")

इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गयी। नार्वाड ग्रामीण क्षेत्रों में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है।

विकास बैंक

देश में मध्यम और दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था के लिए विकास बैंकों की स्थापना की गयी थी। जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं:

(i) औद्योगिक वित्त निगम

1 जुलाई 1948 को देश में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गयी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य देश में दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। निगम केवल ऐसी सहकारी समितियों तथा लिमिटेड कम्पनियों को ऋण प्रदान करता है जो भारत में स्थापित हो तथा वस्तुओं का निर्माण अथवा विधियन, खनन, विद्युत शक्ति का सृजन अथवा वितरण, जहाजरानी एवं जहाज निर्माण, होटल उद्योग एवं वस्तुओं के संरक्षण में संलग्न उद्योगों से सम्बन्धित हो।

(ii) राज्यों के वित्तीय निगम

राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को अपने राज्यों के लिए पृथक वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य की लघु एवं मध्यम आकार वाली औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना था। पंजाब राज्य में सर्वप्रथम 1953 में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई और इसके बाद विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में वित्त निगमों की स्थापना की।

(iii) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

इसकी स्थापना 1954 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य उद्योगों के सन्तुलित एवं संगठित विकास में सरकार की सहायता करना है।

(iv) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम

इस निगम की स्थापना 1955 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में उपक्रमों के निर्माण, विकास, आधुनिकीकरण, के कार्य में सहायता प्रदान करना एवं विनियोग बाजारों का विकास करना है। यह दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है।

(v) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम

रूग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना गयी थी। मार्च 1984 में

इस निगम का पूरा उपक्रम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को हस्तान्तरित कर दिया गया था। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य बन्द पड़ी निष्क्रिय एवं रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्निर्माण कर उन्हें नवजीवन प्रदान करना है।

(vi) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

देश के औद्योगिक विकास में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना सन् 1964 में रिजर्व बैंक के एक अनुषंगी बैंक के रूप में की गयी थी। 1976 में इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ

इसके अन्तर्गत निम्न संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है :

(i) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जुलाई 1964 में हुई। यह समाज के विभिन्न वर्गों की बचत को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित करती है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य छोटी-छोटी बचतों को विकास कार्यों के लिए गतिशील बनाना तथा देश में पूँजी निर्माण को अधिक तेज करना है।

(ii) जीवन बीमा निगम

जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके जीवन बीमा व्यवसाय चलाने के लिए सितम्बर 1956 में जीवन बीमा निगम की स्थापना की गयी। यद्यपि जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्य पालिसी धारियों के जीवन पर बीमा

करना है किन्तु इस माध्यम से यह छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करती है तथा उनका विनियोग विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में करती है। इस समय जीवन बीमा निगम एक महत्वपूर्ण विनियोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

(iii) सामान्य बीमा निगम

सामान्य बीमा निगम की स्थापना दिसम्बर 1972 में एक सरकारी कम्पनी के रूप में की गयी थी। निगम की अधिकृत पूँजी 75 करोड़ रुपये है जो सौ-सौ रुपये के 75 लाख समता अंशों में विभक्त है। यह एक सूत्रधारी कम्पनी है जिसकी चार सहायक कम्पनियाँ हैं। सामान्य बीमा का समस्त कार्य ये चारो कम्पनियाँ करती हैं।

(iv) भारतीय आयात-निर्यात बैंक

इस बैंक की स्थापना आयात-निर्यात के क्षेत्र में विकास बैंक के रूप में 1 जनवरी 1982 को की गयी। यह एक वैधानिक निगम है जिसका सम्पूर्ण नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास है। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य वित्त की व्यवस्था तथा देश के अन्तराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए माल और सेवाओं के आयात-निर्यात को सुविधाजनक बनाना है।

अग्रणी बैंक

14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात एफ. के. एफ. नरीमान की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट 15 नवम्बर 1969 को प्रस्तुत की। इस समिति ने सुझाव दिया कि देश के सभी जिलों को बैंकों के मध्य बाँट दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक बैंक को अपने हिस्से में आये जिलों में बैंकों की शाखाओं के विस्तार, साख वितरण व सामान्य

विकास के लिए उत्तर दायी बनाया जाना चाहिए। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार भारत के 335 जिलों को 17 बैंकों में बाँटा गया। वर्तमान में अग्रणी बैंक योजना 443 जिलों में लागू है जिसका उत्तरदायित्व निम्न बैंकों पर है :

अग्रणी बैंक

1. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. भारतीय स्टेट बैंक
4. इलाहाबाद बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
6. आन्ध्र बैंक
7. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
8. बैंक ऑफ इंडिया
9. बैंक ऑफ पटियाला
10. बैंक ऑफ इण्डिया
11. बैंक ऑफ सौराष्ट्र
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
13. देना बैंक
14. बैंक ऑफ राजस्थान लि.
15. इण्डियन बैंक
16. केनरा बैंक
17. इण्डियन ओवरसीज बैंक
18. कॉरपोरेशन बैंक
19. जम्मू एवं कश्मीर बैंक
20. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
21. पंजाब नेशनल बैंक

22. यूको बैंक
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
24. यू. पी. स्टेट कॉऑपरेटिव बैंक लि.
25. सिंडीकेट बैंक
26. विजया बैंक
27. स्टेट बैंक ऑफ वि.ए. जयपुर
28. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

अग्रणी बैंक से आशय उस बैंक से होता है जिसे कुछ जिलों में बैंकिंग विकास का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को निम्न 7 जिले सौंपे गये हैं :

- (i) जौनपुर
- (ii) वाराणसी
- (iii) भदोही
- (iv) गाजीपुर
- (v) मऊँ
- (vi) आजमगढ़
- (vii) चन्दौली

यह बैंक इन सातों जिलों के लिए अग्रणी बैंक है जिसपर उपरोक्त जिलों में बैंकिंग विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। जब कभी किसी राज्य में नये जिले सृजित होते हैं तो रिजर्व बैंक उन जिलों को भी एक अग्रणी बैंकों को सौंप देता है।

अग्रणी बैंक के कार्य

रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंकों के निम्न कार्य निर्धारित किये गये हैं:

- (i) आवंटित जिलो में बैंकिंग विकास की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना ।
- (ii) उन औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों की जानकारी प्राप्त करना जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ बैंक के माध्यम से पूरी नहीं कर पा रही है ।
- (iii) आवंटित जिले में कृषि उपज के संग्रह एवं बिक्री की स्थिति का अध्ययन करना ।
- (iv) अपने क्षेत्र में खाद व कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के रखने वाले व्यापारियो तथा कृषि औजारों की मरम्मत की सुविधा प्रदान करने वालों का पता लगाना ।
- (v) ऋण देने वाली प्राथमिक एजेन्सियो की सहायता करना ।
- (vi) सरकारी व अर्द्धसरकारी एजेन्सियों से सम्पर्क करना तथा
- (vii) ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का दायित्व अपने जिलो में 2 अक्टूबर 1975 से इन्ही बैंकों को सौंपा गया है ।

अग्रणी बैंक योजना की सफलता

इस योजना की प्रमुख सफलता निम्न है :

- (i) बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ है ।
- (ii) बिना बैंक वाले स्थानो पर बैंक स्थापित हुई है ।
- (iii) सभी जिलों का गहन सर्वेक्षण बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है ।

- (iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 35 प्रतिशत पूँजी अग्रणी बैंक ने लगायी है।
- (v) अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक का विकास हुआ है।

व्यावसायिक बैंकों की प्रगति

देश में व्यावसायिक बैंकों की प्रगति का विश्लेषण निम्न तालिकाओं द्वारा किया जा सकता है :

तालिका 3.1

अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों की बैंक/शाखावार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

वर्ष	अनुसूचित बैंक		गैर-अनुसूचित बैंक	
	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या
	1949	94	2852	526
1956	89	2953	333	1240
1961	82	4388	209	725
1969	73	8045	16	217

Source: Ansari Mohd. Salman- "Working of the Regional Rural Banks in

Eastern Uttar Pradash" Page - 21

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आजादी के पश्चात देश में बैंकों की संख्या बहुत कम थी तथा राष्ट्रीयकरण के पूर्व तक यह निरन्तर कम

होती गयी। इस कमी का कारण अलाभकारी बैंक थे उनको बन्द कर दिया गया या तो दूसरे में विलय कर दिया गया। वर्ष 1949 में इन अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या 2852 थी जो कि 1969 में बढ़कर 8045 हो गयी। जबकि गैर अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या जो 1949 में 1589 थी घटकर 1969 में 217 रह गयी।

तालिका 3.2

व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की प्रगति का क्रमवार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति)

क्र.स.	वर्ष	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
	जून के अन्त में	शाखाओं की संख्या	शाखाओं की संख्या	प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)	प्रति बैंक औसत जनसंख्या (हजार में)	का अखिल भारत से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	1969	8262	747	65	119	9.04
2	1989	57698	8066	12	14	13.97
3	1990	59388	8355	12	13	14.06
4	1991	60190	8444	12	13	14.02
5	1992	60649	8512	11	13	14.03
6	1993	61248	8578	11	13	14.01
7	1994	61742	8607	14	16	13.94
8	1995	62346	8646	14	16	13.87
9	1996	63084	8680	15	18	13.76
10	1997	63724	8765	15	18	13.75
11	1998	64280	8818	16	18	13.57
12	1999	64713	8839	16	19	13.66
13	2000	64976	8863	16	19	13.64

स्रोत (1) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन

(2) रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

नोट— 1969 की औसत जनसंख्या 1961 की जनगणना पर आधारित है। 1989 से 1993 तक 1981 की जनगणना के अनुसार तथा इसके पश्चात 1991 की जनसंख्या पर आधारित हैं।

तालिका 3.2 से स्पष्ट है कि वाणिज्य बैंकों की शाखाओं में निरन्तर प्रगति हुई है। जून 1969 में शाखाओं की संख्या 8263 थी जबकि 20 वर्ष पश्चात 1989 में 57698 हो गयी इस प्रकार 598.35 प्रतिशत (29.91 प्रतिशत प्रतिवर्ष) की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जून 2000 के अन्त तक भारत में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 64976 हो गयी। इस प्रकार 1989 की तुलना में 2000 में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी 1969 की अपेक्षा 1989 में 979.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि अखिल भारतीय वृद्धि की तुलना में अधिक है। जून 2000 के अन्त में उत्तर प्रदेश में कुल शाखाओं की संख्या 8863 हो गयी। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति बैंक औसत जनसंख्या जून 1969 में 65 हजार थी जबकि बाद के वर्षों में कम हो गयी और 1989 में 12000 प्रति बैंक हो गयी तथा 2000 में पुनः बढ़कर प्रति बैंक औसत जनसंख्या 16000 हो गयी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी जून 1969 के अन्त में प्रति बैंक औसत जनसंख्या 119 हजार थी तथा बाद के वर्षों में कम होकर 1989 में 14 हजार तथा पुनः बढ़कर 2000 में 19 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश का अखिल भारत से प्रतिशत जून 1969 में 9.04 था जबकि बाद के वर्षों में 14 प्रतिशत के लगभग रहा।

तालिका 3.3

व्यवसायिक बैंकों की जमा-ऋण प्रगति का विवरण

(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	सकल ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	1949	844	482	57.12
2	1961	1873	1335	71.28
3	1967	3741	2646	70.73
4	1969	4674	3615	77.34

Source: Ansari Mohd. Salman- "Working of the Regional Rural Banks in Eastern Uttar Pradesh" Page - 21

तालिका 3.3 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आजादी के पश्चात तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों की जमाओं तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। वर्ष 1949 में कुल जमा धनराशि 844 करोड़ थी जो 1969 में बढ़कर 4674 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार जमाओं में 453.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1949 में सकल ऋण की राशि 482 करोड़ रुपये थी जो 1969 में 3615 करोड़ हो गयी। इस प्रकार ऋणों में 650 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो कि जमा की वृद्धि की अपेक्षा लगभग 150 प्रतिशत अधिक थी। ऋण जमा अनुपात भी सन्तोषजनक रही। ऋण जमा अनुपात 1949 में 57.12 प्रतिशत था जो कि बाद के वर्षों में 1961, 1967 व 1969 में क्रमशः 71.28, 70.73, 77.34 प्रतिशत रहा। ऋण जमा अनुपात से यह विदित होता है कि बैंकों ने अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।

तालिका 3.4

भारत में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा-ऋण प्रगति का क्रमवार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति)

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	1971	5906	4684	79.3
2	1976	14155	10877	76.8
3	1981	37988	25371	66.8
4	1986	85404	56067	65.7
5	1991	192542	116301	60.4
6	1996	433819	254015	58.6
7	1997	505599	278401	55.1
8	1999	714025	368837	51.7
9	2000	813345	435958	53.6

स्रोत : (1) रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

(2) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन

(3) बैंकिंग सांख्यिकीय

तालिका 3.4 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भारत में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमाओ तथा ऋणों में निरन्तर प्रगति हुई है। 1971 में जमा 5906 करोड़ रुपये था जो कि 1981 में 37988 तथा 1991 में 192542 करोड़ रुपये हो गयी और यह बढ़कर 2000 में 813345 करोड़

हो गयी। इसी प्रकार ऋण में भी निरन्तर वृद्धि रही 1971 में यह राशि 4684 करोड़ रूपये थी जो कि 1981, 1991 एवं 2000 में बढ़कर क्रमशः 25371, 116301 तथा 435958 करोड़ रूपये हो गयी। ऋण जमा अनुपात प्रत्येक वर्ष सन्तोष जनक रहा जो कि 50 प्रतिशत से सदैव ऊपर रहा है। 1971 में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात 79.3 प्रतिशत था जबकि न्यूनतम 1999 में 51.7 प्रतिशत था। 2000 में पुनः बढ़कर 53.6 प्रतिशत हो गया।

अध्याय - 4

ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत

ग्रामीण वित्त

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की वित्तीय आवश्यकता अनेक प्रकार की होती है जिसमें से प्रमुख निम्न दो प्रकार की हैं:

(क) कृषि वित्तीय आवश्यकता

(ख) गैर कृषिय वित्तीय आवश्यकता।

कृषि वित्तीय आवश्यकता

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय एवं कुल रोजगार के अवसरो में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। परन्तु अन्य देशों की तुलना में सापेक्षिक दृष्टिकोण से भारतीय कृषि अपनी अल्प उत्पादिता एवं पिछड़े पन के लिए विख्यात है जबकि कृषि क्षेत्र को न केवल कृषि कार्य में लगे हुए लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, अपितु अतिरिक्त भी सृजित करना चाहिए। इससे कृषि के अभिनवीकरण एवं उसमें पर्याप्त विनियोग की आवश्यकता प्रतीत होती है और कृषि साख का महत्व स्पष्ट होता है। भारत में कृषि की नवीन तकनीक का प्रादुर्भाव (1960-61-1970-71) के दशक में हुआ है। प्रत्येक कृषक परिवार इस नवीन तकनीक से कृषि में सुधार एवं उससे लाभ उठाना चाहता है जबकि यह तकनीक विभिन्न आधुनिक आगमों

जैसे— रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यन्त्र ट्रैक्टर, थ्रेसर, पम्पसेट आदि पर आधारित है जिसके लिए कृषि साख की आवश्यकता पड़ती है।

भारत में साधारणतया छोटी जोत वाले कृषकों की आय मात्र जीवन निर्वाह के लिए ही संभव हो पाती है। कभी—कभी तो उसे आवश्यक उपभोग के लिए भी ऋण लेना पड़ता है ऐसे निर्धन समाज में कृषक को प्रत्येक फसल में खेती के कार्यों के लिए जैसे, खाद, बीज, जुताई आदि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है।

कृषि साख का प्रकार एवं वर्गीकरण

बैंकिंग संस्थाओं और वित्त के प्रकारों को समझने के लिए कृषको द्वारा ऋण की माँग के प्रकार को जानना आवश्यक है। कृषको के बीच भिन्न—भिन्न प्रकार के ऋणदाताओं को जानना और इन ऋणदाताओं द्वारा भिन्न—भिन्न प्रकार का ऋण, भिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रदान करना, की भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

कृषि साख को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो कि निम्नलिखित हैं:

- (i) खेती के स्वभाव के आधार पर
- (ii) आर्थिक स्थिति के आधार पर
- (iii) उत्पादकता के आधार पर
- (iv) अवधि के आधार पर
- (v) सुरक्षा के आधार पर
- (vi) साख संस्थाओं के आधार पर

(i) खेती के स्वभाव के आधार पर

खेती के स्वभाव के आधार पर कृषि साख का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे क्या कृषक नकद फसल के लिए ऋण ले रहा है, या फल फूल उगाने के लिए, या बागवानी के लिए या फिर मिश्रित खेती के लिए ऋण प्राप्त कर रहा है।

(ii) आर्थिक स्थिति के आधार पर

कृषि साख का दूसरा वर्गीकरण सामान्यतः कृषक की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। जो बहुत लाभदायक है। कृषक का यह वर्गीकरण उनके खेती के आधार पर किया जाता है। प्रथम बार भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने इस आधार पर कृषक ऋण प्राप्तकताओं का वर्गीकरण किया। इसमें कृषको को समिति ने तीन वर्गों में रखा (1) बड़ा कृषक, (2) मध्यम कृषक, (3) छोटा कृषक।

(iii) उत्पादकता के आधार पर

इस आधार पर कृषि साख दो प्रकार के होते हैं:

(अ) उत्पादक साख, (ब) उपभोक्ता साख

(अ) उत्पादक साख : उत्पादक साख को ऐसे साख के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कृषको द्वारा अपनी आय को अधिक बढ़ाने के लिए एवं अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया जाता है। उत्पादक साख विनियोग के उद्देश्यों के लिए, लिये जाते हैं। साख के प्रयोग की प्रवृत्ति कुछ निश्चित सम्पत्ति जैसे कुआँ, ट्रैक्टर, पम्पसेट बीज, थ्रेशर, मशीनो आदि को खरीदने के लिए लिया जा सकता है। उत्पादक साख को पुनः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

राजीनामा साख : यह वह साख है जिसे नये ऋण की व्यवस्था पुनः निवास, खेती छाया की बनावट या खेती के भवन के लिए लिया जाता है।

विकास साख : यह ऐसी साख है जिसे कुँओं का खोदना, नाली की व्यवस्था या भूमि को समतल करने के उद्देश्य से लिया जाता है।

साज और समान साख : साज और समान साख (औजार) वह साख है जिसे औजारो को खरीदने के लिए प्राप्त किया जाता है जैसे ट्रैक्टर, पम्पसेट या मशीनो की मरम्मत के लिए और अपने खर्चों के लिए।

(ब) उपभोक्ता साख : उपभोक्ता साख सेवा या दैनिक उपभोग की वस्तुओ की शीघ्र आवश्यकता की संतुष्टि के लिए लिया जाता है। ऐसी उपभोक्ता साख या ऋण की पुनः अदायगी भविष्य में आय की आशा पर निर्भर होती है।

एक समय उपभोक्ता साख को ऋण देने वाली संस्थाओं के द्वारा अनुकूल विचार नहीं किया गया। लेकिन अब यह महसूस किया गया कि कुछ कृषक अपने शीघ्र और दैनिक उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दो फसलो के बीच उन लोगो को सक्षम बनाने के लिए और उनके परिवार सन्तोषपूर्वक कार्य करने के लिए प्राप्त कर सकते है। ऐसी साख को लगभग उपभोक्ता साख के दर्जा पर विचार किया जा सकता है। फिर भी यह निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि उपभोक्ता साख को अनावश्यक चीजों पर खर्च न किया जाय जैसे चल सम्पत्ति या विलासिता की वस्तुओ पर आदि।

(iv) अवधि के आधार पर साख

कृषि साख का चौथा महत्वपूर्ण वर्गीकरण समय की अवधि या अन्तराल के आधार पर किया जा सकता है। अवधि के आधार पर साख निम्न तीन प्रकार की होती है :

(1) अल्पकालीन या मौसमी साख : खेती में निरन्तर होने वाले कार्यों जैसे बीज खाद व उर्वरक खरीदना, फसल काटते समय या कृषिकार्य की अन्य प्रक्रिया में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ऋण की अवधि 3 माह से 18 माह की होती है। अर्थात् दो फसलों या तीन फसलों के बीच का समय होता है। ऐसे ऋणों का भुगतान प्रायः फसल कटने पर कर दिया जाता है।

(2) मध्यकालीन साख : मध्यम काल का ऋण वह ऋण होता है जो 18 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए दिये जाते हैं। मध्यम दर्जा का ऋण बैल या दूध वाले जानवर या छोटे कृषि यंत्र कुएँ की खुदाई या कृषि योग्य भूमि के विकास के उद्देश्य के लिए दिया जाता है। वर्तमान समय में कृषि कार्य के अभिनवीकरण की प्रक्रिया में मध्यकालीन साख की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है।

(3) दीर्घकालीन साख : दीर्घकालीन ऋण के अन्तर्गत 5 वर्ष से 25 वर्ष तक का लम्बा समय वाला ऋण विचार किया जा सकता है। लम्बे समय का ऋण नयी जमीन खरीदने के लिए या भूमि के टुकड़े में निश्चित विकास के लिए जैसे खेती पर सिंचाई, कुआँ, नाली, महगें कृषि यन्त्रों जैसे ट्रैक्टर पंपिंग सेट आदि खरीदने के लिए लिया जाता है।

(v) सुरक्षा के आधार पर वर्गीकरण

साख का पाँचवा वर्गीकरण सुरक्षित और असुरक्षित ऋण है। सम्भवतः ऋण देने वाली संस्थायें कृषकों को ऋण की सुरक्षा में व्यक्त खतरे की पूर्ति करने के लिए ऋण के बदले सन्तोषपूर्ण एवं उचित जमानत रखने के लिए इच्छुक होती हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित ऋण को आगे तीन उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न हैं :

(अ) वास्तविक या बन्धक साख या ऋण

(ब) चल साख

(स) व्यक्तिगत साख

इस सुरक्षित ऋण का वर्गीकरण तीन धन जैसे भूमि, समान और चरित्र पर आधारित है।

(अ) वास्तविक बंधक साख या ऋण : इस प्रकार की साख में ऋण को अचल सम्पत्ति के बन्धक द्वारा सुरक्षित किया जाता है। जिसमें भूमि, बन्धक साख के रूप में प्रथम दर्जे की आती है। यह विशेष प्रकार की साख होती है। और इस छोटी भूमि की कीमत, इसकी उत्पादकता इत्यादि के लिए प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के बन्धक साख को इसलिए विशेष प्रकार के साख संस्थाओं के सुपुर्द कर दिया गया जैसे भारत भूमि बंधक विकास बैंक।

(ब) चल साख : यह साख दूसरे श्रेणी के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार के ऋण की चल सम्पत्तियों के जमानत पर सुरक्षित किया जाता है। जैसे हिस्सा, इकरारनामा, वसीयत, बीमा योजना नीति या चल समानों के नाम पर इत्यादि।

(स) व्यक्तिगत साख : व्यक्तिगत साख ऋण लेने वाले के चरित्र की सुरक्षा पर आधारित है। इसके अन्तर्गत ऋण लेने वाले के कार्य क्षमता, कार्य का स्वभाव और इमानदारी तथा पहले की सूची इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। यह साख व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पत्र या तीसरे पक्षकार की जमानत के द्वारा सुरक्षित की जाती है।

(vi) साख संस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण

वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के आधार पर कृषि वित्त को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है :

(अ) गैर संस्थागत वित्त

(ब) संस्थागत वित्त,

(अ) गैर संस्थागत वित्त : साख संस्था व्यक्तिगत दल हो सकता है जैसे साहूकार, स्वदेशी ऋणदाता, विक्रेता, सम्बन्धी और मित्र। व्यक्तिगत साख पर सरकार द्वारा पारित नियम या नियंत्रण लागू नहीं होते हैं। साहूकार अधिनियम सामान्यतः किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा शासित नहीं किये जाते और सामान्यतः सार्वजनिक निरीक्षण या निर्देश का विषय नहीं होता। प्रायः यह महसूस किया गया कि व्यक्तिगत साख बड़े रकम के लिए उपयोगी नहीं तथा यह शोषित भी है। व्यक्तिगत साख के सम्बन्ध में जो कुछ भी कानूनी कार्य ढाँचा आता है जिसे ऐसा करने के लिए माना गया अधिकांश को व्यक्तिगत ऋणदाता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

(ब) संस्थागत वित्त : व्यक्तिगत साख की दोषों को देखते हुए वित्तीय व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों, बीमा कम्पनियों इत्यादि के द्वारा कृषि वित्त को सुरक्षा प्रदान किया गया। ये संस्थाएँ सार्वजनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करती हैं जैसे भारतीय कम्पनी अधिनियम, बैंक नियंत्रण अधिनियम आदि। संस्थागत संस्थाओं को नियमों और नियमितता के द्वारा बांधा गया और उनके लेखा जोखा और हिसाब की सार्वजनिक जांच के लिए खोल दिया गया है।

गैर कृषिय वित्तीय आवश्यकता

ग्रामीण ऋण (अकृषि) को गैर कृषि ग्रामीण ऋण, कृषयेतर क्षेत्र हेतु ग्रामीण ऋण इत्यादि नामों से जाना जाता है। ग्रामीण ऋण (अकृषि) की ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं है परन्तु इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है — “ग्रामीण ऋण अकृषि वह क्षेत्र है जिसे गैर कृषि ग्रामीण ऋण कहा जाता है तथा यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन भी हो सकता है व इससे बाहर भी तथा इसमें कृषि से इतर व्यवसायों, लघु उद्योगों, अत्यंत लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, कारीगरों,

दस्तकारों को उद्योग, व्यापार या संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों हेतु संमिश्र व समान्वित ऋण प्रदान किया जाता है ताकि गाँवों का चहुँमुखी विकास हो सके।”

उक्त परिभाषा से ग्रामीण ऋण (अकृषि) तो स्पष्ट हो जाता है परन्तु उसमें आए हुए शब्द, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, व्यापार अथवा संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों को परिभाषित करना जरूरी हो जाता है ताकि उक्त परिभाषा को सही रूप में समझा जा सके। अतः इन उद्योगों की संक्षिप्त जानकारी निम्नवत् है – लघु उद्योगों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है : (1) लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रम तथा (2) अनुषंगी उपक्रम।

लघु उद्योगों को इकाई में लगाई गयी संयंत्र एवं मशीनरी के प्रारम्भिक मूल्य में निवेश की उच्चतम सीमाओं के अनुसार परिभाषित किया गया है।

लघु औद्योगिक उपक्रम : ऐसे औद्योगिक उपक्रम चाहे वह स्वामित्व अथवा पट्टे या किराये पर हो और जिसका स्थायी परिसम्पत्तियों में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम : निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले औद्योगिक उपक्रम को अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम के रूप में पुनः श्रेणी बद्ध किया जाएगा :

एक औद्योगिक उद्यम जो पुर्जों, घटकों, उप. समन्वायोजन, औजारों अथवा मध्यवर्तियों का उत्पादन अथवा विनिर्माण कार्य करता हो या करना चाहता हो अथवा जो एक या अधिक औद्योगिक उपक्रम में अपने उत्पादन/सेवाओं को 50 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति करता हो या करना चाहता हो जैसी भी स्थिति हो और उसका स्थायी परिसम्पत्तियों में चाहे वे स्वामित्व अथवा पट्टे या किराये पर हो, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

अति लघु उद्यम : अति लघु उद्यमों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का अधिकतम सीमा २५ लाख रुपये है, चाहे इकाई कहीं भी स्थित हो।

गैर कृषिय ग्रामीण ऋण - नवीनतम योजनाएँ

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले कृषकों का प्रतिशत 51.6 था जबकि कृषि श्रमिक 30.7 तथा अन्य क्रियाकलापों में लगे श्रमिक 17.7 प्रतिशत है अर्थात् 48.4 प्रतिशत कृष्येतर क्रियाकलापों में लगे थे।¹ अतः आयोजनाकारों को जितना ध्यान कृषि पर देना चाहिए उतना ही ग्रामीण अकृषि क्षेत्रों के लिए भी दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बैंक ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए है। इन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए भी अनेक नवीनतम योजनाओं के निर्माण एवं वित्तपोषण से ग्रामीण अकृषि ऋण योजनाओं को महत्व दे रहे हैं। इसी सन्दर्भ में महिलाओं के लिए व कौशल विकास के लिए विशेष योजनाओं का उल्लेख करना तर्क संगत रहेगा। प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है :²

1. शिल्पकार गिल्ड : कार्यरत शिल्पकारों को आपस में मिलाने, उनमें समूह भावना विकसित करके उनके व्यवसाय से संबंधित जरूरतों समस्याओं को मिल बैठकर दूढ़ने के उद्देश्य से शिल्पकार गिल्ड योजना तैयार की है। इस योजना द्वारा शिल्पकार जहां एक ओर संगठित होकर नए-नए उत्पादों का विकास करेंगे वहीं दूसरी ओर बाजार और

1. कृष्येतर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका - पेज नं. 9

2. कृष्येतर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका - पेज नं. 9

विपणन से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान देंगे व इस दिशा में ठोस योजना बनाएंगे। इस योजना को वे प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएँ संवर्द्धन में लगे सरकारी निकाय, बैंक, कार्पोरेट निकाय तथा शैक्षिक संस्थाएँ चला सकती हैं जो ग्रामीण औद्योगीकरण से जुड़ी हों। इस योजना के अन्तर्गत प्रायोजक एजेंसी को राष्ट्रीय बैंक घरेलू सर्वेक्षण, नए डिजाइनों के विकास तथा ऐसे अन्य कार्यों हेतु अनुदान प्रदान करता है जो कार्य शिल्पकार अकेले न कर सकते हों जैसे वर्कशेड का निर्माण, सामान्य सुविधाएँ इत्यादि।

2. स्व-सहायता समूह : इस योजना के अन्तर्गत 10 से 20 सदस्यों के समूह द्वारा की गई बचत से चार गुनी राशि तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक इस योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर 100 प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता देता है। महिलाओं के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना है।

3. कृषि उद्यमों के लिए लचीली योजना : इस योजना के अन्तर्गत अच्छे रिकार्ड रखने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को कृषि उद्यमों का विकास करने के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्य का दायित्व लेने वाले स्वैच्छिक संस्थान को परियोजना लागत का मात्र 10 प्रतिशत उपलब्ध कराना होगा। यह किसी भी रूप में हो सकता है भूमि, श्रम या अन्य ...। परियोजना की संकल्पना, चलाने का तरीका व परिचालन विवरण स्वैच्छिक संस्था की इच्छानुसार हो सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने के लिए निम्नलिखित प्रकार की स्वैच्छिक एजेंसियाँ भाग ले सकती हैं :

- (क) एजेंसी/संगठन विधिक अस्तित्व रखती हो/रखता हो।
- (ख) यह नियमित रूप से तीन वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हो।
- (ग) इसमें जाति, धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर भेद-भाव न किया जाता हो।

- (घ) इसके सदस्य किसी भी राजनैतिक पार्टी के चुने हुए सदस्य न हो।
- (ङ) यह संस्था व्यावसायिक ज्ञान, क्षमता व दक्षता रखती हो ताकि परियोजना के कार्यान्वयन, उसकी आयोजन, प्रबंध में वह दक्षता पूर्वक कार्य कर सके।

4. कृषि एवं ग्रामीण उद्यमिता उद्भवन (इनक्यूवेशन फण्ड) : यह योजना (फण्ड) जोखिम भरे उपक्रमों/उद्यमों के लिए नई तकनीकी/प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बनाई गई है। इसके अन्तर्गत कृषि और अकृषि दोनों ही प्रकार के उद्यमों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने से लेकर उसके विपणन तक के लिए प्रावधान किया है। यह निधि आरंभिक अवस्था में 5 करोड़ रुपये से आरंभ की गई है।

5. ग्रामीण सूक्ष्म तथा घरेलू उद्यमों हेतु थोक ऋण योजना : यह योजना स्वैच्छिक संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं और ग्रामीण महिलाओं के समूहों/उद्यमों के लिए तैयार की गई योजना है। यह उन संस्थाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों में बचत की आदत डालने व ऋण देने के कार्य में लगी है। इस योजना के अन्तर्गत संस्था 1 में 3 वर्ष के दौरान दिये जाने वाले ऋणों के लिए कार्यक्रम तैयार करना होगा तथा संस्था को अपनी इस योजना में दर्शायी राशि के 25 प्रतिशत भाग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस 25 प्रतिशत की राशि में, वित्तपोषण करने वाले बैंक की सिफारिश पर शिथिलता दी जा सकती है।

6. महिला विकास वाहिनी : ग्रामीण महिलाओं के लिए गैर कृषि क्षेत्र के क्रियाकलापों में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु महिलाओं द्वारा चलाई जा रही स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें प्रति संस्था (क्लब) के लिए रु. 1500 प्रतिवर्ष अनुरक्षण हेतु दिये जाते हैं। ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं प्रति क्लब के लिए 2000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रशासनिक अनुदान पाने की भी हकदार हैं

7. अरविंद योजना : यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई है। स्वैच्छिक संस्थाओं/खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग/खादी बोर्ड/महिला विकास निगमों द्वारा यह योजना ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने व उनके विकास के लिए ऋण देने हेतु तैयार की गई है।

8. ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम : ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को संलग्न रूप से विकसित करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (REDP) का स्थान अति महत्वपूर्ण हैं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों, संवर्द्धन में लगे संगठनों व स्वैच्छिक संस्थानों को नाबार्ड द्वारा अनुदान सहायता दी जाती है।

9. ग्रामीण शिल्पकारों को बाजारोन्मुख प्रशिक्षण : इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिल्पकारों को बाजार व उससे जुड़े पहलुओं से अवगत कराया जाता है ताकि उसे उसके द्वारा तैयार माल का समुचित दाम मिल सके साथ ही बाजार में माल की खपत, बाजार में किस प्रकार के माल/डिजाइन आदि की मांग है इत्यादि संबंधी जानकारी दी जाती है। ऐसे अभिकरण जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का अनुभव है व इस क्षेत्र में वे व्यावसायिक ज्ञान रखते हों तो वे अनुदान सहायता पाने के पात्र हैं।

10. दक्ष दस्तकारों द्वारा प्रशिक्षण : हमारे देश में दक्ष दस्तकारों की कमी नहीं है। इन दस्तकारों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए इनके द्वारा दस्तकारों को प्रशिक्षण दिलाने की योजना भी राष्ट्रीय कृषि ओर ग्रामीण बैंक ने विकसित की है। इसके लिए नाबार्ड द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता है।

गैर कृषि क्षेत्र हेतु अनुमोदित उद्योग / क्रियाकलाप

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृष्येतर उद्योगों हेतु एक सूची जारी की गई है। जिसमें विधि उद्योगों व क्रियाकलापों को 22 खण्डों में बांटा गया है। इन 22 खण्डों के भी उप विभाग किये गए हैं जिसमें अधिकांश उद्योगों क्रियाकलापों को समाहित किया गया है। परन्तु इस सूची को सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य क्रियाकलापों को कृष्येतर क्षेत्र के लिए ऋण देने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। अनुमोदित क्रियाकलापों की सूची निम्नवत है। गैर कृषि उद्योगों हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अनुमोदित लघु, कुटीर, अत्यंत लघु और ग्रामोद्योगों की सूची :

(1) हस्त हिल्प

(i) **कलात्मक कपड़ा** : (कढ़ाई/जरी का कार्य सहित) बोकेडस, हिमरूज और शॉल, गोटा-पट्टा कार्य, कढ़ाई (सूती, रेशमी और ऊनी), चिकन कार्य, नक्की, मोटा जरी और जर्दोजी सहित बेस कार्य, बेर्डिंग, पिथ कार्य, पिठ्त, हार, फूल।

(ii) **चूड़ी और मनका** : ओक्सीकृत चूड़ी, कंगन, कृतिम मोती।

(iii) **बेंट बॉस और फूस इत्यादि** : लकड़ी की कंधी, टोकरी बनाना, आर्टप्लेट का निर्माण।

(iv) **मलीचा** : नामा धास, गुब्बास और दरी, मसनद, रेगा (सिसल) कंबल सहित ऊन का कार्पेट, कंबल और दरियाँ।

(v) **मृत्तिका शिल्प** : मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन।

(vi) शंख का कार्य : शंख से बनी वस्तुएँ ।

(vii) फ्लैक्स और रंगा : फ्लैक्स और रेशा से बना बैग, चटाई, टुँ आदि ।

(viii) हाथ से छपाई : हाथ से छपाई, कैलिको छपाई, कलमकारी, बाटिक रोगन सहित कपड़ों की परंपरागत रंगाई ।

(ix) आभूषण : बहुमूल्य, मध्यम मूल्य के और कृत्रिम पत्थर, बहुमूल्य धातुओं के आभूषण, नकली आभूषण लाल और कृत्रिम रत्नों/पत्थरों को काटना और पालिश करना ।

(x) धातु के बर्तन : चॉदी के बर्तन, बिद्री, जर्दोजी का कार्य, पीतल के बर्तन, तौबें के बर्तन, कांसे के बर्तन, हाथी के दाँत पर नक्काशी, आयरन शेल और सींग का काम ।

(xi) पत्थर के कार्य : पत्थर पर नक्काशी, संगमरमर के कार्य, सिलखड़ी ।

(xii) लकड़ी के कार्य : लकड़ी पर नक्काशी और जड़ाऊ कार्य, निर्मल, उभारदार कार्य, सजावटी फर्नीचर, स्लेट फ्रेम, खिलौना बनाना इत्यादि सहित लकड़ी को मोड़ने और बैक वेयर ।

(xiii) कुट्टी (पेपर मागे)

(2) ग्रामोद्योग

बढ़ई का कार्य, लुहार का कार्य, मधुमक्खी पालन, मधु और मधु उत्पादन, कुटीर माचिस, कुटरी निओ साबुन, कुटीर ग्रामोद्योग, हड्डी खाद, बीड़ी बनाना, झाड़ू बनाना, गोबर इत्यादि से खाद और मिथेन गैस का उत्पादन और उपयोग ।

(3) चमड़ा उद्योग

खाल उतारना, चर्म शोधन, जूता चप्पल बनाना, चर्मकार चमड़े की पोशाक, चमड़े की कलात्मक वस्तुएं, बैक, थैला, दस्ताने, बैल्ट आदि।

(4) बर्तन

मिट्टी के बर्तन, सजावटी बर्तन, पोर्सलेन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, क्ले को सॉचे में ढालना, पत्थर के बर्तन रानी गंज/ मंगसूर टाइलें, कलात्मक/अनूठे बर्तन, ईंधन बचाने वाले चूल्हे।

(5) कागज के उत्पादन

टिशू कागज, मोमी कागज, कागज के थैले, लिफाफे, कागज की प्लेटे, कप, कागज के नैपकिन, फेशियल टिशू नैपकिन, टेलीप्रिंटर रोल, टायलट पेपर रोल, फाइल कवर, फाइल बोर्ड, लिखने का पैड, सजावटी कागज।

(6) छापाई, जिल्दसाजी, लिखोग्राफी

(7) कौंच

कौंच के बर्तन बनाना, कौंच के दर्पण, कौंच के चूड़ियाँ, कौंच का मनका, कौंच की स्लाइडें, थर्मामीटर।

(8) रबड़ के समान और संबद्ध उत्पाद

जूता-चप्पल/स्पोर्ट जूते, साइकिल के टायर/ट्यूब, सर्जिकल

दस्ताने/लेटेक्स, रबड़ की नली, बिजली के तार (इंसुलेंटेड) पेंट ब्रश, कंघी, टूथब्रश।

(9) निर्माण/विल्डिंग का सामान

पत्थर तोड़ना, उत्खनन, कंक्रीट के सामान ईट और टाइलें, संगमरमर के कार्य, चूना, सीमेंट के कार्य, खनन कार्य, खड़िया (चूना) बनाना, सेंद्रवाडम टाइलें, ब्लॉक्स, जालियां आदि।

(10) रसायन/रसायन उत्पादन

मोमबत्ती बनाना, नैपथेलिन की गोलियां, जूते की पॉलिश, लकड़ी की पॉलिश, फ्रेच पॉलिश, धातु पॉलिश, नहाने का साबून, धुलाई का साबनु, टूथ पेस्ट, दियासलाई, टूथ पाउडर, आतिशबाजी, दवाइयां, पशु सरेश, कार्यालय गोंद, अगरबत्ती, इत्र, कोलोन, कोल्ड क्रीम, टेलकम पावडर, टायलेटरी, सोडा, नमक, स्टार्च।

(11) पेट्रोरसायन (प्लास्टिक) उत्पाद

पी.पी./एच.डी/एच.एम.पी.ई./एल.एल.डी.ई./ फिल्म और संबद्ध उत्पाद, पी.वी.सी. ग्रैन्यूल, इंजेक्शन मोल्डिंग्स, थर्मोप्लास्टिक उत्पाद अर्थात बाल्टी, बक्स, टब, मग, फोल्डर इत्यादि, पॉलिथीन की बोरी/थैले, अन्य प्लास्टिक उत्पाद।

(12) सामान्य अभियांत्रिकी

छातों के हैंडल, नाली के पाइप, ढलाई घर, अलौह धातु कार्य, स्टील ट्रंक, धातु की चादरों का कार्य, ताला बनाना, टिन का कार्य, लुहार

का कार्य, मेटल रोलिंग, एल्यूमिनियम, की वस्तुएं, डाक मोहरे, पीतल/तॉबा/घंटियों की धातु का कार्य, कृषि उपकरण, बीम स्केल, मशीनी खिलौने, औजारों का निर्माण, एसेम्बली कार्य, स्टोव पिन, सेफ्टी पिन, एल्यूमिनियम के बटन, सिगलन लैम्प, हरीकेन-लालटेन, कॉटेदार तार, चम्मच-कटलरी, कॉटा, पीतल/ढल्यूमिनियम/तॉबां/लोहा/चौदी/कांसा/जर्मन सिल्वर के बर्तन, तार-जाली, वेलहेड वायर मेश, उस्तरे, चाकू और दाढ़ी बनाने का ब्लेड, आरा, छेनी, बोटल के वाशर धड़ियों के लिए धातु की बनी चैन, जिप बंधक ताले।

(13) इलेक्ट्रानिक/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी

बिजली के उपकरण, रेडियों के उपकरण, मोटर के पुर्जों का निर्माण, साइकिल के पुर्जों का निर्माण, वर्धक, पी.वी.सी./सोल्डरिंग वायर, सजावटी बल्ब, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, बैटरी एलीमिनेटर्स/रेगुलेटर, श्रव्य उपकरण, हेअर ड्रायर, बैटरी चार्जर, छोटे ट्रांसफॉर्मर, बर्गलरी एलार्म।

(14) खेल का सामान

सभी प्रकार के खेलों के जाल, हाकी स्टिक, चिड़िया (शटल कॉक), क्रिकेट के बल्ले, गेंद, फुटबॉल, बॉलीबॉल और बास्केट बॉल कवर, शारीरिक स्वस्थता उपकरण।

(15) लेखन सामग्री

स्याही निर्माण, बॉल प्वाइंट पेन, फाऊंटेन पेन, पेन की निब, पेंसिल, पेपर पिन, कार्बन पेपर, हाथ से बनाये गए कागज, हाथ से बनाया गया गत्ता, रेखनपटल (ड्राइंग बोर्ड) पटरी (फुट रूलर्स)।

(16) कृषि उद्योग

(अ) कृषि निवेश उत्पादन अर्थात् रसायन, उर्वरक, खाद इत्यादि।

(आ) कृषि मशीनरी अर्थात् हल, कर्षक, चारा काटने वाली मशीन, तावेदार फावड़ा, कीटनाशक, डस्टर, स्प्रेयर्स, लेवलर, निरार्ड की मशीन।

(इ) कृषि अभिसंस्करण (खाद अभिसंस्करण इकाई सहित) :

(i) तेल उद्योग घानी तेल – नियो

(ii) धान और सिजरिअल्स की हाथ से कुटाई

(iii) चावल तैयार करना

(iv) आटा चक्की

(v) गन्ने का गुड़ और खंडसारी इकाई – गुड़ संडसारी

(vi) ताड़ का गुड़ और ताड़ के अन्य उत्पाद जैसे – नीरा, गुड़, पाम कैंडी, ताड़ के पत्तों की चटाई/अन्य उत्पाद, ताड़ के रेशे के ब्रश।

(ई) खाद्य अभिसंस्करण (निर्माण)

(i) फल अभिसंस्करण और परिरक्षण

(ii) फलों और सब्जियों की डिब्बा बंदी

(iii) कोको/काजू अभिसंस्करण

(iv) इमली अभिसंस्करण

(v) फरसाण/अल्पाहार

(vi) आचार और चटनी/सॉस/केचप/जेम

(vii) स्पाडसेज, मसाले और करी पाउडर

(viii) अफलम/पापड़ बनाना

(ix) सूप और नूडल

(x) सेवइयाँ मैकरोनी

(xi) समुद्री उत्पादों का अभिसंस्करण

(xii) बेकरी

(17) सिलाई और रेडीमेड पोशाक

होजरी, पोशाक तैयार करना, बुनाई और सिलाई, कमर का साज-सामान इत्यादि।

(18) रेशम उत्पादन

- 1— ऐरी, मूंगा और टसर के उत्पादन के लिए गैर शहतूत क्षेत्रों में रियरिंग और डीलिंग।
- 2— शहतूत क्षेत्रों में कीट-पालन, रीलिंग और बटाई और बुनाई गतिविधियाँ।

(19) नारियल का रेशा

नारियल के रेशे की चटाइयाँ, नारियल रेशे की रस्सियाँ।

(20) हथकरघा/पावरलूम

यार्न का निर्माण, कताई गतिविधियाँ, धागे के गोतेले, कॉटन फिलिंग्स, सूती, सिल्क और ऊनी कपड़े, लोक वस्त्र, पॉली वस्त्र।

(21) जनजाति/वन क्षेत्रों पर आधारित कार्यकलाप

- (i) फलों, पौधों, बीजों तथा पत्तों का एकत्रीकरण/अभिसंस्करण/विपणन।
- (ii) पेड़ मूल के तिलहनों में से तेल निकालना।
- (iii) फूलों का आसवन (डिस्टिलेशन)।
- (iv) शहद निकालना।
- (v) विभिन्न स्रोतों से रेशे निकालना।
- (vi) घास, बेल, बॉस पर आधारित कलाएं।
- (vii) बुड क्राफ्ट।
- (viii) सामाजिक वानिकी पौधों के लिए गमले।
- (ix) कत्था तैयार करना।
- (x) गोंद, राख का एकत्रीकरण/अभिसंस्करण।
- (xi) लाख का एकत्रीकरण/अभिसंस्करण
- (xii) अन्य उत्पाद।

ऋण हेतु प्रक्रिया

राष्ट्रीय बैंक वस्तुतः गैर कृषि क्षेत्र के लिए पात्रता संबंधी मानदण्डों को लागू ही नहीं किया है जिसके आधार पर गतवर्ष की वसूलियों के आधार पर ही पुनर्वित्त की मात्रा सुनिश्चित की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अकृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्वाध ऋण सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय बैंक ने कृषि क्षेत्र पर लागू नियमों को अकृषि क्षेत्र के लिए लागू न करके परोक्ष रूप में गैर कृषि के लिए ढील दी है।

गैर कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है बल्कि इसके लिए अन्य ऋणों की अपेक्षा प्रक्रिया अधिक सरल हैं। इसका मुख्य कारण है कि गैर कृषि ग्रामीण ऋण अधिकांश रूप से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ही आते हैं। अतः इनमें प्रतिभूति, मार्जिन आदि के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार शिथिलता दी जाती है।

कृषि वित्त के स्रोत

भारत में कृषि वित्त की अल्पकालीन और मध्यकालीन आवश्यकताएँ ग्रामीण साहूकारों, सहकारी साख समितियों तथा सरकार से उधार लेकर पूरी की जाती है। दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति सामान्यतः साहूकारों तथा भूमि विकास बैंकों से की जाती है। ग्रामीण साख 'सर्वेक्षण' के अध्ययन के अनुसार, कृषिकों के अधिकांश वित्त की व्यवस्था गैर संस्थागत स्रोत से होती थी। मूल रूप से पेशेवर महाजन या सम्पन्न कृषक उस श्रेणी में आते थे और सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत भाग इन्हीं गैर संस्थागत अभिकरणों द्वारा दिया जाता था। सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि में सहकारी साख का अंश केवल 3.3 प्रतिशत और व्यापारिक बैंक का अंश मात्र 0.9 प्रतिशत था। इस प्रकार 1954 में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से यह स्पष्ट था कि गैर संस्थागत अथवा व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा दिया जाने वाला ऋण ही प्रमुख था, भले ही इसकी शर्तें किसान को आजीवन अपने चंगुल में दबोच लेने वाली और भविष्य की पीढ़ी को भी प्रभावित करने वाली थी। कृषि-वित्त के विभिन्न स्रोतों यथा ग्रामीण साहूकार, सहकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक व राजकीय तकाबी द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की संरचना में आधारभूत परिवर्तन हुआ है तथा — नियोजन के पूर्ण जैसा कि अखिल भारतीय सर्वेक्षण समिति ने अनुमान लगाया था कि कुल प्रदत्त

धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा दिया जाता है अब धीरे-धीरे सहकारी एवं राजकीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत बढ़ रहा है और गैर संस्थागत व्यक्तिगत अभिकरणों का योगदान कम हो रहा है।

कृषि वित्त के स्रोत को निम्न प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं :

(अ) गैर संस्थागत स्रोत

(ब) संस्थागत स्रोत

गैर-संस्थागत स्रोत

गैर संस्थागत स्रोत के अन्तर्गत ग्रामीण साहूकार, व्यापारी एवं कमीशन एजेंट तथा रिश्तेदार आते हैं।

(1) ग्रामीण साहूकार

साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय-समय पर ऋण देता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारों को दो वर्गों में विभक्त किया। प्रथम कृषक साहूकार या महाजन एवं द्वितीय व्यवसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं, लेकिन धनवान होने के कारण कृषि के साथ-साथ धन उधार देने का भी व्यवसाय सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यवसायिक साहूकार वे व्यक्ति होते हैं जिनका धन उधार देने का कार्य मुख्य व्यवसाय होता है।

कार्य प्रणाली : इन साहूकारों के कार्य करने के ढंग सरल होते हैं। यह अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। यह ऋण उत्पदन व उपभोग दोनों प्रकार के होते हैं। ऋण जमानत

लेकर तथा बिना जमानत दोनों प्रकार से दिये जाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये शीघ्रता से तथा आवश्यकता के समय ऋण देते हैं।

लोक प्रिय होने के कारण : साहूकार अपने-अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं :

- 1— ये उत्पादक तथा अनुत्पादक एवं दोनों ही उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं।
- 2— यह अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन तीनों ही श्रेणियों के ऋण प्रदान करते हैं।
- 3— इनकी ऋण प्रदान करने की पद्धति सरल होती है।
- 4— इनसे सम्पर्क करना अत्यन्त सुगम होता है।
- 5— यह हर समय ऋण देने को तत्पर्य रहते हैं।
- 6— यह बिना जमानत के भी ऋण प्रदान करते हैं।
- 7— यदि इनको ब्याज समय पर मिलता रहता है तो यह ऋण वापसी पर जोर नहीं देते हैं।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार इन साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर संस्थागत वित्त के अभाव में इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। किन्तु यह सुविधा व सेवा जो पूर्णतः शोषण पर आधारित हो, किसी भी समाज में मान्य नहीं होनी चाहिए। इन सबके बावजूद सन् 1951-52 में कृषि साख में इनका योगदान लगभग 75 प्रतिशत था जो 1960-61 में घटकर लगभग 61 प्रतिशत एवं 1981 में 26.9 प्रतिशत तथा वर्तमान में लगभग 23.7 प्रतिशत रह गया है।¹

भारत में साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम है इनके प्रमुख दोष निम्न है —

- 1— इनके द्वारा बहुत अधिक दर से ब्याज ली जाती है जो सामान्यतः 18 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक होती है तथा कभी-कभी तो 60 प्रतिशत तक होती है।
- 2— अशिक्षित किसानों में मनमानी राशि पर अंगूठा निशान लगवा लिया जाता है तथा हिसाब किताब भी ईमानदारी से नहीं रखते हैं।
- 3— साहूकार ऋण देते समय आगे आने वाली फसल को कम मूल्य पर उसको बेचने का वचन ऋणी से प्राप्त कर लेता है। इससे ऋणी को हानि होती है।
- 4— साहूकार अपने ऋणी से बहुत से कार्य मुफ्त करा लेते हैं। उपर्युक्त दोषों के आधार पर बम्बई बैंकिंग जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि, “साहूकारों के लेन-देन का ढंग इस प्रकार का है कि एक बार उनसे ऋण लेने पर छुटकारा पाना कठिन है।” अतः सरकार ने इन पर नियंत्रण लगा दिये हैं जिनके अनुसार प्रत्येक साहूकार व महाजन को इस प्रकार का व्यवसाय करने पर रिजर्व बैंक से अनुमति-पत्र लेना पड़ता है।

(2) व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट

ये व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट भी किसानों के साख की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। परन्तु इनका दोष यह है कि ये किसानों को कम मूल्य पर फसल को बेचने के लिए वाध्य करते हैं और इनके बदले में वे अधिक कमीशन वसूलते हैं। इस प्रकार के साख ये कुछ विशिष्ट फसलों, जैसे तम्बाकू, मूंगफली, फल आदि

के लिए ही प्रदान करते हैं। इन व्यापारियों एवं एजेन्टो की कार्य प्रणाली महाजनों जैसी ही है। ये भी शोषण की प्रक्रिया का अपनाते हैं।

(3) रिश्तेदार

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवश्यकता पड़ने पर अपने रिश्तेदारों से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के साख आपसी सम्बन्धों के आधार पर अनौपचारिक रूप से लिये जाते हैं। रिश्तेदारों द्वारा लिये गये साख पर ब्याज की दर या तो होती ही नहीं और अगर होती है तो बहुत नीची। ऐसे साख प्रायः अल्पकालीन होते हैं।

संस्थागत स्रोत

(1) **साहकारी साख संस्थाएं** : भारत में सहकारी संस्थाएं बीसवीं शताब्दी की देन हैं और आजकल यह कृषि वित्त में अच्छा योगदान दे रही हैं। यहां यह संस्थाएं तीन स्तरों पर पायी जाती हैं। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। यह संस्थाएं अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस समय देश में 91 हजार प्राथमिक सहकारी समितियाँ, 363 केन्द्रीय बैंक या जिला सहकारी बैंक, 28 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रही हैं। "इन सभी ने 1997-98 में 14775 करोड़ रुपये की कृषि साख कृषकों को उपलब्ध करायी है।"¹

(2) **भूमि बन्धक या भूमि विकास बैंक** : भारत में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने के लिए इस प्रकार की बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 में मद्रास में की गयी थी। यह बैंक कृषक की भूमि गिरवी

रखकर ऋण सुविधाएँ प्रदान करती हैं। यह ऋण लम्बी अवधि के लिए कुएँ खुदवाने, पम्प सेट लगवाने, खेती सम्बन्धी यंत्र व ट्रैक्टर खरीदने, आदि के लिए दिये जाते हैं। इन बैंकों का कृषि साख में योगदान प्रारम्भ में बहुत ही कम रहा, परन्तु धीरे-धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति पायी गई। वर्ष 1950-51 में पाँच केन्द्रीय भूमि विकास बैंक थे जिनकी संख्या 1986 में बढ़कर 19 तथा वर्तमान में 20 हो गई। ये भूमि विकास बैंक अधिकांशतः तमिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में केन्द्रित हैं। इन बैंकों की साख सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ बड़े किसानों को ही प्राप्त हुआ। छोटे किसान एक ओर अपनी अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण इनकी लाभदयकता से अपरिचित रहे, दूसरी ओर जोतो का आकार छोटा होने के कारण भी इनसे लाभ नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि ये बैंक प्रतिभूति पर साख प्रदान करते हैं जिसका छोटे किसानों के पास अभाव होता है।

(3) व्यापारिक बैंक : 1951-52 में अखिल भारतीय स्तर पर कृषि वित्त हेतु व्यापारिक बैंकों का योगदान लगभग नगण्य था, लेकिन अब शनैः-शनैः व्यापारिक बैंकों का योगदान बढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक प्रत्यक्षतः वित्त उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कृषि विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। व्यापारिक बैंक ने केवल कृषकों को उर्वरक खरीदने, पम्पिंग सेट खरीदने एवं अन्य उपकरण खरीदने के लिए ही ऋण नहीं दे रहे हैं, वरन उर्वरक एवं विभिन्न कृषि यंत्रों के कारखानों के निर्माण हेतु भी ऋण दे रहे हैं, जो परोक्षतः कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। ये व्यापारिक बैंक कृषकों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता देने के लिए भी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक, सहकारी समितियों (जो कि कृषि ऋण प्रदान करती हैं) को भी वित्तीय सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। 1970 में व्यापारिक बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने की योजना आरम्भ की गयी है। इस समय यह योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम राज्यों में लागू हैं।

कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के आधार पर ही **नावार्ड** जैसी शीर्षस्थ संस्था की स्थापना 1982 में की गयी थी। 'लीड बैंक' स्कीम के माध्यम से विशिष्ट साख योजनाएं तैयार की गयी हैं जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों ने कृषि एवं ग्रामीण साख के सही एवं लाभदायक उपयोग हेतु कृषि अधिकारियों की भी नियुक्तियां की हैं।

उपयुक्त बातों को देखते हुए निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंक कृषि साख में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परन्तु इन बैंकों की कार्य प्रणाली में अभी भी कुछ कमियाँ हैं। जैसे, इन बैंकों का उन्हीं क्षेत्रों में विस्तार हुआ है जहां पर पहले से अन्य अभिकरणों द्वारा साख सुविधाएं उपलब्ध थी। इन बैंकों द्वारा साख का असमान वितरण भी हुआ है। किन्तु इनके पास अभी भी तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है। सरकारी विभाग एवं इनके बीच समन्वय का अभाव है तथा इनकी साख का लाभ अधिकतर बड़े एवं मध्यम वर्ग के ग्रामीणों को ही मिला है। ये लाभार्थियों का सही का भी सही चयन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारी जनता में अपना विश्वास नहीं बना पा रहे हैं।

(4) स्टेट बैंक : भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया है जिसके परिणाम स्वरूप यह निम्न प्रकार की सुविधाएं दे रहा है :

- 1— जिन स्थानों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है या सहकारी समितियां सुविधा देने में अंसमर्थ है वहां यह बैंक सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण देती है।
- 2— यह बैंक सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने में निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है।
- 3— यह गोदामों को बनाने के लिए ऋण की सुविधा देती है।

- 4— भारतीय स्टेट बैंक भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्रों को खरीदकर उनकी सहायता करती है।
- 5— कृषकों को ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों को क्रय करने एवं सिंचाई के लिए पम्पसेट आदि लगाने के लिए यह बैंक उनको प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है।
- 6— यह बैंक केन्द्रीय व राज्य भण्डार निगमों की रसीद पर भी ऋण प्रदान करती है।
- 7— यह ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलकर कृषि वित्त के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का प्रयास कर रही है। इस समय स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकों की 77.1 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में है।

भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि वित्त के विस्तार के लिए 1972 में एक योजना बनाकर लागू की है। जिसके अन्तर्गत 508 कृषि विकास शाखाएं खोली गयी है जिनका कार्य कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

भारतीय स्टेट बैंक ने भी 'गाँव अंगीकृत योजना' आरम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य गोद लिये गये अर्थात् 'अंगीकृत गाँव' के सभी कार्यक्षम किसानों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

(5) रिजर्व बैंक : देश में कृषि-विकास की महति आवश्यकता को देखते हुए प्रारम्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना की है। यह बैंक राज्य सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों, तथा ऋणपत्रों के आधार पर अल्पकालीन साख प्रदान करता है। कृषि बिलों के आधार पर लिये गये ऋणों पर ब्याज में 2 प्रतिशत थी छूट दी जाती है। 1950 में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि-साख की दष्टि से राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष और राष्ट्रीय कृषि-साख

(स्थानीयकरण) कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि-साख दीर्घकालीन कोष की स्थापना राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों की अंशपूंजी प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अंशदान देने के लिए की गयी है। इस कोष का आरम्भ 10 करोड़ रुपये से किया गया था और यह सोचा गया था कि प्रतिवर्ष इसमें 5 करोड़ रुपये की वृद्धि की जायेगी। राष्ट्रीय कृषि-साख दीर्घकालीन कोष के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि-साख स्थानीयकरण कोष की स्थापना एक करोड़ रुपये की राशि से, राज्य सहकारी बैंकों को मध्कालीन ऋण देने के लिए की है।

वर्तमान में रिजर्व बैंक के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण साख के क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का विकास एवं विस्तार हुआ है और हो रहा है। कृषि साख नीतियां रिजर्व बैंक के कृषि विभाग द्वारा तैयार की जाती रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय साख विकास निगम आदि रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण साख की आपूर्ति के लिए स्थापित किये गये है; जिनकी पूंजी एवं वित्त व्यवस्था का अधिकांश हिस्सा रिजर्व बैंक द्वारा ही प्रदान किया गया है।

(6) सरकार द्वारा कृषि वित्त : राज्य सरकारों द्वारा भी कृषि के लिए वित्त व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था सामान्यतया भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 व कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत की जाती है। कृषक को जो ऋण दिये जाते हैं इन्हें तकावी (Taccavi) कहते हैं। यह ऋण या तकावी आकाल, बाढ़ या इसी प्रकार के संकट के समय ही राज्य सरकारें देती हैं। ऋणों की वापसी किस्तों में होती है जिन्हे माल गुजारी के साथ चुकाना पड़ता है। आजकल यह ऋण अधिक लोकप्रिय नहीं रह गये हैं।

कृषि वित्त के उपयुक्त संस्थागत स्रोतों के अतिरिक्त कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने आठवें एवं नवें दशक में कुछ विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की है। ये संस्थाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं नाबार्ड के रूप में स्थापित है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन श्रमिकों के वित्तीय आवश्यकताओं के समाधान हेतु बैंकिंग आयोग द्वारा 1972 में ग्रामीण बैंकों को खोलने का सुझाव दिया गया है। आयोग का यह विचार था कि ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायें और उनका प्रबन्ध स्थानीय नेतृत्व द्वारा किया जाय। श्री नरसिम्हन की अध्यक्षता में नियुक्त कार्यकारी दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपयुक्तता पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि कुछ चुने क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक खोले जाये। ग्रामीण बैंकों को खोलने के लिए 27 सितम्बर, 1975 को अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 ग्रामीण बैंक खोले गये। उत्तर प्रदेश में दो, मुरादाबाद और गोरखपुर में क्रमशः सिण्डीकेट बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजस्थान में एक, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक द्वारा, हरियाणा के भिवानी स्थान पर एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा और पश्चिमी बंगाल के माल्दा नामक स्थान पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा खोला गया।

क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों, छोटे एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को समयानुसार सरलतापूर्वक उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध करा कर ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन बैंकों की अधिकांश शाखाएं बैंकिंग दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोली गयी है, जहां पर बैंकिंग सुविधाएं पहले से उपलब्ध नहीं थी। ये ग्रामीण क्षेत्र की परिवारिक बचतों को भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान में इनके कुल दिये गये ऋणों में कमजोर वर्गों का अंश लगभग 90 प्रतिशत या इससे अधिक है। इन बैंकों ने अल्पावधि के कार्यकाल में ही ग्रामीण साख में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

देश के कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में वृद्धि करने एवं विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय दिसम्बर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चरणसिंह के मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया था जिसको श्रीमती गाँधी की सरकार द्वारा साकार रूप दिया गया।

स्थापना : राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया जिसने 15 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए शिर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

पूँजी : इस बैंक की अधिकृत पूँजी 500 करोड़ रुपये है जिसे अगले 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपये कर दिया जायेगा। वर्तमान में इसकी पूँजी 330 करोड़ रुपये है जिसे रिजर्व बैंक व केन्द्रीय सरकार ने बराबर मात्रा में दिया है।

कार्य : इस बैंक को वे सभी काम दिये गये हैं जो रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। यह बैंक कृषि साख को एक छाते के नीचे लायेगी और अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक है उसी प्रकार कृषि विकास के लिए यह बैंक सर्वोच्च बैंक होगी जो सभी एजेन्सियों के कार्य में समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करेगी।

इस बैंक को कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के वे सभी कार्य सौंपे दिये गये हैं। जो यह निगम करता था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष व राष्ट्रीय कृषि साख (स्थानीयकरण) कोष भी रिजर्व बैंक ने इसको हस्तान्तरित कर दिये हैं।

यह बैंक अपनी आवश्यकताओं के लिए बॉण्ड या ऋणपत्र जारी कर सकती है जिस पर केन्द्रीय सरकार की मूलधन व ब्याज की वापसी की गारण्टी होगी। यह बैंक कृषि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की साख की व्यवस्था करेगी, जैसे उत्पादन व विपणन ऋण, राज्य सरकारों को ऐसी ही संस्थाओं के पूँजी लाभ के लिए ऋण।

क्रियाएँ : इस बैंक ने पहले वर्ष से ही प्रशंसनीय कार्य किया है। इस बैंक ने 1997-98 में सहकारी बैंकों को 10866 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है, जबकि इससे पूर्व वर्ष में इसने इस प्रकार के 8984 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की थी।¹

1. स्रोत : भारतीय अर्थशास्त्र - डॉ. चतुर्भुज मामोरिया एवं डॉ. एस.सी. जैन, पेज नं. 229

अध्याय - 5

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारत की कुल जनसंख्या का 74 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। इस विशाल देश के लिए यह कहा जाता है कि “भारत एक अमीर देश है जहां गरीब बसते हैं।” इस विरोधाभास को दूर करने का एक मात्र उपाय है हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योगों का व ग्रामीण जनशक्ति का पूर्ण सदुपयोग। इस बात को ही ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने देश के नेताओं तथा तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया था कि गांवों का विकास, कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है। सन् 1928 में कृषि शाही आयोग ने इस सम्बन्ध में कहा था कि, “भारतीय किसान ऋण का बोझ कंधे पर लेकर जन्म लेता है, ऋणग्रस्तता में ही पूरी जिन्दगी बिताता है, ऋण में ही उसका अन्त हो जाता है। इतना ही नहीं वह अगली पीढ़ी के लिए भी ऋण का बोझ पीछे छोड़ जाता है। इस प्रकार निर्धनता व ऋणग्रस्तता भारतीय किसान के जीवन के अविभाज्य अंक है।”¹

ग्रामीण विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को प्रारम्भ से ही महसूस किया गया। सरकार अपने निजी साधनों से इतनी अधिक मात्रा में वित्तीय साधनों का प्रबंध करने में असमर्थ थी। यह कार्य बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की व्यवस्था करना एवं देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए ही सम्भव था। अतः इस दिशा में सरकार ने कदम

1. डॉ. श्रीवास्तव आर.एम. मनेजमेन्ट्स ऑफ कोर्स प्रगति प्रकाशन मेरठ, 1988, पृष्ठ संख्या 75

बढ़ाया और बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की योजना बनायी। परन्तु इन व्यवसायिक बैंकों की स्थापना लागत अधिक थी। अतः देश के दूर-दराज के अंचलो में इनकी शाखाओं का खोला जाना व्यवहारिक नहीं पाया गया और यही कारण था कि गरीबी तबके तक अधिकोषीय सुविधा प्रदान करना सरकार के लिए दुष्कर हो गया।

स्वतंत्रता के बाद विकास का क्रम आरंभ हुआ, योजनाएं बनी, योजना आयोग बना और एक विशाल तंत्र विकास के नाम पर खड़ा किया गया जो एक विशालकाय अजगर के रूप में विकास क्रम पर हावी होता गया। चहुंमुखी विकास की परिकल्पना में विकास की मूल इकाई "गांव" को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली। राष्ट्रीय व अन्य स्तरों पर किये गये उपायों का लाभ व्यवहारिक रूप में सामान्य जन विशेषकर ग्रामीण लघु और सीमांत कृषकों को नहीं मिल पाया और विकास क्रम में निरन्तर सुधार की आवश्यकता महसूस होती गयी।

1950 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर सरकार को ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं के विस्तार का सुझाव दिया। सन् 1951-52 में रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण से किसानों की ऋण सम्बन्धि आवश्यकताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार की वित्तीय सेवाओं की जरूरत उजागर हुई। इसी बात को ध्यान में रखकर सहकारी बैंक भी बनाये गये लेकिन ये बैंक छोटे किसानो, दस्तकारों तथा खेतिहर मजदूरों को संतोषजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल नहीं रहे तथा इनका लाभ केवल बड़े किसान ही उठा पाये। आकड़ों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राथमिक कृषि सहकारिताओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण का सिर्फ 35 प्रतिशत, दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को ही मिला। दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को 51

प्रतिशत हिस्सा मिला जबकि खेतिहर मजदूरों, काश्तकारों और बटाईदारों को तो सिर्फ 4 प्रतिशत से संतोष करना पड़ा।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक बैंकिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अनेक कारणों से कोई खास सफलता नहीं मिली। भारत में करीब सात लाख गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराना कोई आसान कार्य नहीं था। फिर व्यवसायिक बैंकों का काम करने का अपना तरीका होता है और वे लाभ को ध्यान में रखे बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त इन बैंकों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि आम ग्रामीण जनता इनमें जाने से हिचकती थी। अन्य शब्दों में कहें तो बैंकों के दरवाजे उसके लिए बन्द थे। बैंकिंग का एक सामान्य मानदंड बन चुका था कि ग्रामीण गरीब परिवार उधार का पात्र नहीं होता। छोटे किसानों और दस्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने में तो व्यवसायिक बैंकों का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित ऋण सुविधाओं का केवल 10 प्रतिशत ही इन लोगों को मिल पाता है। राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का पर्याप्त विकास हुआ है, किन्तु ग्रामीण शाखाओं की उत्पादकता का स्तर काफी कम रहा है। इससे इनकी लाभ प्रदता भी कम हुई है।

ग्रामीणों के लिए विशेष बैंक

इस आशय के विचार, लगभग सभी वर्ग के प्रबुद्ध जनों के द्वारा व्यक्त किये गये कि वर्तमान में कार्यरत ऋण सुविधा प्रदान करने वाली संस्थायें चाहे वे व्यवसायिक बैंक हो अथवा सहकारी बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप में साधारण आदमी की आवश्यकता पूर्ति के लिए सक्षम/पर्याप्त नहीं है। विकास कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए लाभान्वित होने वाले वर्ग को समूह रूप में पहचाना जाना व एक ऐसी ऋण संस्था का

गठन किया जाना आवश्यक होगा जो इस समूह की विभिन्न ऋण सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावी रूप में कर सके। इस विचार क्रम पर विभिन्न विचार आते रहें, विचार क्रम आगे बढ़ता रहा और किसी अलग ऋण सम्बन्धि संस्था के गठन की आवश्यकता तीव्रता से महसूस होती रही जो आसानी से और कम खर्च में लक्ष्य समूह तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचा सके। सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्गों के लोगों की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष बैंक खोले जाये। 1975 में सरकार ने श्री एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त होने वाले संस्थागत ऋणों के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा। इस कार्यदल का गठन करके सरकार ने एक तरह से यह बात स्वीकार की कि गांवों के छोटे और सीमांत किसानों, दस्तकारों और अन्य जरूरतमंद लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। यह भी महसूस किया गया कि अगर जरूरत मंद लोगों को संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है तो कर्ज देने के नियमों और शर्तों में बदलाव लाना होगा। व्यावसायिक बैंकों के समान तौर-तरीके अपनाकर यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। नरसिम्हन कार्यदल ने इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के नियंत्रण वाले "ग्रामीण विकास बैंकों" की स्थापना का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहकारिताओं की तरह स्थानीय ग्रामीण समुदाय की जरूरतों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही उनमें व्यवसायिक बैंकों की तरह आधुनिक दृष्टिकोण, प्रबंध-कौशल और धन जमा करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

नरसिम्हन समिति (1975) की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना का फैसला किया तथा 26 सितम्बर

1975 को राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश लागू किया गया। समिति ने इस तंत्र को सामान्य बैंकिंग तंत्र के रूप में प्रसारित करने के प्रति अपनी राय नहीं दी थी परंतु परीक्षण के तौर पर 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया था जो ऐसे क्षेत्रों में खोले जाने थे जहां वर्तमान ऋण वितरण प्रणाली कमजोर थी। इसी आधार पर महात्मा गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1975 को उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर और पश्चिम बंगाल में माल्दा में, पांच "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों" का शुभारम्भ किया गया। देश में ग्रामीण साख के क्षेत्र में यह एक अभिनव परिवर्तन था। 19 फरवरी, 1976 से इस अध्यादेश के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (Act No. 21 of 1976) पारित किया गया। और यह 26 सितम्बर 1975 से लागू माना गया।

अधिनियम में पिछड़े इलाकों और बैंकिंग सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रावधान किया गया तथा उन सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की बात कही गयी जहां सहकारी बैंक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की श्रृंखला में यह एक नयी कड़ी प्रारम्भ हुई।

स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य

इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि मजदूरों, दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। वस्तुतः इन बैंकों से लाभान्वित होने वाला वर्ग कमजोर वर्ग की श्रेणी में आता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 18 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्न कार्य कर सकती है —

1. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उस व्यापार एवं सौदों को करेगा जो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत परिभाषित है।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेषतः निम्न प्रकार का व्यापार करेगा:
 - (a) छोटे व मझोले किसानों, कृषक मजदूरों सहकारी समितियों, कृषि वाणिज्य समिति, कृषि प्रक्रियात्मक समिति, सहकारी खेती समिति, प्रारम्भिक कृषक साख समिति, किसान सेवा समिति को ऋण प्रदान करना तथा अग्रिम देना।
 - (b) दस्तकार, छोटे उद्योगों, छोटे व्यापार में कार्यरत व्यक्तियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना।

संक्षिप्त में इस बैंक के प्रमुख उद्देश्य व कार्य निम्न है :

- (i) ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को उपभोग ऋण प्रदान करना।
- (ii) ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना।
- (iii) ग्रामीणों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करना।
- (iv) ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के दस्तकारों, कृषि मजदूरों, लघु सीमान्त कृषकों आदि को साख की आवश्यकता की पूर्ति कर गरीबी को दूर करना।
- (v) कृषिगत उत्पादक कार्यों में विनियोजन बढ़ाना।
- (vi) संस्थागत साख विस्तार द्वारा ग्रामीण साख की खाई को पाटना।
- (vii) ग्राम वासियों को महाजनों एवं फुटकर व्यापारियों के शोषण से मुक्ति दिलाना।
- (viii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास करना।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कमान क्षेत्र एक राज्य के एक से पांच जिलों तक सीमित हैं, जिसके बाहर ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर सकता है। इनकी स्थिति अनुसूचित व्यापारिक बैंकों जैसी ही है जिसका प्रयोजन सहकारी अथवा व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये (वर्तमान में 5 करोड़ रुपये) तय की गई तथा निर्गमित पूंजी 25 लाख रुपये (वर्तमान में एक करोड़ रुपये) निश्चित की गयी जिसमें से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, 35 प्रतिशत प्रयोजक बैंक तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा लगायी जाती है।

प्रारम्भ में पांच स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित थे :

क्र. सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम	स्थान व राज्य का नाम	प्रायोजक बैंक का नाम
1.	प्रथमा बैंक	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	सिंडीकेट बैंक
2.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	गोरखपुरा, उत्तर प्रदेश	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3.	जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	लावण, राजस्थान	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक
4.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	शिवानी, हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक
5.	गौड़ ग्रामीण बैंक	माल्दा, पश्चिम बंगाल	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया

स्रोत : नाबार्ड

स्थापना एवं पूंजी

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जिसका शीर्षक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश 1975 था, जारी किया गया इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रवर्तक बैंक के प्रार्थना पर सरकारी गजट

में प्रकाशन के द्वारा किसी राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र में एक या एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नोटिफिकेशन में वर्णित नाम से स्थापित कर सकता है, और यह निर्धारित करेगा कि किस स्थानीय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य करेगा।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक नाम होगा जिस नाम से वह सम्पत्ति अर्जित कर सकती है और बेच सकती है इसी नाम से वह किसी से अनुबन्ध कर सकती है तथा उस पर मुकदमा भी इसी नाम से चलाया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मदद करना और सहायता देना प्रवर्तक बैंक का कर्तव्य होगा। प्रवर्तक बैंक अंश पूंजी में अंशदान देगा, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा तथा स्थापना के प्रथम पांच वर्ष तक प्रबन्धकीय एवं आर्थिक सहायता देगा।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अपना एक मुख्य कार्यालय प्रकाशित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक की राय से बनाया जायेगा और सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा। यह आवश्यकतानुसार निर्धारित क्षेत्रों में शाखाएं खोलेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्राधिकृत पूंजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 के अनुसार 5 करोड़ रुपये होगी और प्रत्येक अंश 100 रुपये का होगा। चुकता अंशपूजी 1 करोड़ रुपये रखी गई हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, प्रायोजक बैंक द्वारा 35 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत एकत्रित होनी चाहिए।

बैंक का प्रबन्धन

बैंक का प्रबन्धन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके 9 सदस्यीय संचालक होते हैं जिनमें से 6 केन्द्रीय सरकार 1 राज्य सरकार तथा 2 प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संचालक मण्डल के

अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी दशा में ये पन्द्रह से अधिक नहीं हो सकती है। इस संचालक मण्डल को समय-समय पर निर्गमित सरकारी आदेशों का पालन करना होता है। प्रत्येक संचालक (अध्यक्ष को छोड़कर) का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होगा और वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा।

प्रवर्तक बैंक किसी व्यक्ति (जो प्रवर्तक बैंक का अधिकारी न हो) को अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिए नियुक्त करेगा जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन महीना का नोटिस या तीन माह का वेतन व भत्ता देकर निश्चित समय से पूर्व समाप्त कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित बैंक मानकर अपनी द्वितीय सारणी में सम्मिलित कर लिया है। रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा -1(क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की है जिसके अनुसार इन बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 25 प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है और कुल मांग एवं समग्र दायित्वों का 3 प्रतिशत ही रखना होता है।

अंश पूंजी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यदल की सिफारिशें :

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा अंश पूंजी में 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया। इससे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 194 की चुकता पूंजी बढ़कर 50 लाख रु. हो गयी है।¹

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशों पर भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंश पूंजी को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया।¹

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों संबंधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निर्गमित अंश पूंजी 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये कर दी।²

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों संबंधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 50 लाख रुपये की निर्गमित अंश पूंजी से 75 लाख रुपये और अन्य 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से प्रत्येक के लिए 75 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया।³

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987

श्री एस.एम. केलकर की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 द्वारा संशोधन किया गया। यह संशोधन 28 सितम्बर 1988 से लागू हुआ।

उक्त संशोधन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण भेद निम्नलिखित हैं :

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये तथा चुकता अंश पूंजी 25 लाख रुपये से बढ़कर एक करोड़ रुपये कर दी गयी है।

-
1. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन अप्रैल 1992 (परिशिष्ट) पृष्ठ 58
 2. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जनवरी 1993 (परिशिष्ट) पृष्ठ 45
 3. भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन मई 1994 (परिशिष्ट) पृष्ठ, 44

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के संबध में भी संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय बैंक द्वारा संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक से विचार विमर्श करके दो या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन किया जा सकता है। इस तरह का समामेलन करते समय लोकहित, क्षेत्रीय ग्रामीण, बैंक द्वारा सेवित क्षेत्र के विकास तथा स्वयं ग्रामीण बैंकों के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजक बैंक द्वारा राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करके की जाएगी।

(4) प्रायोजक बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वे समय समय पर अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति की निगरानी करें, उनका निरीक्षण तथा उनकी आन्तरिक लेखा-परीक्षा करें एवं उनकी सुरक्षा की जांच करे तथा जहां कहीं आवश्यक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुधरात्मक उपाय सुझाये।¹

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के बारे में प्रायोजक बैंकों को और बड़े उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं। अंश-पूंजी में अंशदान करने के साथ-साथ, वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रथम पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रबंधात्मक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में उनकी सहायता करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित विभिन्न समितियां तथा उनकी सिफारिशें

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यकारी दल (नरसिम्हन कमेटी 1975)

इस समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें थी :

- (i) प्रायोजक बैंक प्रतिनियुक्त स्टाफ का खर्च स्वयं वहन करें।
- (ii) ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाकर कृषि व सहायक गतिविधियों का विकास करने में योगदान दें।
- (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टाफ प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था करे।
- (iv) पुनर्वित्त सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध कराये।¹

(2) दौंतवाला समिति (1977)

1977 में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रथम बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपयोगिता की जाँच हेतु दौंतवाला समिति गठित की गई। इस समिति में इन बैंकों के प्रयासों तथा क्षमताओं की प्रशंसा की तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि व्यवसाय का स्तर बढ़ने के साथ ही इनकी लाभ प्रदता का संकट भी समाप्त हो जायगा। समिति ने यह भी कहा कि बैंकों का प्रसार विशेष रूप से दूर-दराज अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाय तथा कुल ऋण का 60 प्रतिशत ऋण ग्रामीण लघु कृषकों, दस्तकारों, फुटकर व्यापारियों, कृषक मजदूरों और अन्य निर्धन ग्रामीणों को दिया जाय।²

1. स्रोत : कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 15

2. स्रोत : कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 15

(3) केलकर समिति (1986)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने केलकर समिति का गठन किया जिसने इन बैंकों की कार्य प्रणाली की कड़ी समीक्षा की तथा इनके प्रबन्ध व व्यवहार्यता के अनेक पहलुओं पर अपने सुझाव दिये। यह रिपोर्ट सरकार को 10 मार्च 1986 को प्राप्त हुई। इसमें प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी :

- (1) सक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी जाय तथा चुकता पूंजी 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी जाये।
- (2) प्रयोजक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उनके पास चालू खाते में जमा रकम को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाएं ताकि उन्हें उच्चतर दर पर लाभ मिल सके।
- (3) ऋण जमा अनुपात जो ग्रामीण बैंकों के लिए 100 निर्धारित है नाबार्ड द्वारा इसके घटाने पर विचार किया जाय ताकि यह प्रतिबंधात्मक आदेश कमजोर तबके के लोगों को सरल ऋण उपलब्धि में बाधक न बने।
- (4) प्रयोजक बैंकों द्वारा सरल व उदार शर्तों पर कम लागत पर ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाय।
- (5) कुछ चुनी हुई संस्थाओं, निगमों, निकायों, बोर्डों इत्यादि को नाबार्ड द्वारा ऋण प्रदान करने की छूट प्रदान की जाए।
- (6) छोटे तथा अलाभकारी बैंकों का विलय किया जाये तथा इन बैंकों का कार्यक्षेत्र सामान्यतः 2 जिलो तक ही सीमित रखा जाए।

इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) एक्ट 1987 को मंजूरी दी। तब तक 196 ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे।

इसके बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रृंखला को विराम लग गया, जो कि अभी तक बरकरार है।

(4) खुशरो समिति (1989)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संगठनात्मक समस्याओं पर विचार करने के लिए 1989 में डॉ. ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में कृषि साख सर्वेक्षण समिति (1989) बनायी गयी। समिति ने विभिन्न पहलुओं, जैसे खराब वसूली, प्रबंधकीय तथा स्टाफ की समस्याएं, हासिल लाभ प्रदता आदि का अध्ययन करने के पश्चात इन बैंकों को प्रायोजक बैंकों में विलय का सुझाव दिया।¹

(5) नरसिंहन समिति (1991)

नरसिंहन समिति की सिफारिश थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण सह-इकाइयों की स्थापना की जाए जो बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को अपने अधिकार में ले लें। समिति ने इस बात का विकल्प क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके प्रायोजक बैंकों पर छोड़ दिया कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी पहचान बनाये रखे अथवा वे प्रायोजक बैंकों की ग्रामीण बैंकिंग सह-इकाइयों के साथ स्वैच्छिक आधार पर मिल जाए।²

(6) भण्डारी समिति (1994)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के बजट में की गयी इस आशय की घोषणा कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 का पुनरुद्धार और पुनर्गठन किया जायेगा, के अनुसरण में पुनर्गठन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का

स्रोत : 1. कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 24

स्रोत : 2. कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 25

अभिनिर्धारण करने के लिए डॉ. एम.सी. भंडारी, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। यह देखते हुए कि उक्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्तीय सुदृढ़ता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभिनिर्धारण किया है। भारत सरकार ने 50 में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करने के लिए समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लिया है।¹

(7) सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता की शर्मा समिति की संस्तुति (जनवरी 1998)

सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति नाबार्ड की देख-रेख सम्बन्धी भूमिका की समीक्षा के लिए गठित शर्मा समिति ने इन बैंकों के लिए भी पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करने की संस्तुति की है। रिजर्व बैंक के भूतपूर्व एकजीक्यूटिव डायरेक्टर यू. के. शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन जनवरी 1998 में किया गया। 27 अप्रैल 1998 को सौंपे गये अपने प्रतिवेदन में समिति ने कहा कि ग्रामीण साख का 60 प्रतिशत से अधिक भाग का वितरण इन्हीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। किन्तु परिसम्पत्तियों के हास के कारण वर्तमान में अधिकांश सहकारी बैंकों के पास एक लाख व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पास पांच लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी भी नहीं है। समिति ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्रवर्तक बैंक के माध्यम से इन बैंकों के पुनः पूंजीकरण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। समिति ने सहकारी बैंकों के लिए केन्द्र की 6,600 करोड़ रुपये की प्रस्तावित सहायता से वितरण में तेजी लाने की संस्तुति की है ताकि मार्च 1999 तक यह बैंक 4 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता के स्तर को प्राप्त कर सके।

इन बैंकों के कार्यकलापों पर निगरानी के लिए शर्मा समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्वायत्त बोर्ड ऑफ सुपरविजन गठित करने की संस्तुति की है। सहकारी बैंकों की भूमि, भवनों व अन्य भू-सम्पत्तियों के लेखे-जोखों का नियमित निरीक्षण करने की भी संस्तुति की है तथा यह भी कहा है कि प्राथमिक ऋण समितियों की निगरानी का जिम्मा केवल नाबार्ड पर न छोड़ा जाए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खातों का संचालन

बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी विभिन्न खातों का संचालन होता है, जैसे बचत खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता तथा आवर्ती जमा खाता आदि।

बचत खाता

यह खाता वेतन भोगी कर्मचारियों तथा सामान्य आय वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। इस खाते में दिन में कितनी ही बार रकमें जमा की जा सकती है किन्तु रकम निकालने की सुविधा सप्ताह में एक या दो बार ही दी जाती है। आजकल इस खाते पर ब्याज की दर 4.5 प्रतिशत वार्षिक है। इस खाते में निर्धारित राशि से कम जमा होने पर अथवा निर्धारित संख्या से अधिक बार रुपया निकालने पर बैंक ग्राहक पर कुछ प्रभार लगा सकता है।

सावाधि जमा खाता

इस खाते में एक निश्चित समय जैसे—तीन माह, छःमाह 1, 2, 3, 5 वर्षों के लिए रुपये जमा किया जा सकता है। इस खाते पर ब्याज की दर अन्य खातों की अपेक्षा ऊंची होती है। जो जमा की अवधि पर निर्भर करती है। इस खाते में रुपया जमा करने पर जमाकर्ता को एक जमा रसीद मिलती है जो अपरिवर्तनीय होती है। इस खाते में निश्चित अवधि से पहले न तो रुपया निकाला जाता है ओर न ही जमा किया जा सकता है। यदि जमाकर्ता अवधि के पूर्व ही अपनी रकम को वापस लेना चाहता है तो उसे जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की हानि उठानी पड़ती है। जमाकर्ता चाहे तो जमा रसीद की जमानत पर ऋण भी ले सकता है।

चालू खाता

इस खाते में जमाकर्ता बैंक के कार्य के घण्टों में कई बार चाहे जितनी रकम जमा कर सकता है और आवश्यकतानुसार निकाल सकता है। यह खाता व्यापारियों, एवं उद्योगपतियों के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा सुविधाजनक होता है क्योंकि उन्हें प्रतिदिन भुगतान में अनेक चेक प्राप्त होते हैं तथा भुगतान में अनेक चेक देने पड़ते हैं। बैंक प्रायः इस खाते पर ब्याज नहीं देते बल्कि वर्ष के अन्त में जमाकर्ताओं से व्यय के रूप में कुछ शुल्क वसूल करते हैं।

आवर्ती जमा खाता

आवर्ती जमा खाता बचत खाते तथा सावधि जमा खाते का मिला हुआ रूप है। यह खाता छोटी धनराशि से खोला जा सकता है परन्तु इसमें नियमित रूप से मासिक एक निश्चित धनराशि जमा करना आवश्यक होता है। यह खाता 5 रुपये अथवा उसके गुणित में खोला जा सकता है। जमा की अवधि एक से 10 वर्ष की हो सकती है। ब्याज—दर जमा की अवधि पर निर्भर करती है। अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित जमा की रकम जमाकर्ता को वापस कर दी जाती है। यदि किस्त जमा करने में त्रुटि की जाती है तो अगले मास प्रभार लगाया जाता है। अग्रिम किस्त जमा करने पर कटौती मिलती है।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति 1980 के बाद तीव्र गति से हुई है और इनकी संख्याओं और शाखाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तालिकाओं से लगाया जा सकता है :

तालिका 5.1

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

क्र. सं.	अवधि की समाप्ति पर	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत जिले	शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	दिस. 1975	6	12	17
2.	दिस. 1980	85	144	3279
3.	दिस. 1985	188	333	12606
4.	मार्च 1990	196	372	14443
5.	मार्च 1992	196	392	14539
6.	मार्च 1994	196	408	14542
7.	मार्च 1996	196	427	14497
8.	मार्च 1997	196	435	14500
9.	मार्च 2000	196	443	14513

स्रोत :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय दिसम्बर 1985, 1990
2. बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका मार्च 1997
3. बैंकिंग सांख्यिकी 2000

बैंकों का प्रसार

तालिका 5.1 के अवलोकन स्पष्ट होता है कि भारत में दिसम्बर 1975 में जहां केवल 6 ग्रामीण बैंक स्थापित थे 1980 में यह संख्या बढ़कर 85 हो गयी। इसी अवधि में जो 17 शाखाएं थी यह बढ़कर 3279 हो गयी। दिसम्बर 1985 में बैंकों की संख्या बढ़कर 188 तथा 1990 में 196 हो गयी। तालिका से स्पष्ट है कि अन्तिम 10 वर्षों (1990–2000) के मध्य बैंकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई।¹ और शाखाओं की संख्या में मात्र 74 (0.5 प्रतिशत) वृद्धि हुई। वर्तमान में दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़, असम, निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप ओर पांडीचेरी आदि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो गये हैं।

आच्छादित जिलों की संख्या

दिसम्बर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में केवल 12 जिले थे जबकि मार्च 1990 में यह बढ़कर 372 जिले हो गये। उसके बाद जिलों की संख्या में वृद्धि दर कम हो गयी। मार्च 2000 तक कुल 443 जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत हो गये।

शाखा प्रसार

तालिका से स्पष्ट है कि दिसम्बर 1975 की अपेक्षा 1980 में शाखाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। दिसम्बर 1985 में शाखाओं की संख्या बढ़कर 12606 हो गयी उसके पश्चात शाखाओं की वृद्धि दर कम हो गयी और मार्च 2000 तक कुल शाखाओं की संख्या 14517 हो गयी।

1. केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार।

तालिका 5.2

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा/ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	अवधि की समाप्ति पर	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1.	दिस. 1975	20	10	50
2.	दिस. 1980	19983	24338	122
3.	दिस. 1985	128582	140767	109
4.	मार्च 1990	415052	355404	86
5.	मार्च 1992	586783	409086	70
6.	मार्च 1994	882651	525302	60
7.	मार्च 1996	1418790	750502	53
8.	मार्च 1997	1732740	865241	50
9.	मार्च 2000	3219693	1315894	41

स्रोत :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय दिसम्बर 1999
2. बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका मार्च 2000
3. नाबार्ड

जमा संग्रहण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने गांवों के दूर-दराज क्षेत्रों में निष्क्रिय पड़ी पूंजी का संग्रहण करके ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गांवों में छोटी-छोटी बचतों को एकत्र करके पुनः उसी क्षेत्र में विनियोजन कर दिया जाता है। ये पूंजी इन बैंकों के अभाव में बेकार पड़ी रहती है या

अनुत्पादक कार्यों में लगा दी जाती है। दिसम्बर 1975 में बैंक की कुल जमा राशि 20 लाख रुपये थी जो कि दिसम्बर 1980 में बढ़कर 19983 लाख रुपये हो गयी इस प्रकार पांच वर्षों में रिकार्ड (19960 लाख) वृद्धि हुई। यह वृद्धि लगातार जारी है और वर्तमान में (मार्च 2000) कुल 3219693 लाख रुपये जमा संग्रह हुई।

ऋण वितरण

जिस प्रकार बैंक जमा में भारी वृद्धि हुई उसी प्रकार ऋण वितरण में भी वृद्धि हुई। दिसम्बर 1975 में इन बैंकों ने केवल 10 लाख रुपये का ऋण वितरित किया था जबकि दिसम्बर 1980 में कुल 24338 लाख रुपये वितरित किया गया जो कि एक रिकार्ड वृद्धि दर्शाता है। जबकि 1980 में जमा केवल 19983 लाख था इस प्रकार जमा की अपेक्षा ऋण वितरण 122 प्रतिशत रहा। यह ऋण वितरण आज तक लगातार बढ़ता रहा और मार्च 2000 में यह बढ़कर 2007147 लाख रुपये हो गया।

ऋण जमा अनुपात

तालिका 5.2 से परिलक्षित होता है कि दिसम्बर 1975 में ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत था जो बढ़कर 1980 में 122 प्रतिशत हो गया। उसके पश्चात घटना प्रारम्भ हो गया और 1985 में 109 हो गया और यह निरन्तर घटता रहा तथा मार्च 2000 में घटकर 41 प्रतिशत रह गया।

तालिका 5.3

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की औसत प्रति बैंक/शाखा का
जमा/ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	अवधि की समाप्ति पर	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण	औसत प्रति शाखा जमा	औसत प्रति शाखा ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	दिस. 1975	3.33	1.67	1.18	0.59
2.	दिस. 1980	235.09	286.33	6.09	7.42
3.	दिस. 1985	683.95	748.76	10.20	11.17
4.	मार्च 1990	2117.61	1813.29	28.74	24.61
5.	मार्च 1992	2993.79	2087.17	40.36	28.14
6.	मार्च 1994	4503.32	2680.11	60.70	36.12
7.	मार्च 1996	7238.72	3829.09	97.87	51.77
8.	मार्च 1997	8840.51	4414.49	119.49	59.67
9.	मार्च 2000	16427.01	6713.74	221.79	90.65

स्रोत : तालिका 1 और 2 पर आधारित

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंकों की औसत प्रति बैंक जमा तथा ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1975 में औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा 3.33 लाख रुपये का जबकि मार्च 2000 में बढ़कर 16427.01 लाख रुपये हो गया। इसी प्रकार औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण ऋण दिसम्बर 1975 में 1.67 लाख रुपये था यह मार्च 2000 में बढ़कर 6713.74 लाख रुपये हो गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने केवल जमा में ही नहीं बल्कि ऋण वितरण के क्षेत्र में भी निरन्तर वृद्धि दर्ज की है। दिसम्बर 1975 में औसत प्रति शाखा ऋण 0.59 लाख रुपये था। यह मार्च 2000 में बढ़कर 90.65 लाख रुपये हो गया।

तालिका 5.4

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, उनकी शाखाओं, जमा, ऋण इत्यादि का राज्यवार विवरण मार्च 2000 की समाप्ति पर

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	क्षे. ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत जिले	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	40	3004	70	842960.29	254164.82	30.15
2.	बिहार	22	1886	53	397499.14	92918.27	23.28
3.	मध्य प्रदेश	24	1560	46	30974.84	96753.89	33.67
4.	आन्ध्र प्रदेश	16	1135	24	256793.46	166210.65	64.73
5.	अरुणाचल प्रदेश	1	19	5	2477.73	2772.43	111.90
6.	असम	5	401	25	81295.35	22841.84	28.10
7.	गुजरात	9	436	17	88324.30	41266.63	51.04
8.	हरियाणा	4	291	15	88324.30	42690.36	48.33
9.	हिमाचल प्रदेश	2	130	4	42295.99	10080.52	23.83
10.	जम्मू और कश्मीर	3	259	12	51204.97	8585.18	16.77
11.	कर्नाटक	13	1084	21	24529.90	163924.66	81.22
12.	केरला	2	301	6	65773.92	76753.09	116.69
13.	महाराष्ट्र	10	586	17	94920.35	47375.16	49.91

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	क्षे. ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत जिले	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	1	29	8	2107.17	727.98	34.55
15.	मेघालय	1	51	4	9897.32	2662.39	26.90
16.	मिजोरम	1	54	3	5049.39	1758.04	34.82
17.	नागालैण्ड	1	8	7	469.75	142.19	50.28
18.	उड़ीसा	9	842	30	149209.81	76171.28	51.05
19.	पंजाब	5	204	13	48418.88	18157.71	37.50
20.	राजस्थान	14	1071	33	198885.37	81537.02	41.00
21.	तमिलनाडू	3	211	8	41993.37	25028.99	59.60
22.	त्रिपुरा	1	85	3	31377.56	10227.00	32.59
23.	पश्चिम बंगाल	9	870	19	238731.79	75844.46	31.77
	भारत	196	14517	443	3219693.26	1318594.60	40.95

स्रोत : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकीय मार्च 2000

तालिका 5.4 से परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सर्वाधिक संख्या 40 उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो कि कुल संख्या का 20.4 प्रतिशत है। इसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश में 24 प्रतिशत बिहार में 22 प्रतिशत तथा राजस्थान में 14 प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा में न्यूनतम एक-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित है। सर्वाधिक सेवित जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 70 तथा न्यूनतम सेवित जिलों की संख्या त्रिपुरा एवं मिजोरम में तीन-तीन है। कुल जमा राशि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 842960.29 लाख रुपये तथा न्यूनतम नागालैण्ड में 469.75 लाख रुपये है। उत्तर प्रदेश में ऋण की राशि

254164.82 लाख रुपये है जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। शाखाओं की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3004 है। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 116.69 प्रतिशत केरल में तथा न्यूनतम 16.77 प्रतिशत जम्मू कश्मीर में है।

तालिका 5.5

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा, ऋण, ऋण-जमा अनुपात इत्यादि का अग्रणी बैंकवार विवरण, मार्च 2000 की समाप्ति पर

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	प्रायोजक बैंक का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद बैंक	7	502	118398.55	37996.70	32.09
2.	आन्ध्र बैंक	3	160	36042.12	19202.73	53.28
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	19	1236	285971.04	105966.02	37.05
4.	बैंक ऑफ इण्डिया	16	988	222213.53	72268.80	32.52
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3	315	53003.89	27050.79	51.04
6.	बैंक ऑफ राजस्थान	1	61	11988.17	3718.20	31.02
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	23	1786	332372.59	99429.75	28.41
8.	केनरा बैंक	8	702	162286.89	122118.67	75.25
9.	कॉरपोरेशन बैंक	1	46	7782.39	6615.90	58.01
10.	देना बैंक	4	261	49872.55	19149.68	38.40
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	3	325	72592.49	43673.56	60.16
12.	इण्डियन बैंक	4	153	29921.08	21655.49	74.11
13.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	2	173	42715.19	7820.28	18.31

क्र. सं.	प्रायोजक बैंक का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7
14.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	1	22	4304.52	2523.08	58.61
15.	पेजाब नेशनल बैंक	19	1275	320752.54	103557.70	32.29
16.	स्टेट बैंक ऑफ वि.ए. जयपुर	3	205	48042.08	17909.66	38.07
17.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4	169	43938.13	23243.46	52.90
18.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	30	2344	440869.15	176743.20	40.09
19.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1	23	6903.41	3572.70	51.75
20.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2	214	27294.68	19944.37	73.07
21.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	41	7664.66	4476.81	58.41
22.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3	139	22475.73	13099.31	57.59
23.	सिडिकेट बैंक	10	1056	28326.39	199973.16	70.59
24.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	11	1016	257390.73	78970.18	30.68
25.	यूको बैंक	11	810	173817.84	54721.58	31.48
26.	यू.पी. स्टेट को.आ. बैंक लि.	1	64	10604.54	4981.83	46.98
27.	यूनियन बैंक	4	406	144965.87	30587.63	21.10
28.	वियया बैंक	1	25	3642.51	2623.35	72.02
	कुल भारत	196	14517	3219693.26	1318594.59	40.95

स्रोत : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सांख्यिकीय, मार्च 2000

तालिका 5.5 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है जिसके अन्तर्गत 2344 शाखाएं हैं। सबसे कम शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के अन्तर्गत 23 हैं। कुल जमाओं

में भी भारतीय स्टेट बैंक का प्रथम स्थान रहा है। जबकि कुल ऋण में सिंडिकेट बैंक का स्थान प्रथम है। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 85.01 कॉरपोरेशन बैंक का तथा न्यूनतम 18.31 प्रतिशत जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक का रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य बातें

(वित्तीय वर्ष 1999-2000)

1. 1998-99 में 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुकाबले, 1999-2000 के दौरान 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लाभ अर्जित किया है।
2. 156 क्षेत्रीय बैंकों ने अपने कार्य निष्पादन में सुधार दर्शाया है, जिसमें लाभ में वृद्धि, हानि में कमी अथवा हानि से लाभ में आना शामिल है।
3. 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने हानि से लाभ दर्ज किया, जबकि 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी हानियां कम की है।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संचयी हानि जो वर्ष 1998-99 में रु. 3100.84 करोड़ थी वह घटकर वर्ष 1999-2000 में रु. 2979.33 करोड़ हो गयी।
5. 31 मार्च 1999 को 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में 31 मार्च 2000 को 55 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों ने अपनी संचित हानियां परिसमाप्त किया। इस वर्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्मिलित शुद्ध लाभ रुपये 429.31 करोड़ रहा जो गत वर्ष सम्मिलित लाभ रुपये 247.73 करोड़ था।
6. 31 मार्च 1999 को 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्मिलित शुद्ध लाभ रुपये 425.83 करोड़ था जबकि इस वर्ष 162 क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों ने रुपये 561.00 करोड़ का शुद्ध सम्मिलित लाभ अर्जित किया।

7. 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सकल हानियाँ 113.59 करोड़ रुपये हैं। उनकी 1473.86 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ, कुल 2979.33 करोड़ रुपये की संचित हानियों का 48.3 प्रतिशत है जो एक गंभीर मामला है।
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशिया में इस वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बकाया अग्रिम 16 प्रतिशत वृद्धि के साथ 13185.95 करोड़ रुपये है।
10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 5560.81 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1999–2000 के दौरान 6885.52 करोड़ रुपये हो गए, जो 23.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।
11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लिए गए कुल उधार तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3671.87 करोड़ रुपये है।
12. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निवेश–जमा अनुपात (आई. डी. आर.) साथ लेने पर इसमें कमी आई है, यह 31 मार्च 1999 के 64.6 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2000 को 60.9 प्रतिशत रह गया।
13. 30 जून 1999 को वसूली से मांग का प्रतिशत 64.7 प्रतिशत रहा।
14. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सकल एन.पी.ए. 31 मार्च 1999 को 27.7 प्रतिशत था जो 31 मार्च 2000 को घटकर 22.6 प्रतिशत रह गया।

15. ःण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 42.0 की तुलना में 31 मार्च 2000 को 41.0 रहा।

- स्रोत :** 1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सन्बन्धित सांख्यिकी मार्च 2000
- नोट :** 1. उपरोक्त बातें लेखा परीक्षित (174 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) तथा अलेखापरीक्षित (22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) आकड़ों पर आधारित हैं।
2. 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सन्दर्भ में आकड़े 30 जून 1998 से सन्बन्धित हैं।

अध्याय - 6

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक
प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों
की प्रगति
प्रदेश में अग्रणी बैंक

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन की दिशा, इसका आर्थिक स्वरूप, इसमें घट रही विकासात्मक गतिविधियाँ, इसमें आये अनेक उतार-चढ़ाव, इसका गौरवमयी इतिहास, इसका इन्द्रधनुषी सांस्कृतिक स्वरूप आदि ऐसे क्षेत्र और पहलू हैं जो प्रदेश का मुकम्मिल खाका तैयार करते हैं। जिन पर विस्तृत तैयारी और योजना के साथ शोध परक, सूचनापरक एवं विश्लेषणात्मक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश के लोग परिश्रमी, संघर्षशील और लगनशील है। इनकी राष्ट्रीय निष्ठाएं अडिग है। आन बान पर मिटने के इनके स्वाभाविक चरित्र की झलक देश की आजादी के इतिहास में स्पष्ट दिखता है। इनमें अत्याधिक मेल-जोल और भाई-चारा है। इनमें विपत्ति में बिना विचलित हुए, पहाड़ की तरह अडिग रहने की दृढ़ता है। विकास की ओर निरन्तर बढ़ने की इनकी चाह का ही परिणाम है, कि तमाम विसंगतियों एवं विषय परिस्थितियों के बावजूद यह प्रदेश विकास की होड़ में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है इनकी हजारों वर्ष पुरानी अपनी जीवन शैली की स्वाभाविक सरलता और मौलिकता को उपभोक्तावाद के प्रभाव से बचाकर रखा जा सकता है यह बड़ी बात है। प्रदेश की सत्तर प्रतिशत जनता गांव में रहती है और उसका मुख्य व्यवसाय खेती है। इस प्रदेश की विविधता के तह में हम जितना जायेंगे उतने ही रत्न हमारे हाथ लगेंगे।

15 अगस्त 1947 को जब आजादी की बागडोर हमारे हाथ में आयी तो एक तरफ तो थी सपनों की खेती करने को ढेर सारी जमीन और दूसरी

ओर थी तमाम चुनौतियां। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य जरूर था लेकिन यह इति नहीं था यह था प्रारम्भ। जहां से शुरू होना था कारवां विकास का, तरक्की का, हर किसान के खेत में लहलहाती फसल का। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारी अनिवार्य शर्त थी उसकी पूर्णता। पूर्णता के इन्हीं सपनों के साथ जवाहर लाल नेहरू ने देश के नागरिकों की ओर से राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक इन विविध आयामों में राष्ट्र को निरन्तर अग्रसर करने की नियति से वादा किया था। बाद में संविधान निर्माण के समय देश के शासन के मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत अनुच्छेद 38 के अन्तर्गत राज्य को आदेश दिया गया कि “राज्य नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा जिससे वह यथा सम्भव प्रभावकारी ढंग से ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त एवं सुरक्षित करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं में राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध हो।”

स्वाधीनता के समय नियति से किया गया हमारा वादा हो या अनुच्छेद 38 की भावना, यह हमें हमारे विकास की भावदात्रा का आभास बार—बार कराती है और हमें सचेत करती है कि विकास मात्र आंकड़ों के उतार—चढ़ाव का खेल नहीं बल्कि सामाजिक और राजनैतिक स्तर की एक जिम्मेदारी भी है। इसी धरातल पर हम उत्तर प्रदेश के विकास का मूल्यांकन करें और उसकी चुनौतियों को देखें तो हम अपने किये हुए कार्यों के प्रति उत्साहित भी होंगे और अपने नये सपनों को पूर्ण करने का बल भी प्राप्त करेंगे।

नोबेल विजेता अर्मत्य सेन अपनी पुस्तक ‘इन्डियन डेवलपमेंट’ में उत्तर प्रदेश को देश का हृदय स्थल कहा हैं। उत्तर प्रदेश को, वे सम्पूर्ण देश के विकास और उपलब्धियों को मापने का आदर्श मॉडल भी मानते हैं। अगर इसका आर्थिक विश्लेषण कर ले तो समूचे उत्तर भारत को आसानी से समझा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के विकास में निष्पक्ष प्रेक्षक को दो बातें दिखायी पड़ती हैं, एक आजादी के पिछले पचास सालों में प्रदेश की उपलब्धियां अधिक रही हैं और दूसरी ओर इस अवधि में विफलताएं भी बहुत सारी दृष्टिगोचर होती हैं हालांकि ये दोनों बातें स्पष्टता विरोधी हैं। इन विरोधाभासी तथ्यों के बावजूद दोनों की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतनी विशाल और जटिल अर्थव्यवस्था में यह दोनों परस्पर विरोधी तथ्य स्पष्टता मौजूद रहते हैं। विशाल भू-भाग और 16 करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश बड़ी अर्थव्यवस्था तो रखता ही है और यही कारण है कि यहां सफलताएं और विफलताएं एक साथ मौजूद रहती हैं और यही वे कारण थे जिनसे अर्मित्य सेन को उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल लगा।

जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश भी 'आज-कल' और 'आने वाले कल' के दौराहे पर था। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब स्वतंत्रता मिली तो बढ़चढ़ कर वहीं अपेक्षाएं भी रहीं। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी जिसमें कभी बाढ़ की चपेट रहती थी तो कभी सूखे की। सिंचाई के साधन भी नाम मात्र के थे। उद्योगों की उपस्थिति भी नाममात्र की थी। 1951-56 के आंकड़ों के अनुसार उस समय प्रदेश में वृहद और मझोले आकार की 62 तथा लघु उद्योगों की 1647 इकाइयां मात्र थीं जिसमें मात्र 35 हजार लोगों को ही रोजगार मिला था। इसमें 25 हजार वृहद एवं मझोले उद्यमों का रोजगार था और 30 हजार लघु उद्योग क्षेत्रों का।

गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों के बावजूद खेती अपने परम्परागत रूप में ही थी। उस पर भी जमींदारी प्रथा लागू थी। इसके चलते प्रदेश अपने पेट भरने तक के लिए अनाजों का पी.एल. 480 जैसी योजनाओं के अन्तर्गत अनाज आयात करता था। स्वास्थ्य और शिक्षा का भी यही हाल था। आजादी के समय 80 प्रतिशत गांव ऐसे थे जहां प्राथमिक

शिक्षा भी उपलब्ध नहीं थी। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर आजादी के समय प्रदेश में लखनऊ और आगरा में मात्र दो मेडिकल कालेज थे तथा एक लाख की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था। अनुभवी चिकित्साक मात्र शहरों या मझोले नगरों तक ही सीमित थे।

294411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश राज्य आजादी के समय एक विकास का भू-भाग था जो अपनी अलग-अलग विशिष्टताओं के साथ पश्चिमी, पूर्वी पहाड़ी, तराई ओर बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में तरह-तरह से बंटा भी था। इन चुनौतियों पर नजर डालते हुए हम उत्तर प्रदेश के 50 साल के विकास को देखें तो हम अनेक क्षेत्रों में उसकी यादगार उपलब्धि को देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार, शिक्षा के प्रसार और उत्पादन एवं उद्योगों के नए तौर तरीकों के लेखा-जोखा में उत्तर प्रदेश के विकास की गौरवमयी तस्वीर मौजूद है।

खेती के लिए गंगा के उपजाऊ मैदान की उपलब्धता के कारण आजादी के समय जितनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में कृषि पर निर्भर थी उतनी और किसी राज्य में नहीं इसीलिए सरकार ने कृषि विकास पर ही सर्वप्रथम सर्वाधिक जोर दिया। कृषि विकास में उत्तरोत्तर गति पैदा करने की मंशा से विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये जिनमें प्रमुख थे अधिकतम उपज अभियान, (1947), भूमि एवं जल संरक्षण कार्य (1949), योजना वद्ध विकास (1952), सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा (1953), अधिक उपजाऊ प्रजातियों का समावेश (1965), दोहरी घाट जल प्रयोग योजना (1969), समावेश क्षेत्र विकास (1974), उद्यान और फल उपभोग विभाग का गठन (1975) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना (1975) प्रमुख है।

नरसिंहम समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का निर्णय लिया। 1975 में प्रारम्भ में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जिसमें से प्रथम बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में प्रथम बैंक के नाम से स्थापित किया गया

जो उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था। दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया गया।

प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

1975 में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सफलता को देखते हुए 1976 में इनकी स्थापना की गति और तेज हो गयी और प्रदेश में पांच और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जो बाराबंकी ग्रामीण बैंक, संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक, रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

1977 में प्रदेश में केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अवध ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये उसके पश्चात् केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गति धीमी पड़ गयी।

1980 में जब पुनः कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थापित किये गये। जो कि कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रावस्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसान ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, काशी ग्रामीण बैंक, बस्ती ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गति प्रदेश में बढ़ती रही और 1981 में पांच और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तुलसी ग्रामीण बैंक, एटा ग्रामीण बैंक तथा गोमती ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये।

1982 में यह गति धीमी हो गयी और प्रदेश में केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छत्रपाल ग्रामीण बैंक तथा रानी लक्ष्मी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये।

1983 में उत्तर प्रदेश कुल 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये जो विदोर ग्रामीण बैंक, शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल अल्मोड़ा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, सरयू ग्रामीण बैंक तथा जमुना ग्रामीण बैंक थे।

1984 में मात्र एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया।

1985 में कुल तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक।

1987 में उत्तर प्रदेश का अन्तिम स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हिंडन ग्रामीण बैंक है।

प्रदेश में अग्रणी बैंक

उत्तर प्रदेश के लिए कुल 10 अग्रणी बैंकों की घोषणा की गयी है, जो निम्नलिखित है :

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,
2. केनरा बैंक,
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इण्डिया
5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

6. इलाहाबाद बैंक
7. पंजाब नेशनल बैंक
8. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
9. सिंडीकेट बैंक
10. यू.पी. स्टेटे कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

इन 10 अग्रणी बैंकों द्वारा प्रदेश के विकास के लिए उन्हें सौंपे गये विभिन्न जिलों में कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी है जिनके द्वारा प्रदेश में कुल 3004 शाखाओं को खोला गया है। इन अग्रणीय बैंकों के कार्य निष्पादन को निम्न तालिकाओं द्वारा स्पष्ट की जा सकती है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को भारतीय स्टेट बैंक को सौंपा गया है। इस बैंक ने सर्वप्रथम 1975 में गोरखपुर जिले में गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। वर्तमान में इस बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कुल स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या पांच हैं, जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.1

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन
(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.10.75	200	71537.37	21555.80	30.11	2669.59
2.	बस्ती ग्रामीण बैंक	1.8.80	104	24261.25	6859.19	28.27	1265.32
3.	पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27.3.85	25	6447.09	1702.96	26.41	287.42
4.	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	29.3.85	39	6997.69	2027.19	28.78	68.92
5.	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	23.8.85	51	6860.04	1586.52	23.13	116.71
	योग		419	116103.44	33731.66	29.05	4407.96

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा 116103.44 लाख रुपये तथा ऋण 33731.66 लाख रुपये है और ऋण जमा अनुपात मात्र 29.05 है। इसमें गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक है जबकि पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सबसे कम है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लाभ अर्जन किया है सर्वाधिक लाभ 266.59 लाख रुपये गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सबसे कम गंगा यमुना क्षेत्रीय बैंक का 68.92 लाख रुपये है।

केनरा बैंक

केनरा अग्रणीय बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये हैं जिनकी कुल शाखा 189 है। इन ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.2

केनरा बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23.3.81	85	32710.43	13100.59	40.05	866.45
2.	एटा ग्रामीण बैंक	29.3.81	58	14051.00	6663.00	47.42	300.00
3.	जमुना ग्रामीण बैंक	2.12.83	46	13894.96	5624.64	40.48	179.09
	योग		189	60656.39	25388.23	41.86	1345.54

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.2 से परिलक्षित होता है कि केनरा बैंक द्वारा 1983 के पश्चात कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गयी। इस बैंक द्वारा सेवित ग्रामीण बैंक का कुल ऋण जमा अनुपात 41.86 है जो कि अन्य प्रायोजक बैंक की तुलना में अधिक है। एटा ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 47.42 लाख रुपये है जबकि सर्वाधिक लाभार्जन अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं। जिन जिले में बैंकों की शाखाएं कम थी उसमें इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करके इसे ग्रामीण विकास को गति प्रदान की। इसके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.3

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन
(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	29.3.76	74	19805.85	4217.40	21.29	356.57
2.	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8.2.77	93	30207.50	10514.65	32.34	381.22
3.	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27.2.80	94	29518.41	9189.06	31.12	569.48
4.	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23.8.80	88	27549.28	6554.18	23.77	265.07
5.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	25.8.80	71	20604.59	4329.99	21.01	212.09
6.	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5.9.80	67	19797.10	4690.44	23.69	428.91
7.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6.9.80	51	10676.04	3049.16	27.56	70.59
8.	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27.9.80	83	17432.63	5754.53	33.01	503.82
9.	शाहगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.3.83	36	9497.84	4591.18	48.32	568.23
10.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	26.3.83	59	11613.11	5305.33	45.68	354.43

योग

716 196702.35 58195.92 29.59 3710.41

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

उत्तर प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर्वाधिक कुल 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया है जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 25 प्रतिशत है। इन बैंकों का ऋण जमा अनुपात 29.59 है जो कि अन्य बैंकों की अपेक्षा काफी कम है। लाभ दर भी निम्न रही है। इन बैंकों ने कुल 3710.41 करोड़ रुपये लाभार्जन किया जो कि प्रति बैंक औसत 37.10 लाख रुपये है।

बैंक ऑफ इण्डिया

बैंक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश में 1976 में दो तथा 1977 में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये। इनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.4

बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन
(1999-2000)
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फरुखाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.3.76	82	23691.52	6645.75	28.10	621.32
2.	बाराबंकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27.3.76	90	23011.01	5032.89	21.87	466.54
3.	अवध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7.6.77	114	39376.49	9391.87	23.72	700.00
	योग		286	86079.02	21070.51	24.48	1787.86

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस बैंक द्वारा 1977 के पश्चात कोई नया क्षेत्रीय बैंक स्थापित नहीं किये गये। इन बैंकों की कुल

जमा 86079.02 लाख रुपये तथा कुल ऋण 21070.51 लाख रुपये तथा ऋण जमा अनुपात 24.48 है। इनका कुल लाभ 1787.86 लाख रुपये (595.95 लाख प्रति बैंक) है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में कोई विशेष रुचि नहीं ली। इस बैंक द्वारा केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये। इसकी कुल शाखा 139 है। इन बैंकों का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.5

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	25.12.76	89	24121.89	6677.30	27.71	533.58
2.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	18.3.80	50	9147.44	2981.04	32.59	210.17
	योग		139	33269.33	9658.34	29.03	743.75

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.5 से स्पष्ट है कि अग्रणी बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत मात्र दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इनका औसत ऋण जमा

अनुपात 29.03 प्रतिशत है जो कि अन्य प्रायोजक बैंकों की तुलना में कम है। लाभ भी प्रति बैंक औसत 371.88 लाख रुपये है।

इलाहाबाद बैंक

इलाहाबाद बैंक ने ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कुल छः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.6

इलाहाबाद बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	19.9.76	107	32832.02	5980.32	18.21	1810.71
2.	श्रावस्ती ग्रामीण बैंक	4.3.80	88	20323.88	8838.95	43.49	1125.00
3.	तुलसी ग्रामीण बैंक	23.3.81	81	17936.19	6671.23	37.19	378.99
4.	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	30.3.82	82	13590.47	4520.36	33.26	170.00
5.	विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक	3.3.83	42	10498.62	4912.66	46.79	188.70
6.	सरयू ग्रामीण बैंक	9.8.83	43	11339.55	4069.20	35.87	593.69
	योग		443	106520.73	34992.72	32.85	4267.09

स्रोत : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.6 से परिलक्षित है कि इलाहाबाद बैंक ने उत्तर प्रदेश में कुल 6 ग्रामीण बैंक स्थापित किये जिनका कुल जमा 106520.73 लाख

रुपये तथा कुल ऋण 34992.72 लाख रुपये है तथा ऋण जमा अनुपात 32.85 प्रतिशत है। इन बैंकों का कुल लाभ 4267.09 लाख रुपये है। प्रति बैंक औसत लाभ 711.18 लाख रुपये है जो कि अन्य प्रायोजक बैंकों की तुलना में सामान्य है।

पंजाब नेशनल बैंक

इस बैंक ने पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पर ध्यान नहीं दिया लेकिन अन्य बैंकों द्वारा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सफलता को देखते हुए 1980 में किसान ग्रामीण बैंक स्थापित किया तथा पुनः 1981, 82, 83, 84 एवं 87 में प्रत्येक वर्ष एक-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जिसका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.7

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन
(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	किसान ग्रामीण बैंक	19.5.80	55	9304.40	3194.13	34.39	76.12
2.	देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17.1.81	75	24636.09	4603.47	18.70	708.79
3.	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.3.82	46	6683.51	2300.38	34.42	(-)462.45
4.	विदौर ग्रामीण बैंक	18.1.83	38	9694.32	2690.60	27.75	281.16
5.	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27.7.84	25	6195.45	1943.66	31.37	113.27
6.	हिंडन ग्रामीण बैंक	28.3.87	22	4154.95	1226.62	29.51	110.11
योग			261	60668.72	15958.86	26.30	827.00

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.7 से स्पष्ट है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कुल 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये है इन बैंकों का औसत ऋण जमा अनुपात 26.30 है जो कि अन्य बैंकों की तुलना में कम है तथा प्रति बैंक औसत लाभ भी 137.83 लाख रुपये है जो कि कुल औसत लाभ 527.34 की तुलना में बहुत कम है।

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश में कुल तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.8

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	संयुक्त ग्रामीण बैंक	6.1.76	160	65861.90	8275.59	12.57	1143.59
2.	काशी ग्रामीण बैंक	28.7.80	79	25186.01	7108.11	28.22	262.93
3.	गोमती ग्रामीण बैंक	3.3.81	84	30530.05	9193.12	30.11	275.07
	योग		323	121577.96	24576.82	20.21	1681.59

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यूनियन बैंक द्वारा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात जो कि 20.21 है सन्तोषजनक नहीं है। इस बैंक ने कुल तीन ग्रामीण बैंक स्थापित किये हैं जिसमें से प्रथम बैंक संयुक्त ग्रामीण बैंक जिसका कि ऋण जमा अनुपात 12.57 है जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात 30.15 की तुलना में बहुत ही कम है। जबकि गोमती ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात लगभग कुल ऋण जमा अनुपात के बराबर है।

सिंडीकेट बैंक

सिंडीकेट बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक नाम से मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया। जो कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इस बैंक का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.9

सिंडीकेट बैंक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रथमा बैंक	2.10.75	1	50777.81	25609.93	50.44	2161.83

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका से स्पष्ट है कि प्रथमा बैंक का ऋण जमा अनुपात 50.44 है जो कि अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक है। इस बैंक ने 1999-2000 में कुल 2161.83 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया।

यू.पी. स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

यू.पी. स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6.10

यू.पी. स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन (1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	बैंकों का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	20.5.80	1	10604.54	4981.83	46.98	160.50

स्रोत : क्षेत्रीय बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6.10 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक की कुल जमा 10604.54 तथा ऋण 4981.83 है इस बैंक द्वारा 1999-2000 में 160.50 लाख रुपये का लाभ अर्जन किया गया।

तालिका 6.11

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण जमा, विनियोग इत्यादि
का प्रयोजक बैंकवार विवरण, मार्च 2000

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	प्रायोजक बैंकों का नाम	सेवित ग्रामीण बैंकों की संख्या	कुल शाखा	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट ऑफ इण्डिया	5	419	116103.44	33731.66	29.05	4407.96
2.	केनरा बैंक	3	189	60656.39	25388.23	41.86	1345.54
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	10	716	196702.35	58195.92	29.59	3710.41
4.	बैंक ऑफ इण्डिया	3	286	86079.02	21070.51	24.48	1787.86
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2	139	33269.33	9658.34	29.03	743.75
6.	इलाहाबाद बैंक	6	443	106520.73	34992.72	32.85	4267.09
7.	पंजाब नेशनल बैंक	6	261	60668.72	15958.86	26.30	827.00
8.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	3	323	121577.96	24576.82	20.21	1681.59
9.	सिंडिकेट बैंक	1	164	50777.81	25609.93	50.44	2161.83
10.	यू.पी. स्टेट को. बैंक लिमिटेड	1	64	10604.54	4981.83	46.98	160.50
योग		40	3004	842960.29	254164.82	30.15	21093.53

स्रोत : तालिका 6.1 से 6.10 पर आधारित

तालिका 6.11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और इसका कुल जमा 842960.29 लाख रुपये तथा कुल ऋण 254164.82 लाख रुपये है तथा ऋण जमा अनुपात 30.15 है। इन बैंकों ने कुल 21093.53 लाख रुपये लाभार्जन किया जो कि प्रति बैंक 527.34 लाख रुपये है। प्रायोजक बैंक यू.पी. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अन्तर्गत केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (किसान ग्रामीण बैंक) है। लेकिन इनका ऋण जमा अनुपात 46.98 है जो कि सामान्य 30.15 की तुलना में अधिक है। सबसे कम ऋण जमा अनुपात यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का 20.21 प्रतिशत है तथा सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात सिंडिकेट बैंक का 50.44 है जिसके अन्तर्गत केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (प्रथमा बैंक) स्थापित है।

अध्याय - 7

जनपद-जौनपुर का
परिदृश्य
एतिहासिक परिदृश्य
भौगोलिक परिदृश्य
सामाजिक परिदृश्य
आर्थिक परिदृश्य

ऐतिहासिक परिदृश्य

आदि गंगा गोमती के पावन प्रांगण में प्रकृति की सुरम्य लीला स्थली, मयूर—कोकिला, कुंजित लता—विमान में अनेको देवालियों से सुशोभित ऋषि की तपोभूमि यमदाग्नपुरम् जौनपुर शिक्षा, संस्कृति, संगीत एवं कला के क्षेत्र में अपने अतीत वैभव के लिए प्रख्यात् ऐतिहासिक अवशेषों को समेटे हुए आज भी अपनी स्मृति बनाए हुए है। यह क्षेत्र उस समय अयोध्या राज्य के अन्तर्गत था और इसे अयोध्यापुरम् कहा जाता था। इस जनपद में सर्वप्रथम रघुवंशी क्षत्रियों का आगमन हुआ। बनारस के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा देव कुमार के साथ किया और साथ ही अपने राज्य का कुछ भाग दहेज में दे दिया जिसमें डोभी क्षेत्र के रघुवंशी आबाद हुए। उसके बाद वत्सगोत्री, दुर्गवंशी तथा व्यास क्षत्रिय इस जनपद में आये। ग्यारहवीं सदी में कन्नौज के गहरवार राजपूत जफराबाद और योनापुर या जवनपुर (जौनपुर) को समृद्धि एवं सुन्दर बनाने लगे।

1194 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मनदेव (वर्तमान में जफराबाद) पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन राजा उदयपाल को पराजित किया और दीवान जीत सिंह को सत्ता सौंप कर बनारस की ओर चल दिया। 1389 ई. में फिरोजशाह का पुत्र महमूदशाह गद्दी पर बैठा। उसने मलिक सरवर ख्वाजा को मंत्री बनाया और बाद में 1393 ई. में मलिक उसशर्प की उपाधि देकर कन्नौज से विहार तक का क्षेत्र उसे सौंप दिया। मलिक उसशर्प की मृत्यु 1398 ई. में हो गयी। जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारकशाह बैठा। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। इब्राहिम के हिन्दुओं के साथ सद्भाव की नीति पर राज्य चलाया।

फिरोजशाह ने 1393 में अटाला मस्जिद की नींव डाली जिसे 1408 ई. में इब्राहिम शाह ने पूरा किया। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद एवं बड़ी मस्जिद का निर्माण प्रारम्भ कराया जिसे हुसेन शाह ने पूरा किया।

1484 से 1525 ई. तक लोदीवंश का जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा। 1526 ई. में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद बाबर के पुत्र हुमायूं ने जौनपुर के शासक को परास्त किया 1556 ई. में हुमायूं की मृत्यु हो गयी तो 18 वर्ष की अवस्था में उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा अकबर के ही शासनकाल में शाही पुल का निर्माण हुआ।

डेढ़ शताब्दी तक मुगल सल्तनत का अंग रहने के बाद 1722 ई. में जौनपुर अवध के नवाब को सौंपा गया 1775 ई. में बनारस के साथ ही जौनपुर भी अंग्रेजों के हाथ में चला गया। 1818 ई. में सर्वप्रथम डिप्टी कलेक्टर और बाद में यह अलग जिला बना।

1857 ई. में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जौनपुर का विशेष योगदान रहा है। ग्राम सोनरपुर में मई 1858 ई. में अंग्रेजों द्वारा 21 देशभक्तों को आम के बगीचे में लटकाकर फाँसी दी गयी सन् 1939 ई. में दूसरे विश्वयुद्ध के विरोध में जौनपुर के 750 लोगों ने गिरफ्तारी दी। भारत छोड़ो आन्दोलन का विगुल बजने पर लोगों ने जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट में इस जुलूस पर लाठी चार्ज हुआ और बाद में मोलिया भी चली।

इस जनपद के उत्तर में सुल्तानपुर, उत्तर-पश्चिम में प्रतापगढ़, दक्षिण-पश्चिम में इलाहाबाद, दक्षिण में वाराणसी पुरब में गाजीपुर तथा उत्तर पूर्व में आजमगढ़ जनपद है। यह जनपद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 258 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थिति है।

भौगोलिक परिदृश्य

जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भू-भाग 25.24 और 26.17 उत्तरी अक्षांश तथा 82.7 और 83.7 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले की लम्बाई पश्चिम से पूर्व 90 किमलोमीटर तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 85 किमी. है। जनपद जौनपुर समुद्र तल से 200 से 261 फुट की ऊँचाई पर बसा है।

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4020.9 वर्ग किमी. है जो प्रदेश के क्षे.फ. का 1.4 प्रतिशत हैं जनपद का सम्पूर्ण भू-भाग लगभग समतल हैं यहां की प्रमुख अनवरत बहने वाली नदियां गोमती एवं सई हैं इसके अतिरिक्त अनेक नदियाँ— बसुही, गांगी, पीली, वरुणा, मांगूर आदि छोटी-छोटी नदियां है। जो केवल वर्षा के मौसम में ही बहती है। गोमती, सई, वरुणा एवं वसुही नदियां जनपद को लगभग 4 समान्तर भू-खण्डों में विभक्त करती है। यह चार भूखण्ड हैं जनपद के उत्तरी क्षेत्र में गोमती नदी के उत्तर का सबसे बड़ा भू-भाग, सई तथा बसुही के मध्य का दोमट मिट्टी वाला भू-खण्ड, गोमती एवं सई के मध्य का उपजाऊ भू-खण्ड, वरुणा एवं वसुही के मध्य का सकरी पट्टी वाला भूखण्ड। यहां की भूमि मुख्यतः दोमट, बलुई, ऊसर तथा मटियार है।

जनपद के अधिकांश मृदा मुख्यतः दोमट एवं मटियार है। दोमट किस्म की मिट्टी ऊँची सतहों पर जौनपुर एवं केराकत तहसीलों में तथा शाहगंज के दक्षिण भाग में पायी जाती है। निचले क्षेत्र में मटियार किस्म की मिट्टी पायी जाती है। शाहगंज के उत्तरी तथा मछलीशहर के क्षेत्र में औसत ऊसर भूमि का प्रभाव है। गोमती, सई एवं वसुही नदियों के ढाबा क्षेत्र में औसत ऊपज अपेक्षाकृत अधिक होती है।

जनपद की जलवायु स्वास्थ्यप्रद एवं समतोष्ण है। जनपद का औसत न्यूनतम तापक्रम 4.4 एवं उच्चतम तापमान 47.5 डिग्री सेन्टीग्रेट में मध्य रहता है जनपद को कम वर्षा से सूखा एवं अधिक वर्षा से बाढ़ से उत्पन्न विभिषिकाओं का सामना प्रायः करना पड़ता है। इस जनपद में नदियों में प्रायः बाढ़ रहती है।

बीसवीं शताब्दी में वर्ष 1955, 1970, 1971, 1976, 1980 एवं 1985 बाढ़ के सन्दर्भ में अविष्मरणीय है। जाड़े में तुषारापात से तिलहन, दलहन एवं आलू की फसल भी कुप्रभावित रहती है।

जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनपद जौनपुर की कुल जनसंख्या 32,14,636 थी। जो प्रदेश की जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत थी। इस जनपद में कुल जनसंख्या के 93.1 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6.9 प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अनु.जाति, अनु.जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या का 21.8 प्रतिशत थी। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1971, 1981 तथा 1991 में क्रमशः 879, 886 तथा 994 रही।

पिछले तीन दशकों में इस जनपद की जनसंख्या, घनत्व, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 7.1

वर्ष	कुल जनसंख्या	दशक में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि			घनत्व प्रति वर्ग किमी.
		कुल	ग्रामीण	शहरी	
1971	2005434	16.1	15.0	36.2	496
1981	2532734	26.3	25.7	33.6	627
1991	3214636	26.5	26.6	31.1	800

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद - जौनपुर, पेज नं. 10

उपरोक्त तालिका 7.1 से स्पष्ट है कि जनपद—जौनपुर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि रही है। ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक है इसका प्रमुख कारण शहरों में विशेष सुविधा, आर्थिक उन्नति, रोजगार, सुरक्षा आदि का होना हैं। यह जनपद घना आबाद है। सम्पूर्ण भारत का जनसंख्या घनत्व 274 है जबकि जौनपुर जनपद का 471 है।

जनपद में साक्षरता दर 1991 के जनगणनानुसार 42.22 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1971 व 1981 में यह क्रमशः 21.2 एवं 26.3 प्रतिशत थी।

जनपद में कुल गैर आबाद ग्रामों की संख्या 122 है। सबसे अधिक 21 गैर आबाद ग्राम शाहगंज विकास खण्ड में है तथा जलालपुर विकास खण्ड में कोई भी गैर आबाद ग्राम नहीं है।

तालिका 7.2

आबाद ग्रामों का विवरण

(जनगणना 1991 के अनुसार)

200 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या	506
200 से 499 तक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या	788
500 से 999 तक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या	906
1000 से 1499 तक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या	498
1500 से 1999 तक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या	244
2000 से 4999 तक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या	308
5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या	19
योग	3269

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर, पेज नं. 12

तालिका 7.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद में 906 गाँव (27.7 प्रतिशत) जिनकी जनसंख्या 500 से 999 तक है तथा 788 गाँव (24.1 प्रतिशत) जिनकी जनसंख्या 200 से 499 तक है और 506 गाँव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 200 से कम है। इस प्रकार कुल 3269 गाँव में से 2200 गाँव (67.3 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से कम है तथा 1050 गाँव (32.7 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से 4999 के बीच है और केवल 19 गाँव (0.6 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। इस प्रकार जनपद में अधिकांश गाँव जनसंख्या की दृष्टि से छोटे-छोटे हैं।

सामाजिक परिदृश्य

जनपद में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जो अनेक रीति-रिवाज को मानते हैं। गाँवों में लोग जादू-टोना एवं भूत-प्रेत में भी विश्वास करते हैं। यहां पुरुष धोती-कुर्ता, पैन्ट-शर्ट, तथा स्त्रियाँ धोती-ब्लाउज पहनती हैं। सावन के माह में यहां की कजली (गाना) प्रसिद्ध है प्रमुख त्यवहारों में दशहरा, दीपावली, एवं होली मनाया जाता है। दशहरा के समय गाँव-गाँव में रामलीला होती है। सावन माह में गाँवों में जगह-जगह झूला पर लोग गाने गाते हैं और झूलते हैं।

तालिका 7.3

प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

(जनगणना 1991 के अनुसार)

क्र.सं.	धार्मिक सम्प्रदाय	जनसंख्या			कुल जनसंख्या में प्रतिशत
		कुल	ग्रामीण	शहरी	
1.	हिन्दु	2883862	2740877	142985	89.71
2.	मुस्लिम	313023	236262	76761	9.74
3.	इसाई	1034	964	70	0.03
4.	सिक्ख	470	4	466	0.02
5.	बौद्ध	15821	14868	953	0.49
6.	जैन	56	5	51	—
7.	अन्य	47	47	—	—
8.	धर्म नहीं बताया	323	270	53	0.01
	कुल	3214636	2993297	221339	100.00

उपरोक्त तालिका 7.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जिसमें प्रमुख हिन्दु एवं मुसलमान है। जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 89.71 व 9.74 प्रतिशत है जबकि सिक्ख, इसाई एवं बौद्ध धर्म के लोगो का प्रतिशत क्रमशः : 0.03, 0.02 एवं 0.49 है।

तालिका 7.4

गत तीन दशको में लिंगानुपात जनसंख्या

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	लिंगानुसार जनसंख्या		स्त्रियों की जनसंख्या प्रति हजार पुरुष	जनसंख्या का प्रतिशत	
		पुरुष	स्त्री		पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7
1971	2005434	997010	1008424	1011	49.7	50.3
1981	2532734	1260692	1272042	1009	49.8	50.2
1991	3214636	1612164	1602472	994	50.2	49.8

उपरोक्त तालिका 7.4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होती जा रही है। 1971 में 1000 पुरुष पर 1011 महिला थी और 1981 में घटकर 1009 से 1991 में 994 रह गयी है इसका प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति है क्योंकि लड़कियों के शादी-विवाह में अधिक खर्च होता है और जनता गरीब होने के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी कम व्यय करते हैं।

तालिका 7.5

जनपद की कुल जनसंख्या, अनु.जाति, अनु.जनजाति तथा साक्षर व्यक्तियों की संख्या

नाम विकास खण्ड	जनसंख्या		अनु.जाति जन.		अनु.ज.जाति जन.		साक्षर व्यक्ति	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सुइथाकला	63624	16327	16081	15422	—	—	27670	10077
2. शाहगंज	104157	103128	20494	21089	—	—	42656	17045
3. खुटहन	75841	75273	15368	15360	—	—	34011	12324
4. करन्जाकला	82033	79341	16746	16866	1	1	35728	9930
5. बदलापुर	82973	82073	17548	17345	35	56	40603	13579
6. महाराजगंज	58251	58587	13288	12948	13	10	29198	9746
7. बक्शा	73013	72894	15044	14947	—	—	36334	12859
8. सुजानगंज	76123	77270	15047	15130	—	—	37893	11666
9. मु.बादशाहपुर	67184	66445	15641	15524	—	—	31383	8122
10.मछली शहर	87376	88010	21552	21662	—	—	39957	10419
11.मड़ियाहूँ	81508	84547	18013	18553	—	—	39218	12007
12.सिकरारा	65394	64964	15082	15262	—	—	32778	11395
13.धर्मापुर	42879	43451	10505	10629	—	—	19719	7009
14.रामनगर	65901	65571	11016	11019	—	—	32803	10352
15.सिरकोनी	67639	65730	14042	13805	—	—	34681	12896
16.मुफ्तीगंज	45660	49682	13382	14640	—	—	20848	9132
17.जलालपुर	61766	62082	16069	15756	—	—	32165	12385
18.केराकत	67899	70352	19899	20547	5	3	34039	13592
19.डोभी	59978	61576	16694	17423	—	—	30435	12857
योग ग्रामीण	1329199	1332306	301511	303927	54	50	632119	217392
नगरीय	116534	104804	11096	10119	—	—	67875	39722
योग जनपद	1445733	143708	312607	314046	54	50	699994	257114

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर

तालिका 7.5 से स्पष्ट है कि जनपद में अनु.जनजाति की जनसंख्या मात्र 104 है। कुल 19 ग्राम विकास खण्ड में से केवल चार विकास खण्ड बदलापुर, करन्जाकाला, महाराजगंज एवं केराकत में क्रमशः 71,2,23 एवं 8 जनजाति के लोग थे जबकि अनुसूचित जाति की संख्या 6,26,653 (लगभग 22 प्रतिशत) थी। सबसे अधिक अनुसूचित जाति शाहगंज में तथा सबसे कम धर्मापुर विकास खण्ड में थे। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कु 13,29,199 पुरुष तथा 13,32,303 महिला थी इस प्रकार महिलाओं की संख्या पुरुष की अपेक्षा अधिक थी जबकि नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिला से अधिक थी। नगरीय क्षेत्र में कुल 1,16,534 पुरुष तथा 104805 महिला थी।

आर्थिक परिदृश्य

आर्थिक दृष्टिकोण से जनपद को उत्तम नहीं कहा जा सकता है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जनपद है। जिसमें औद्योगिक विकास अत्यन्त ही मन्द गति से हुआ है। जनपद में उद्योगपतियों को बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। जिसके कारण पहले जनपद में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ और जनपद आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सका। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब सरकार ने नरसिंहम समिति के सुझाव को मानते हुए भारत के 335 जिलों को 17 बैंकों के बीच बांटा गया और इन्हें जिलों का अग्रणीय बैंक कहा गया। इन बैंकों को अपने जिलों में आर्थिक सहायता का दायित्व सौंपा गया जिसके फलस्वरूप जिलास्तर पर आर्थिक विकास को गति प्राप्त हुई। जौनपुर जनपद में अग्रणीय बैंक की स्थापना के बाद ही आर्थिक विकारों को गति प्राप्त हुई। इस जनपद का अग्रणीय बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया है।

जनपद—जौनपुर में प्रारम्भिक क्षेत्र में ऋण वितरण का विवरण निम्न प्रकार है :

1. कृषि तथा कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्षेत्र	416440 हजार रुपये
2. लघु उद्योग	84525 हजार रुपये
3. अन्य	209724 हजार रुपये

गत चार वर्षों में जनपद में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितिया, जिला सहकारी बैंक तथा सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण (हजार रुपये) का विवरण निम्न है :

तालिका 7.6

वर्ष	प्रारम्भिक कृषि ऋण				
	सहकारी समितियाँ		जिला सहकारी बैंक		सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक
	अल्पकालीन	मध्यकालीन	अल्पकालीन	मध्यकालीन	दीर्घकालीन
1995-96	107929	516	100868	2145	42211
1996-97	97883	504	101387	4746	79488
1997-98	110500	2863	114110	4443	63658
1998-99	121473	2972	117373	4441	69546

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर, 95-96, 96-97, 97-98 एवं 98-99

उपरोक्त तालिका 7.6 से स्पष्ट है कि जनपद में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां प्रमुख रूप से अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। जबकि दीर्घकालीन ऋण सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन एवं मध्यकालीन दोनों ही प्रकार के ऋण प्रदान करती है।

वित्तीय सुविधायें एवं सहकारी संस्थायें

विकास कार्यों में समुचित प्रगति लाने तथा अपेक्षित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को उन्नत और विकसित बनाने में बैंकों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विशेष योगदान है। बैंकों की संख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र अधिक विकसित है क्योंकि समस्त आर्थिक कार्यक्रम बैंकों से जुड़े होते हैं। वर्ष 1998-99 में जनपद में बैंकों की संख्याओं का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

तालिका 7.7

विभिन्न बैंकों की शाखाएँ

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	राष्ट्रीय बैंक शाखायें	98
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाये	85
3.	अन्य गैर राष्ट्रीकृत बैंक शाखायें	2
4.	जिला सहकारी बैंक शाखायें	37
5.	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक शाखायें	5
	योग	227

उपरोक्त तालिका 7.7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद-जौनपुर में बैंकों की कुल शाखाएँ 227 थी जिसमें से 85 शाखा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की और 98 शाखा अन्य वाणिज्यिक बैंकों की थी। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं का प्रतिशत 37.5 है।

जनपद में सहकारी बैंक की कुल 37 शाखायें हैं। जिला सहकारी बैंकों में वर्ष 1998-99 में 734 सदस्य रहे, अंश पूंजी 57735 हजार रुपये, कार्यशील पूंजी 11390 हजार रुपये रही। सन्दर्भित वर्ष में 375522 हजार

रुपये का अल्कालीन ऋण तथा 15575 हजार रुपये का मध्यकालीन ऋण वितरित किया गया। कुल जमा धनराशि 703227 हजार रुपये रही। व्यवसायिक बैंकों में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 19.3 प्रतिशत रहा। कुल ऋण वितरण में प्राथमिक क्षेत्र के ऋण वितरण का प्रतिशत वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए क्रमशः 36.31 प्रतिशत, 32.82 प्रतिशत तथा 31.66 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति जमा धनराशि (रुपये), प्रति व्यक्ति ऋण वितरण (रुपये) तथा प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण (रुपये) का विवरण वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए निम्न प्रकार रहा :

तालिका 7.8

क्र.सं.	मद	विवरण(रु.)		
		1996-97	1997-98	1998-99
1.	प्रति व्यक्ति जमा धनराशि	2776.83	2847.60	3174.85
2.	प्रति व्यक्ति ऋण वितरण	591.30	576.90	612.38
3.	प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण	214.71	189.32	193.91

प्रति बैंक (वाणिज्यिक एवं ग्रामीण) शाखा पर जनसंख्या (हजार में) का भार वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए क्रमशः 19.30, 20.60 तथा 20.74 रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक बैंक शाखाओं पर जनसंख्या का भार अत्यधिक है। अतः और अधिक शाखायें खोला जाना अत्यावश्यक है। जिससे सुदूर क्षेत्र के लोगों का बैंक से अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।

देशव्यापी जनगणना- 1991 के प्रथम चरण में सूचीकरण कार्य के साथ-साथ तृतीय आर्थिक गणना का कार्य सम्पन्न किया गया था। आर्थिक

गणना 1990 के अन्तर्गत कृषि एवं अकृषि दोनों खण्डों के सभी प्रकार के उद्योगों जिसमें स्वकार्य उद्यम व संस्थान शामिल थे, से मुख्यतया उद्योगों की स्थिति, कार्यकलाप का विवरण कार्य की प्रकृति, स्वामित्व का प्रकार, प्रयुक्त ईंधन, सामान्यतया कार्यरत कुल व्यक्ति तथा भाड़े पर कार्यरत कुल व्यक्तियों की संख्या आदि मदो के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी। चतुर्थ आर्थिक गणना 2000 में सम्पन्न की जा चुकी हैं जिसका परिणाम अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।

आर्थिक गणना 1990 से प्राप्त कुछ उल्लेखनीय निष्कर्ष का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 7.9

क्र.सं.	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	उद्यमों की संख्या :			
1.1	कृषिय	1305	125	1430
1.2	अकृषिय	33415	14214	47629
1.3	योग	34720	14339	49059
2.	संसाधनों की संख्या जिसमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत हैं (कृषि+अकृषिय)	4251	3347	7598
3.	स्वकार्य उद्यमों की संख्या (कृषि:अकृषिय)	30469	10992	41461
4.	उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर)			
4.1	पुरुष	63781	31836	95617
4.2	स्त्री	8668	2364	11032
4.3	योग	72449	34200	106649
5.	भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति			
5.1	पुरुष	17891	13687	31578
5.2	स्त्री	2517	1256	3773
5.3	योग	20408	14943	35351

उपरोक्त तालिका 7.9 से स्पष्ट है कि अधिकांश उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित हैं तथा श्रमिक भी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। पुरुष, लगभग 67 प्रतिशत ग्रामीण के क्षेत्र में तथा 33 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में कार्यरत है जबकि महिला लगभग 78 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 22 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में हैं।

आर्थिक गणना 1990 तथा आर्थिक गणना 1980 के कुछ उल्लेखनीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है –

तालिका 7.10

क्र.सं.	मद	आर्थिक गणना	
		1980	1990
1.	उद्यमों की संख्या	46771	49059
2.	उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति	101858	106649
3.	स्वकार्य उद्यमों की संख्या	39312	41461
4.	भाड़े पर सामान्यतया व्यक्ति	35287	35351
5.	संस्थानों की संख्या जिसमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत है।	7459	7598

प्राकृतिक संसाधन

जनपद में प्राकृतिक संसाधनों का सदैव अभाव रहा है। नदियों में वर्ष भर पर्याप्त पानी न रहने के कारण समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वनक्षेत्र कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार के खनिज जनपद में अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है।

जनपद में भूमिगत जल स्रोत 100 से 160 फुट पर उपलब्ध होता है। तहसील मड़ियाहूं में सबसे कम गहराई पर एवं तहसील केराकत में सबसे अधिक गहराई पर जल स्रोत उपलब्ध है।

उद्योग

औद्योगिक दृष्टिकोण से जनपद का स्थान लगभग शून्य स्तर पर है। कई मध्यम आकार के उद्योग स्थापित हो चुके हैं। जैसे सिद्धीकपुर, औद्योगिक क्षेत्र में कताई मिल और हिसामपुर में सिन्नी फैब्रिक के कारखाने मध्यम आकार के उद्योग हैं जो अपनी शैशावस्था में हैं। सतहरिया (मुगरा बादशाह पुर) में इन्डस्ट्रीयल स्टेट में हिन्दुस्तान केबिल फैक्ट्री एवं अन्य उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। त्रिलोचन महादेव में वंदना केमिकल्स एवं पेट्रोकार्बन फैक्ट्री, माधव हिटाची धागा, इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, चन्दवक में अपट्रान टी.वी. पाटर्स आदि की स्थापना हो जाने से आशा है। इस प्रकार अगले कुछ वर्षों में जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन आयेगा। इन उद्योगों के आधार पर सहायक उद्योगों का आविर्भाव भी सम्भव होगा। जिले के पिछड़े पन का मुख्य कारण कच्चेमाल एवं उद्यमी संसाधनों की कमी है। जनपद में यद्यपि लघु उद्योगों का भी बिल्कुल अभाव तो नहीं है किन्तु बहुत कम है। वर्ष 1998-99 में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2002 रही जिसमें कुल 4169 व्यक्ति कार्यरत रहे। कुल 2002 इकाइयों में से 24 विभिन्न संस्थाओं द्वारा 1978 व्यक्तिगत उद्योगपतियों द्वारा संचालित रही जिसमें क्रमशः 516 तथा 3653 व्यक्ति कार्यरत रहे।

वर्ष 1998-99 में विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या एवं सदस्यता संख्या का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका 7.11

क्र. सं.	संस्था का नाम उद्योगो का प्रकार	पंचायत द्वारा संचालित	क्षेत्र समिति द्वारा संचालित	औद्योगिक सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित	पंजीकृत संस्थाओं द्वारा संचालित	व्यक्तिगत उद्योगपतियो द्वारा संचालित	योग
1.	खादी उद्योग	—	—	—	3	—	3
2.	खादी उद्योग द्वारा परिवर्तित ग्रामीण उद्योग	—	—	15	6	1704	1725
3.	लघु उद्योग इकाइयां						
	1— इंजिनियरिंग	—	—	—	—	11	11
	2— रासायनिक	—	—	—	—	12	12
4.	हथकरघो की इकाइयां	—	—	—	—	56	56
5.	हस्तशिल्प इकाइयां	—	—	—	—	140	140
6.	अन्य	—	—	—	—	—	55
	कुल योग	—	—	15	9	1978	2002
7.	समस्त उद्योग में कार्यरत व्यक्ति	—	—	156	360	3653	4169

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर

उपरोक्त तालिका 7.11 से स्पष्ट है कि जनपद में उद्योग मुख्यतः व्यक्तिगत उद्योगपतियों द्वारा संचालित किये जाते हैं। जनपद में कुल 2002 उद्योग है जिनमें से 1978 (लगभग 99 प्रतिशत) व्यक्तिगत उद्योगपतियों द्वारा संचालित किये जाते हैं। और पंचायत तथा क्षेत्र समिति द्वारा संचालित उद्योगों की संख्या शून्य हैं। इन उद्योगों में कुल 4169 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमें से 3653 व्यक्ति (87.6 प्रतिशत) व्यक्तिगत उद्योगपतियों द्वारा संचालित उद्योगों में कार्यरत थे।

वृहत उद्योगों में जनपद में केवल एक चीनी मिल शाहगंज में है जो कई गत वर्षों से बन्द रहने के बाद वर्ष 89—90 से पुनः पेरार्ई कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वृहद उद्योग नहीं है। जनपद के प्रत्येक तहसील में कम से कम एक वृहद उद्योग की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक है।

व्यपार एवं वाणिज्य

जिले में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के तहत कालीन, तेल पिरार्ई, जूता बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहारी, बाँस की वस्तु, केश तेल तथा इत्र का उत्पादन मुख्य औद्योगिक व्यावसाय है। अन्य व्यवसायों की तुलना में कालीन बुनाई का व्यवसाय सर्वोपरि है।

जनपद का व्यापार तथा वाणिज्य मुख्यतः स्थानीय जनता के उपयोग की वस्तुओं में विपणन पर आधारित है। खाद्यान्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ जनपद में ही उत्पन्न किये और बेचे जाते हैं। जनपद में अन्य राज्यों से खाद्यान्य, खनिज तेल, ईधन, सूत, दवाईयाँ आदि मंगायी जाती है तथा खाद्यान्न, तिलहन, आलू, चीनी, सब्जी, कालीन, केश तेल एवं इत्र आदि बाहरी बाजारों में विक्रय हेतु भेजे जाते हैं। हाल ही में निर्मित स्पन्न पाइप, गाड़ी के स्प्रिंग तथा जैली औद्योगिक वस्तुओं के अन्य जनपदों एवं विदेशों को निर्यात की जानी प्रारम्भ हो गयी है।

पशुपालन

जनपद—जौनपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है। अतः जिले की अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशेष स्थान होना स्वाभाविक है। पुशपालन विकास हेतु पशुओं के नस्ल में सुधार दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था हेतु पशु चिकित्सालयों की अधिक संख्या में होना परम आवश्यक है।

आर्थिक विकास हेतु पशुधन विकास अत्यन्त आवश्यक है। पशुधन विकास के लिए क्रासवीड नस्ल की पशुओं की संख्या में वृद्धि लाने की योजनाएं अपेक्षित हैं। कुक्कुट विकास कार्य हेतु एक राजकीय कुक्कुट प्रसार विकास केन्द्र विकास खण्ड कंजरकला में कार्यरत हैं। यहां उन्नतिशील नस्ल की मुर्गियां पाली गई हैं। इनमें पैदा किये गये उन्नतिशील बच्चे मुर्गियां पालन हेतु कुक्कुट पालकों को वितरित किये जाते हैं।

पशुओं की चिकित्सा, प्रजनन एवं विकास आदि की सुविधा हेतु वर्ष 1998-99 में उपलब्ध पशु चिकित्सालयों एवं सुविधा केन्द्रों का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

तालिका 7.12

पशु चिकित्सालय	पशु विकास केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	पशु प्रजनन फार्म	भेड़ विकास केन्द्र	सुअर विकास केन्द्र
34	43	64	-	3	6

जनपद में पशुधन विकास असंतुलन को दूर करके उसका समुचित विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। पशुओं में फैलने वाले अनेक बीमारियों से रक्षा के लिए वर्ष 1998-99 में गलाघोटू के 202409, पोकनी रोग के 56092, लगड़िया (बी.क्यू.) के 12142, खुरपका, मुहपका के 42208 तथा अन्य रोगों के 72382 टीके लगाये गये तथा 168119 बीमार पशुओं के चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है। जौनपुर नगर में एक मात्र पशु चिकित्सालय है।

तालिका 7.13

जनपद-जौनपुर के संकेतक

क्र.सं.	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग किमी.	जनगणना-1991	4021
2.	जनसंख्या :			
क.	पुरुष	संख्या	जनगणना-1991	1612164
ख.	स्त्री	संख्या	जनगणना-1991	1602472
ग.	योग	संख्या	जनगणना-1991	3214636
घ.	ग्रामीण	संख्या	जनगणना-1991	2993297
ङ.	नगरीय	संख्या	जनगणना-1991	221339
च.	अनुसूचित जाति	संख्या	जनगणना-1991	700087
च.	अनुसूचित जनजाति	संख्या	जनगणना-1991	104
3.	साक्षरता :			
क.	पुरुष	संख्या	जनगणना-1991	778059
ख.	स्त्री	संख्या	जनगणना-1991	282569
ग.	कुल	संख्या	जनगणना-1991	1060628
4.	तहसीलें	संख्या	31.03.2000	6
5.	सामुदायित विकास खंड	संख्या	31.03.2000	21
6.	न्याय पंचायत	संख्या	31.03.2000	218
7.	ग्राम पंचायत	संख्या	31.03.2000	1517
8.	कुल ग्राम	संख्या	31.03.2000	3391
9.	आबाद ग्राम	संख्या	31.03.2000	3269
10.	नगर एवं नगर समूह	संख्या	31.03.2000	7
11.	नगर पालिका परिषद	संख्या	31.03.2000	3

क्र.सं.	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
12.	नगर क्षेत्र समिति	संख्या	31.03.2000	4
13.	कुल डाक घर	संख्या	31.03.1999	424
	डाकघर ग्रामीण	संख्या	31.03.1999	401
	डाकघर नगरीय	संख्या	31.03.1999	23
14.	तारघर	संख्या	31.03.1999	25
15.	टेलीफोन कनेक्सन	संख्या	31.03.1999	2425
16.	व्यवसायिक बैंक			
क.	राष्ट्रीकृत बैंक	संख्या	31.03.1999	98
ख.	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	संख्या	31.03.1999	2
17.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संख्या	31.03.1999	85
18.	जिला सहकारी बैंक	संख्या	31.03.1999	37
19.	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक	संख्या	31.03.1999	5
20.	शीत भण्डार	संख्या	31.03.1999	19
21.	कृषि :			
क.	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	291991
ख.	सकल बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	442836
ग.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	217638
घ.	सकल सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	337927
ड.	खाद्यान के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	401841
च.	तिलहन के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	2762

क्र.सं.	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
छ.	गन्ना के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	14939
ज.	आलू के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997-98	10831
22.	कृषि उत्पादन :			
क.	खाद्यान्न	हे.में.टन	1997-98	823
ख.	गन्ना	हे.में.टन	1997-98	834
ग.	तिलहन	हे.में.टन	1997-98	2
घ.	आलू	हे.में.टन	1997-98	188
23.	जलवायु :			
क.	वर्षा-सामान्य/वास्तविक	मि.मि.	1998	987/769
24.	सिंचाई :			
क.	नहरों की लम्बाई	किमी.	1998-99	1458
ख.	राजकीय नलकूप	संख्या	1998-99	515
ग.	व्यक्तिगत नलकूप तथा पंपसेट	संख्या	1998-99	20426
25.	पशुपालन :			
क.	पशु चिकित्सालय	संख्या	1998-99	34
ख.	पशु सेवा/विकास केन्द्र	संख्या	1998-99	43
ग.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या	1998-99	24
घ.	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	संख्या	1998-99	40
26.	शिक्षा :			
क.	जूनियर बेसिक स्कूल	संख्या	1998-99	1531
ख.	सीनियर बेसिक स्कूल	संख्या	1998-99	386

क्र.सं.	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
ग.	हायर सेकेण्डरी स्कूल	संख्या	1998-99	176
घ.	महाविद्यालय	संख्या	1998-99	14
ङ.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	संख्या	1998-99	1
च.	पॉलिटेकनिक	संख्या	1998-99	1
छ.	विश्वविद्यालय	संख्या	1998-99	1
27.	चिकित्सालय एवं औषधालय :			
क.	एलोपैथिक	संख्या	1998-99	25
ख.	आयुर्वेदिक	संख्या	1998-99	27
ग.	होम्योपैथिक	संख्या	1998-99	29
घ.	यूनानी	संख्या	1998-99	7
ङ.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1998-99	88
च.	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	संख्या	1998-99	23
छ.	परिवार एवं मा. शि. क. उपकेन्द्र	संख्या	1998-99	463
28.	विशेष चिकित्सालय			
क.	क्षय	संख्या	1998-99	1
ख.	कुष्ठ	संख्या	1998-99	1
ग.	संक्रामक रोग	संख्या	1998-99	1
29.	पक्की सड़को की लम्बाई :			
क.	कुल	किमी.	1997-98	3682
ख.	लो. नि. वि. के अन्तर्गत	किमी.	1997-98	1916
ग.	स्थानीय निकायों के अंतर्गत	किमी.	1997-98	758
घ.	अन्य विभागों द्वारा	किमी.	1997-98	1008

क्र.सं.	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
30.	विद्युत :			
क.	विद्युतीकृत ग्राम (कुल)	संख्या	1998-99	3066
ख.	पंपसेटो का इजंन	संख्या	1998-99	26742
ग.	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां	संख्या	1998-99	1604
घ.	विद्युतीकृत नगर	संख्या	1998-99	7
31.	नल/हैण्डपंप इण्डिया मार्क-2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अर्न्तगत ग्राम :			
क.	ग्राम	संख्या	1998-99	3097
ख.	नगर	संख्या	1998-99	7
32.	आर्थिक वर्गीकरण (कर्मकार) :			
क.	कृषक	संख्या	जनगणना -1991	512812
ख.	कृषि श्रमिक	संख्या	जनगणना -1991	112827
ग.	अन्य कर्मकार	संख्या	जनगणना -1991	192839
घ.	कुल मुख्य कर्मकार	संख्या	जनगणना -1991	818478
ङ.	सीमान्त कर्मकार	संख्या	जनगणना -1991	79711
च.	कुन कर्मकार	संख्या	जनगणना -1991	898189
33.	सिंचाई के विभिन्न साधनों द्वारा श्रोतानुसार शुद्ध क्षेत्रफल :			
क.	नहर	हे.	1997-98	66567
ख.	नलकूप			
	1- राजकीय	हे.	1997-98	13960
	2- निजी	हे.	1997-98	111414
ग.	कुआँ	हे.	1997-98	18

क्र.सं.	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
घ.	तालाब	हे.	1997-98	152
ङ.	अन्य	हे.	1997-98	25527
34.	जिला सेक्टर योजना	ह.रु. में	1999-2000	
क.	अनुमोदित परिव्यय	ह.रु. में	1999-2000	522800
ख.	अवमुक्त धनराशि	ह.रु. में	1999-2000	374149
ग.	व्यय की गई धनराशि	ह.रु. में	1999-2000	322795

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा, जनपद-जौनपुर

अध्याय - 8

जनपद-जौनपुर के विकास
में गोमती ग्रामीण बैंक का
योगदान

जनपद-जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान

जनपद जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जनपद है यहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर करती है। अतः इस जनपद के विकास के लिए ग्रामीण विकास करने होंगे। “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि सुदृढ़ संतुलित और दूरगामी विकास करना है तो हमें अपने ग्रामीण अंचलों को सशक्त बनाना होगा व ग्रामों की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने वाले संसाधन उपलब्ध करने होंगे। भारतीय कृषि एवं भारतीय कृषक पिछले कई दशकों से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के भंवर जाल में फंसकर रह गये हैं। उन बहुत सी आर्थिक समस्याओं में से, जिन्होंने हमारे गरीब किसानों को सर्वाधिक प्रताड़ित किया है। एक प्रमुख समस्या वित्त संसाधनों की अनुपलब्धता की है।”¹

ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तम्भ है। नियोजन काल में इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई, किन्तु बैंकिंग सहायता के अभाव में ग्रामीण बेरोजगारी से निबटने तथा कृषि एवं कृटीर उद्योगों के विकास में वित्तीय बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। व्यवसायिक बैंक दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा (1967-68) तथा वृहद बैंकों का राष्ट्रीयकरण

1. स्रोत: श्रेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण, डॉ. श्यामकृष्ण पाण्डेय

(1969) भी व्यवसायिक बैंकों को निर्धन वर्ग के द्वार तक पहुंचाने में अक्षम रहे। सहकारी बैंक यद्यपि इस क्षेत्र में कारगर सिद्ध हो सकते थे, किन्तु उनकी अपनी असफलताओं और कमियों के रहते ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चहुंमुखी विकास के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता स्वातन्त्र्योत्तर काल में निरन्तर अनुभव की जा रही थी।

ग्रामीण बैंकिंग अनुसंधान समिति (1950) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण बैंकों की अवधारणा सर्वप्रथम बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी। आर. जी. सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग कमीशन (1972) ने पुनः ग्रामीण बैंकों की एक श्रृंखला प्रारम्भ किये जाने का विचार प्रस्तुत किया, किन्तु राजनीतिक पहल के अभाव में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

गोमती ग्रामीण बैंक की स्थापना के प्रमुख कारण

1. जौनपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों एवं सीमान्त कृषकों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी ऋण संस्थाओं एवं व्यवसायिक बैंकों ने पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई।
2. व्यवसायिक बैंकों का एक सामान्य मानदंड बन चुका था कि गरीब ग्रामीण परिवार उधार का पात्र नहीं होता अर्थात् ये बैंक शहरोन्मुख दृष्टिकोण रखते थे।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कृषकों, कारीगरों एवं भूमिहीन मजदूरों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा व्यवसायिक बैंकों में कार्यरत शहरी मनोवृत्ति वाले कर्मचारियों से नहीं की जा सकती थी। अतः ग्रामीण साख की आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित बैंकों की आवश्यकता महसूस की गई।

4. व्यवसायिक बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों में ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि एवं गहन अध्ययन का अभाव था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों को साख उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक था। इसलिए मात्र ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए अलग वित्तीय संस्थान की आवश्यकता महसूस की गयी।
5. व्यवसायिक बैंकों की स्थापना तथा प्रशासनिक लागत काफी अधिक थी। अतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐसे बैंक की आवश्यकता थी जिसकी स्थापना एवं प्रशासनिक लागत कम हो।

जनपद जौनपुर में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की भूमिका

व्यवसायिक बैंकों पर “सामाजिक नियंत्रण व्यवस्थाओं” का भार सरकार द्वारा डाला गया। किन्तु सरकार ने यह महसूस किया कि ग्रामीण विकास के लिए वित्त एवं साख को कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर मोड़ना समय की आवश्यकता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में 19 जुलाई, 1969 को देश के प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश के सम्पूर्ण बैंकिंग इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना रही है।

आर्थिक विकास की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ ये बैंक भी सामाजिक बैंकिंग सिद्धांत के मार्ग से हट गये तथा लाभ प्रदता को महत्व देने लगे और कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की वित्तीय सहायता कल्पना मात्र रह गयी।

जनपद जौनपुर का अग्रणी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया है। वर्ष 1997-98 में जनपद जौनपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल जमा धनराशि 1068900 हजार रुपये थी और इन बैंकों द्वारा 2165700 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया था जो कि जमा धनराशि का 20

प्रतिशत था। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

तालिका 8.1

जनपद जौनपुर में व्यावसायिक बैंकों में जमा ऋण तथा ऋण जमा अनुपात

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात
1.	यूनियन बैंक	57021	9885	17.34
2.	स्टेट बैंक	17889	2898	16.24
3.	सेन्ट्रल बैंक	2244	439	19.56
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2372	545	22.98
5.	इलाहाबाद बैंक	875	90	10.29
6.	पंजाब नेशनल बैंक	2764	336	12.16
7.	ओरियन्टल बैंक	1620	134	8.27
8.	बनारस स्टेट बैंक	1590	273	17.51
9.	केनरा बैंक	648	141	21.76
	योग	91309	14741	16.14

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर 1997-98 अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश

उपरोक्त तालिका 8.1 से स्पष्ट है कि जनपद जौनपुर में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कुल ऋण जमा अनुपात मात्र 16.14 प्रतिशत है जो कि सन्तोषजनक नहीं है।

जनपद में व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कम होने के साथ ही इन बैंकों ने ऋण का वितरण भी कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्रों में न करके अन्य क्षेत्रों में अधिक किया है, जबकि आवश्यकता इस बात कि है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण को कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र में वितरण को

प्राथमिकता दी जाय। व्यावसायिक बैंकों द्वारा जनपद में वितरित ऋण निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 8.2

जनपद में व्यावसायिक बैंकों द्वारा जमा धनराशि एवं ऋण वितरण का विवरण
(1999-2000)

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र.सं.	मद	विवरण
1.	जमा धनराशि	12181900
2.	कुल ऋण वितरण	2349700
3.	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण :	
	(अ) कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्य	547151
	(ब) लघु उद्योग	25136
	(स) अन्य	171733

स्रोत : सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर अर्थ एवं संख्या

प्रभाग उत्तर प्रदेश

तालिका 8.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा जनपद जौनपुर में केवल 23 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को तथा 1 प्रतिशत लघु उद्योगों को प्रदान किया गया जबकि 76 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया तथा ऋण जमा अनुपात 5:1 रहा है जो बहुत कम है।

गोमती ग्रामीण बैंक

स्थापना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना देश के चयनित जिलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से की गई है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य उत्पादक गतिविधियों हेतु विशेष रूप से सीमान्त एवं लघु कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों तथा लघु उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके अर्थव्यवस्था का सुधार करना है।

जनपद जौनपुर में इन उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त जनपद के अग्रणी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा (3) के अन्तर्गत गोमती ग्रामीण बैंक की स्थापना 30 मार्च 1981 को की। यह प्रवर्तक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इनका पूंजी का अनुपात क्रमशः 35:50:15 है।

कार्य क्षेत्र

गोमती ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र जनपद जौनपुर है। इस जनपद में 6 तहसीलें और 21 विकास खण्ड हैं।

निदेशक मण्डल

गोमती ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल में कुल नौ सदस्य हैं। भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा (9) के अन्तर्गत निदेश मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति करती है। मण्डल का अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है। एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

द्वारा नामित, एक सदस्य राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामित, दो सदस्य प्रवर्तक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नामित तथा दो सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित होते हैं। वर्तमान में गोमती ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष टी.एन. गुप्ता है।

अंश पूंजी

गोमती ग्रामीण बैंक की अधिकृत अंशपूंजी वर्तमान समय में पाँच करोड़ रुपये है जिसमें से एक करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी है। प्रदत्त अंशपूंजी में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्रदत्त समस्त अंशपूंजी का अंशदान भारत सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में निवेशित है। निम्न तालिका से अंश पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी स्पष्ट है :

तालिका 8.3

गोमती ग्रामीण बैंक की अंशपूंजी का विवरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	अधिकृत पूंजी	प्रदत्त पूंजी
1	2	3
1981-86	100.00	25.00
1987-90	100.00	50.00
1990-91	500.00	62.50
1991-92	500.00	75.00
1992-93	500.00	75.00
1993-94	500.00	75.00
1994-95	500.00	75.00
1995-96	500.00	75.00
1996-97	500.00	100.00
1997-98	500.00	100.00
1998-99	500.00	100.00
1999-2000	500.00	100.00

स्रोत : विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)

तालिका से स्पष्ट है कि बैंक की अधिकृत पूंजी स्थापना के समय 100 लाख रुपये थी जो कि 1990-91 में बढ़ाकर 500 लाख रुपये कर दिया गया। प्रदत्त पूंजी 1981 में 25 लाख की थी जिसे 1987, 90-91 तथा 1996-97 में बढ़ाकर क्रमशः 50, 62, 50,75 तथा 100 लाख कर दिया गया है।

जनपद जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान

जनपद जौनपुर का ग्रामीण विकास गोमती ग्रामीण बैंक के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। 30 मार्च 1981 को गोमती ग्रामीण बैंक के स्थापना के पश्चात इस बैंक की निरन्तर प्रगति होती रही है और जनपद के विकास को भी गति प्राप्त हुई। जनपद में बैंक की स्थापना के प्रथम 5 वर्षों में प्रगति तीव्र गति से हुई और दिसम्बर 86 तक बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 81 हो गयी जिनके माध्यम से बैंक ने ग्रामीण जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। 1986 के पश्चात बैंक की शाखा विस्तार की गति मन्द पड़ गयी। वर्तमान में इस बैंक की कुल 84 शाखाएं हैं। बैंक की प्रगति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

तालिका - 8.4

गोमती ग्रामीण बैंक की प्रगति का क्रमवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	शाखा	जमा		ऋण		ऋण का अनुपात (प्रति. में)
			खाता संख्या	धनराशि	खाता संख्या	धनराशि	
1.	1981	10	1952	16.95	269	5.67	27.00
2.	1982	40	18926	128.66	4409	98.95	77.00
3.	1983	48	38553	268.34	11258	208.76	78.00
4.	1984	60	59769	483.12	18253	370.32	77.00
5.	1985	78	84415	746.56	23678	541.79	72.57
6.	1986	81	106591	1065.42	27774	759.05	71.24
7.	1987	81	129341	1502.57	30826	906.55	60.33
8.	1988-89	81	161595	2099.01	38490	1205.75	57.44
9.	1989-90	81	135969	2962.26	43582	1480.42	49.98
10.	1990-91	81	211558	3978.38	50597	1881.36	47.29
11.	1991-92	81	241537	4766.75	53501	2280.68	47.84
12.	1992-93	81	267567	5957.47	55424	2671.84	44.85
13.	1993-94	81	292860	7649.33	57304	3291.50	43.03
14.	1994-95	81	313385	9424.11	59552	4146.28	44.00
15.	1995-96	81	346855	12926.74	61943	5015.43	39.10
16.	1996-97	81	381367	16096.96	63746	5913.89	36.74
17.	1997-98	81	423465	19906.63	65566	6915.59	34.76
18.	1998-99	84	466402	25164.43	68361	8271.14	32.86
19.	1999-2000	84	501080	30530.05	69757	9193.12	30.11

स्रोत : विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)

उपरोक्त तालिका 8.4 से परिलक्षित है कि गोमती ग्रामीण बैंक जनपद जौनपुर के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किया है छोटी-छोटी बचत को एकत्रित करके वित्तविहीन क्षेत्रों में वितरित किया है। जनपद में गोमती ग्रामीण बैंक की जमा, खाता संख्या एवं धनराशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है 1981 में जो मात्र 1952 खाता था जो कि 5 वर्ष पश्चात 1986 में 106591 हो गयी और मार्च, 1990, 1995 एवं 2000 में बढ़कर क्रमशः 135969, 313385 एवं 501080 हो गयी। इसी प्रकार जमा धनराशि में भी वृद्धि निरन्तर हुई। 1981 में कुल जमा धनराशि 16.95 लाख रुपये थी वह क्रमशः मार्च 1985, 1990, 1995 एवं 2000 में क्रमशः 746.56, 2962.26, 9424.11 एवं 30530.05 लाख रुपये हो गयी।

प्रथम वर्ष में बैंक द्वारा ऋण वितरण अधिक नहीं हो पाया क्योंकि मार्च 1981 में बैंक की स्थापना ही हुई जिस कारण उतना अधिक आवेदन नहीं मिल सका परन्तु बाद के वर्षों में ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया। मार्च 1985, 1990, 1995 एवं 2000 की समाप्ति पर ऋण वितरण क्रमशः 451.79, 1480.42, 4146.28 एवं 9193.12 लाख रुपये थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैंक के जनपद के विकास के लिए वितरित ऋण में निरन्तर वृद्धि की है।

जनपद जौनपुर गोमती ग्रामीण बैंक का प्रथम वर्ष 1981 ऋण जमा अनुपात मात्र 27 प्रतिशत था लेकिन अगले वर्ष ही 1982 में यह बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 78 प्रतिशत 1983 में था उसके पश्चात इसमें कमी होने लगी और वर्तमान में यह घटकर मात्र 30.11 प्रतिशत रह गया।

तालिका - 8.5

गोमती ग्रामीण बैंक का तहसीलवार जमा, ऋण तथा ऋण जमा

अनुपात का प्रगति विवरण

(31 मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	तहसील	1997-98			1998-99			1999-2000		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनु. प्रति. में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु. प्रति. में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु. प्रति. में
1.	मड़ियाहूँ	4264.74	1498.86	35.14	5614.31	1877.80	33.45	6609.32	2108.85	31.91
2.	मछलीशहर	3099.78	1016.52	32.79	3099.78	1201.87	38.77	4220.28	1404.39	33.28
3.	बदलापुर	1474.03	592.06	40.17	1918.27	737.17	38.43	2353.26	699.10	29.71
4.	शाहगंज	2625.66	1152.96	43.91	3419.45	1338.96	39.16	4613.76	1403.89	30.43
5.	केराकत	3368.20	1068.99	31.74	4036.80	1178.37	29.19	4803.15	1338.10	27.86
6.	सदर	5074.42	1586.18	31.26	6229.60	1936.97	31.09	7930.28	2238.79	28.23
योग		19906.83	6915.57	34.74	25164.43	8271.14	32.87	30530.05	9193.12	30.11

उपरोक्त तालिका 8.5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक ऋण वितरण सदर तहसील में किया गया है जिसका अधिकांश क्षेत्र शहर में स्थित है। जबकि ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक शाहगंज तहसील की है। ऋण जमा अनुपात में निरन्तर कमी हो रही है 1997-98 में जो ऋण जमा अनुपात 34.74 प्रतिशत था वह 1999-2000 में घटकर 30.11 प्रतिशत रह गया। कुल जमा एवं कुल ऋण राशि में प्रत्येक तहसील में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

तालिका - 8.6

गोमती ग्रामीण बैंक का विकास-खण्डवार जमा, ऋण एवं ऋण जमा अनुपात का प्रगति विवरण

(31 मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विकास खण्ड	1997-98			1998-99			1999-2000		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनु.	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु.	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिरकोनी	2277.1	554.81	24.37	2737.36	699.02	25.54	3858.20	802.34	20.80
2.	बक्सा	473.42	198.46	41.92	605.76	237.11	39.14	668.23	253.30	37.91
3.	सिकरारा	1111.35	379.23	34.12	1350.48	462.64	34.26	1570.76	489.05	31.13
4.	करंजाकला	987.49	331.31	33.55	1231.51	394.32	32.02	1425.10	427.53	30.00
5.	धर्मापुर	225.06	122.37	54.37	304.49	143.88	47.25	327.91	159.40	48.61
6.	मड़ियाहूँ	1559.75	489.27	31.37	2044.96	602.00	29.44	2435.60	686.53	28.19
7.	बरसठी	1007.07	390.03	38.73	1292.03	466.96	36.14	1430.68	518.49	36.24
8.	रामनगर	707.15	288.00	40.73	867.44	337.83	38.95	1061.64	381.94	35.98
9.	रामपुर	1121.46	411.47	36.69	1409.88	471.04	33.41	1681.40	521.89	31.04
10.	जलालपुर	1177.25	263.02	22.34	1469.05	331.05	22.53	1677.68	396.11	23.61
11.	डोभी	601.33	189.10	31.45	481.33	222.57	28.49	948.34	367.71	38.77
12.	केराकत	814.09	233.98	28.74	1008.82	281.20	27.87	1244.49	326.96	26.27
13.	मुफ्तीगंज	644.84	302.98	46.99	777.60	338.55	43.54	932.68	367.71	39.43
14.	शाहगंज									
	सोधी	1194.56	408.54	34.20	1593.31	431.55	27.09	1911.15	446.61	23.37
15.	सुईथाकला	649.41	310.35	47.79	852.60	389.77	45.72	1057.87	412.86	39.03
16.	खुटहन	781.69	434.07	55.53	973.24	517.64	53.19	1176.79	544.42	46.26
17.	बदलापुर	752.73	349.72	46.46	1006.64	435.21	43.23	1260.62	467.95	37.12
18.	महराजगंज	721.28	242.34	33.60	911.63	301.96	33.12	1092.64	231.15	21.15
19.	सुजानगंज	1121.04	307.97	27.47	1433.68	371.60	25.92	1717.33	437.28	25.46
20.	मछलीशंहर	1329.57	431.71	32.47	1634.95	505.51	30.91	1904.49	606.38	31.84
21.	मुगराँ									
	बादशाहपुर	649.17	276.84	42.65	877.31	324.76	37.02	1138.46	360.73	31.69

स्रोत : विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)

उपरोक्त तालिका 8.6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद के सभी विकास खण्डों में पर्याप्त ऋण वितरण किया गया है। जिससे सम्पूर्ण जनपद का सन्तुलित विकास हो रहा है।

1999-2000 में सर्वाधिक ऋण विकास खण्ड मड़ियाहूँ में 686.53 करोड़ रुपये वितरित किया गया जबकि सबसे कम 159.40 धर्मापुर विकास खण्ड में। सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात धर्मापुर विकास खण्ड का है तथा सबसे कम सिरकोनी विकास खण्ड का है।

शाखा विस्तार

दिनांक 31.03.2001 को बैंक की कुल 84 शाखायें थी। शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण निम्न है :

तालिका 8.7

गोमती ग्रामीण बैंक की शाखाओं का वर्गीकरण

क्रमांक	क्षेत्रवार वर्गीकरण	शाखाओं की संख्या
1.	शहरी शाखायें	2
2.	अर्द्धशहरी शाखायें	6
3.	ग्रामीण शाखायें	76
	योग	84

उपरोक्त तालिका 8.7 से स्पष्ट है कि यह बैंक जनपद जौनपुर के ग्रामीण विकास के लिए कृत संकल्प है। इसकी कुल 84 शाखाओं में से 76 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में तथा 6 अर्द्धशहरी क्षेत्र में स्थापित है जबकि शहर में मात्र दो शाखायें ही हैं।

जमा संवृद्धि

1981 में बैंक का स्थापना वर्ष होने के कारण सबसे कम 16.95 लाख रुपये जमा हुआ। उसके पश्चात जमा धनराशि में निरन्तर वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्ष का जमा संग्रह में वृद्धि निम्न प्रकार है :

तालिका 8.8

जनपद जौनपुर में गोमती ग्रामीण बैंक की जमा वृद्धि दर

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	जमाराशि	12926.74	16096.96	19906.63	25164.43	30530.05
2.	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि	37.17	25.52	23.59	26.41	21.21

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक जमा वृद्धि दर 1995-96 में 37.17 प्रतिशत था न्यूनतम 21.23 प्रतिशत है इससे जमा संग्रह में उतार-चढ़ाव परिलक्षित होता है।

ऋण वितरण

1981 में प्रथम वर्ष होने के कारण ऋण वितरण मात्र 5.67 लाख रुपये ही हो सका। परन्तु उसके पश्चात ऋण वितरण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विगत कुछ वर्षों में वृद्धि प्रतिशत निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 8.9

जनपद जौनपुर में गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण वितरण

(मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	ऋण राशि	5015.43	5943.89	6915.59	8271.14	9193.12
2.	विगत वर्ष पर					
	प्रतिशत वृद्धि	20.97	17.91	16.93	19.60	11.15

उपरोक्त तालिका 8.9 से स्पष्ट है कि विगत पांच वर्षों में कुल ऋण वितरण में लगातार वृद्धि हुई है परन्तु वृद्धि प्रतिशत में उतार-चढ़ाव होता रहा है।

पुनर्वित्त

बैंक ने राष्ट्रीय बैंक एवं प्रायोजक बैंक से हर संभव पुनर्वित्त प्राप्त करने का प्रयास किया। ऋण को उन्हीं परियोजनाओं में वित्त पोषण करने पर जोर दिया गया जो कि राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पात्र थी। बैंक ने पहली बार 1998-99 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से सड़क परिवहन योजनान्तर्गत पुनर्वित्त प्राप्त किया गया परन्तु राष्ट्रीय बैंक की तुलना में सिडबी द्वारा पुनर्वित्त प्राप्ति में उच्च लागत अनुभव किया गया है। अतएव सिडबी द्वारा पुनर्वित्त प्राप्ति को द्वितीय प्राथमिकता दी गयी। विगत कुछ वर्षों में पुनर्वित्त की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 8.10

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पुनर्वित्त

(धनराशि लाख रुपये में)

स्रोत	पुनर्वित्त		
	1997-98	1998-99	1999-2000
(अ) राष्ट्रीय बैंक			
1. अल्पावधि (मौसमी)	104.75	145.25	104.15
2. अल्पावधि (गैर मौसमी)	50.00	50.00	50.00
3. मध्यावधि (गैर योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
4. मध्यावधि (योजनान्तर्गत)	623.51	804.26	589.15
उपयोग	778.26	999.51	743.30
(ब) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया			
1. अल्पावधि (मौसमी)	41.90	60.00	74.00
2. अल्पावधि (गैर मौसमी)	20.00	20.00	24.00
3. मध्यावधि (गैर योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
4. मध्यावधि (योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग	61.90	82.00	98.00
(स) भारतीय लघु उद्योग विकास			
बैंक	शून्य	24.72	15.54
उपयोग	शून्य	24.72	15.54
सम्पूर्ण योग (अ+ब+स)	840.16	1106.23	856.84

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त पुनर्वित्त में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त 1999-2000 में 1998-99 की अपेक्षा 256.21 लाख रुपये कम है। शासन द्वारा प्रायोजित योजना "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" में पर्याप्त राशि वितरित न कर पाने के कारण राष्ट्रीय बैंक से अपेक्षित पुनर्वित्त नहीं प्राप्त किया जा सका।

ऋण एवं अग्रिम अवशेष

बैंक के उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, जनपद जौनपुर के निर्बल वर्गों के आर्थिक उन्नयन एवं समाज के अत्यधिक निम्न वर्गों को वित्तीयन हेतु कृषि आधारित गतिविधियों, लघु ग्रामीण, कुटीर उद्योगों, ग्रामीण हस्तशिल्प, सेवा तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के साथ ही गैर लक्ष्य समूह को वित्त पोषित कर बैंक ने अग्रिम विनियोजन में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किया है। ऋणों एवं अग्रिमों का अवशेष विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 8.11

ऋणों एवं अग्रिमों का अवशेष का क्षेत्रवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

स्रोत	अवशेष		
	31.3.98	31.3.99	31.3.2000
(अ) प्राथमिक क्षेत्र			
1. कृषि			
(अ) अल्पावधि ऋण	430.21	613.35	798.36
(ब) मियादी ऋण	767.43	1020.99	1054.45
(स) कृषि आधारित	1156.68	1285.88	1526.55
उपयोग	2354.32	2920.22	3379.36
2. कृष्येतर क्षेत्र			
लघु उद्योग	981.03	1080.15	1093.58
सड़क उद्योग	370.84	432.38	387.70
खुदरा व लघु व्यापार तथा अन्य	2337.37	2694.81	2711.52
उपयोग	368.24	4207.34	4192.80
प्राथमिकता क्षेत्र का योग	6083.56	7127.56	7572.16
(ब) गैर प्राथमिकता क्षेत्र	872.03	1143.14	1620.96
सम्पूर्ण योग	6915.59	8271.14	9193.12

तालिका 8.11 से स्पष्ट है कि जनपद जौनपुर में बैंक द्वारा ऋण वितरण में निरन्तर वृद्धि हुई है। ऋण वितरण में प्राथमिकता क्षेत्र की वरीयता दी गयी है। कृषि ऋण में कृषि से सम्बन्धित कार्यों जैसे खाद, बीज, जुताई आदि के लिए ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष के दौरान ऋण वितरण

बैंक ने 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राथमिकता आधार पर निर्बल वर्गों को ऋण सुविधा प्रदान की है एवं सरकार द्वारा आयोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्राम विकास योजना एवं विशेष समन्वित योजना आदि के प्रवर्तन में सहभागिता की हैं। गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान किये गये ऋणों का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

तालिका 8.12

ऋणों एवं अग्रिमों का अवशेष का क्षेत्रवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

विवरण	वितरित ऋण		
	31.3.98	31.3.99	31.3.2000
कृषि	781.28	1057.76	1105.18
लघु उद्योग	171.58	147.64	81.85
सेवा व्यापार और अन्य	963.59	868.44	1183.80
योग	1916.45	2073.84	2370.83

उपरोक्त तालिका 8.12 से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा सर्वाधिक ऋण का वितरण 2370.83 लाख रुपये मार्च 2000 में किया गया है। कृषि और सेवा व्यापार व अन्य क्षेत्रों में ऋण वितरण लगभग सामान्य है जबकि लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत बहुत कम है और यह प्रतिवर्ष घटता जा रहा है जैसे

मार्च 1998, 1999 एवं 2000 में लघु उद्योगों को क्रमशः 171.58, 147.64 तथा 81.85 लाख रुपये ऋण उपलब्ध किया गया।

जनपद जौनपुर में बैंक द्वारा विगत कुछ वर्षों में प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, लक्ष्य और गैर लक्ष्य समूह के अन्तर्गत उपलब्धि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, लघु/सीमान्त कृषकों/कृषि मजदूरों को वितरित किये गये ऋणों को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

तालिका 8.13

कुल वितरित ऋणों का वर्गीकरण

विवरण	(धनराशि लाख रुपये में)		
	31.3.98	31.3.99	31.3.2000
कुल वितरित ऋण	2274.08	2557.46	2370.83
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत	1965.45	2073.84	1695.27
कुल वितरण का प्रतिशत	84.27	81.08	71.51
गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत	357.63	483.62	675.56
कुल वितरण का प्रतिशत	15.73	18.92	28.49
लक्ष्य समूह अन्तर्गत	1601.45	1800.58	1634.88
कुल वितरण का प्रतिशत	70.40	70.40	68.96
गैर लक्ष्य समूह अन्तर्गत	672.63	756.88	735.95
कुल वितरण का प्रतिशत	29.58	29.60	31.04
अनुसूचित जाति/जनजाति को	342.67	292.93	132.30
अल्पसंख्यकों को	34.40	25.10	18.77
लघु/सीमान्त कृषकों/कृषि मजदूरों को	607.66	755.84	818.04
एकीकृत ग्रामी विकास योजना			
स्वर्ण जग्रास्वरोज योनान्तर्गत	695.29	612.45	134.06
अन्य सरकारी योजनान्तर्गत	47.82	51.68	67.03

उपरोक्त तालिका 8.13 से परिलक्षित हो रहा है कि विगत तीन वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण 1998, 1999 एवं 2000 में क्रमशः 84.27, 81.08 तथा 71.51 प्रतिशत है जो कि निरन्तर घट रहा है जबकि इसी अवधि में गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वितरित किये गये ऋण का प्रतिशत क्रमशः 15.73, 18.92 तथा 28.49 है। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण में कमी तथा गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण में वृद्धि हो रही है। बैंक द्वारा अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगो को ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा विभिन्न योजनाओं के लिए भी ऋण को उपलब्ध कराया जा सकता है।

बैंक द्वारा वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत, एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत तथा विशेष समन्वित योजनान्तर्गत वितरित ऋणों तथा उपलब्धि प्रतिशत को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

तालिका 8.14

विभिन्न योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण तथा उपलब्धि प्रतिशत का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

योजना	वितरित ऋण					
	1997-98		1998-99		1999-2000	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
वार्षिक कार्य						
योजनान्तर्गत	2219.97	1916.45	2498.53	2073.84	2980.16	2370.83
उपलब्धि प्रतिशत		86.00		83.00		79.56
एकीकृत ग्राम विकास						
योजनान्तर्गत	782.33	695.29	754.25	612.45	190.00	134.06
उपलब्धि प्रतिशत		88.87		81.20		70.55
विशेष समन्वित						
योजनान्तर्गत	158.46	47.82	178.45	51.68	172.50	67.03
उपलब्धि प्रतिशत		30.17		28.96		38.86

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत तथा एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। केवल 80 से 90 प्रतिशत के बीच लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जो कि सन्तोषजनक है परन्तु विशेष समन्वित योजनान्तर्गत मात्र 30 से 40 प्रतिशत तक ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका जो कि बैंक के लिए निराशाजनक कहा जा सकता है।

ऋण ब्याज दर संरचना

बैंक द्वारा समय समय पर ऋण ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता रहा है। यह परिवर्तन शाखाओं से प्राप्त सुझावों बैंकिंग प्रतिस्पर्धा तथा जनपद में कार्यरत व्यवसायिक बैंकों की वर्तमान ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है :

तालिका 8.15

ऋण ब्याज दर संरचना में परिवर्तन

क्र. सं.	ऋण की प्रकृति एवं सीमा	ब्याज दर प्रतिशत में			
		22.9.97		1.10.2000	
		कृषि	अन्य	कृषि	अन्य
1	2	3		4	
1.	ऋण सीमा का आकार				
	(1) 25000 रुपये तक	14	14	12.5	12.5
	(2) 25000 से 200000 रुपये तक	15	16	12.5	12.5
	(3) 200000 रुपये से अधिक				
	10 लाख रुपये तक	16	17.5	14.5	16.0
	(4) 10 लाख के ऊपर एवं अन्य				
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	17	18	15.5	16.0
2.	उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय पर ऋण	18	18	16	16
3.	अन्य गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	18	18	17	17
4.	सावधि जमा के विरुद्ध ऋण	देय ब्याज + 2 प्रति.	देय ब्याज + 2 प्रति.	देय ब्याज + 2 प्रति.	देय ब्याज + 2 प्रति.
5.	सावधि जमा के विरुद्ध तृतीय पक्ष को ऋण	16.5	16.5	16	16

उपरोक्त तालिका 8.15 से स्पष्ट है कि कृषि ऋण पर ब्याज दर में रियायत प्रदान की गयी है। 1 अक्टूबर 2000 को ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की कमी कर दी गयी है। अल्प ऋण के लिए ब्याज दर कम रखा गया है जबकि बड़ी मात्रों में ऋण पर ब्याज दर अधिक है।

सर्वेक्षण

जनपद जौनपुर के कुल 21 विकासखण्ड हैं जिसमें प्रतिदर्श आधार पर 4 विकासखण्ड का चुनाव किया गया जो कि सम्पूर्ण जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विकासखण्ड निम्न है :

1. बरसठी
2. धर्मापुर
3. रामनगर
4. बदलापुर

सर्वेक्षण के लिए कुल 240 व्यक्तियों का चयन किया गया। प्रत्येक विकासखण्ड से 60 ऋण प्राप्तकर्ताओं का चयन किया गया है जिसमें यह प्रयास किया गया कि कृषि तथा गैर कृषि दोनों ही प्रकार के ऋणार्थी सम्मिलित हो जाय। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को जो कि 240 व्यक्तियों सं सम्बन्धित है का निम्न तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है:

तालिका 8.16

ऋण प्राप्तकर्ताओं का आय स्तर एवं ऋण की मात्रा

आय स्तर प्रति माह	ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या	ऋण की राशि (हजार में)
0-1000	37	367.34
1000-2000	112	1792.56
2000-3000	71	1775.89
3000 से अधिक	20	360.31
	240	4296.10

स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने वालों में मध्यम आय स्तर वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है। 240 व्यक्ति में से 112

व्यक्ति ऐसे थे जिनका मासिक आय स्तर 1000–2000 रुपये प्रतिमाह था इस प्रकार 46.67 प्रतिशत व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। मात्र 20 (8.33 प्रतिशत) व्यक्ति ऋण प्राप्त किये थे जिनकी आय 3000 रुपये से अधिक है।

गोमती ग्रामीण बैंक ने जनपद में कृषि तथा गैर कृषि दोनों ही क्षेत्रों में ऋण वितरित किया है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त विवरण निम्न है :

तालिका 8.17

कृषि एवं गैर कृषि ऋणों का विवरण

(धनराशि हजार रुपये में)

विकास खण्ड	व्यक्तियों की संख्या	कुल ऋण	कृषि ऋण	गैर कृषि ऋण
धर्मापुर	60	1036.32	473.47	562.85
बरसठी	60	903.67	458.54	445.13
रामनगर	60	1207.43	732.56	474.87
बदलापुर	60	1148.68	743.49	405.19
	240	4296.10	2408.06	1888.04

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धर्मापुर विकासखण्ड को छोड़कर सभी विकासखण्ड में कृषि क्षेत्र में अधिक ऋण प्रदान किया गया है। धर्मापुर विकासखण्ड में गैर कृषि ऋण अधिक है इसका प्रमुख कारण शहर की निकटता है यह जौनपुर शहर के पास का क्षेत्र है। कुल ऋण का 56.05 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 43.95 प्रतिशत गैर कृषि को ऋण वितरित किया गया है।

तालिका 8.18

कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र.सं.	ऋण प्राप्ति के उद्देश्य	ऋण की राशि
1	2	3
1.	जुताई के काम वाले पशु	342.42
2.	दुधारू पशु	224.31
3.	तेल इंजन/पम्पिंगसेट/बिजली मोटर	764.42
4.	अन्य औजार	145.43
5.	बिजली चालित यंत्र	445.32
6.	परिवहन गाड़िया	49.69
7.	खाद, बीज तथा अन्य	436.47
	योग	2408.06

उपरोक्त तालिका 8.18 से स्पष्ट है कि चार विकास खण्डों में गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में चयनित 240 व्यक्तियों को कुल 2408.06 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया जिसमें से सबसे अधिक ऋण इंजन पंपसेट के लिए 764.42 हजार रुपये तथा सबसे कम परिवहन गाड़ियां के लिए 49.69 हजार रुपये वितरित किया गया है। खाद बीज के लिए कुल ऋण का 18.13 प्रतिशत (436.47 हजार रुपये) ही वितरित किया गया है।

तालिका 8.19

गैर कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र.सं.	ऋण प्राप्ति के उद्देश्य	ऋण की राशि
1	2	3
1.	स्थायी सम्पत्ति	764.64
2.	कार्यशील पूंजी	911.43
3.	लेनदारों के भुगतान के लिए	211.97
योग		1888.04

उपरोक्त तालिका 8.19 से स्पष्ट है कि चार विकास खण्डों में चयनित 240 व्यक्तियों में गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा गैर कृषि ऋण सर्वाधिक कार्यशील पूंजी के लिए प्रदान किया गया है जो कि कुल ऋण का 48.26 प्रतिशत है। 40.5 प्रतिशत ऋण स्थायी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए तथा 11.24 प्रतिशत लेनदारों का भुगतान करने के लिए प्रदान किया गया है।

तालिका 8.20

विभिन्न श्रोतो से प्राप्त ऋण

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र.सं.	स्रोत	ऋण की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	गोमती ग्रामीण बैंक	4296.10	57.30
2.	व्यवसायिक बैंक	1454.24	19.40
3.	औद्योगिक बैंक	1034.24	13.79
4.	मित्रों सम्बन्धियों से	3.56	0.05
5.	व्यापारिक उधार	4.21	0.06
6.	सहकारी समिति	115.24	1.54
7.	भूमि विकास बैंक	516.44	6.89
8.	अन्य ऋणदाता (साहूकार)	72.46	0.97
	योग	7496.49	

उपरोक्त तालिका 8.20 से स्पष्ट है कि कुल ऋण का 57.30 प्रतिशत ऋण गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान किया गया है जबकि व्यावसायिक बैंकों द्वारा मात्र 19.40 प्रतिशत ही ऋण उपलब्ध किया गया है। मित्र एवं सम्बन्धियों, व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा एक प्रतिशत से भी कम मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया गया है जो कि ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं रखता है।

अध्याय - 9

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष एवं सुझाव

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सन्दर्भ में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जिन उद्देश्यों के लिए इन बैंकों की स्थापना की गयी थी उसमें सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में लघु कृषकों सीमान्त कृषकों, दस्तकारों एवं भूमिहीन मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर, उनके लिए रोजगार के साधन सुलभ कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उन्मुख किया है।

सामान्यतः निर्धनता की समस्या तो देश व्यापी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह अधिक प्रभावशाली है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या अशिक्षित है। अतः उनमें छोटी-छोटी बचतों को एकत्रित करने तथा उसके समुचित उपयोग करने की प्रेरणा इन्हीं ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गयी। बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओं का समुचित उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और ग्रामीणों को महाजनों के ऋणग्रस्तता के दुश्चक्र से बचाया जा सका। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सुविधा तथा सरकार की नवीनतम नीतियों से भी परिचित हो सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कम लागत अवधारणा के आधार पर की गयी। परन्तु यह देखा गया कि सरकार की यह धारणा पूरी नहीं हुई और ग्रामीण बैंकों को भी अपनी कार्य पद्धति व्यावसायिक बैंकों के समान ही करनी पड़ी। निम्नलिखित से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शाखा विस्तार

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त विहीन क्षेत्रों में स्थापित 3004 शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

गोमती ग्रामीण बैंक जनपद जौनपुर के दूर-दराज गांवों में 84 शाखा विस्तार के साथ ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

जमा संग्रहण

इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी बचत को एकत्रित करके पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अनुमानतः इनमें से 70 प्रतिशत जमा इन बैंकों के अभाव में, किसी भी बैंक को प्राप्त नहीं होता था और यह धन या तो अनुत्पादक कार्य में लगा दिया जाता था या तो बेकार पड़ा रहता था। यह बैंक अपने कमान क्षेत्र से बचत को एकत्रित करके पुनः उसी क्षेत्र में लगा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है जबकि व्यावसायिक तथा अन्य बैंक ग्रामीण क्षेत्र से बचत को एकत्र करके अन्य औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करते हैं।

मार्च 2000 तक उत्तर प्रदेश में कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा 84296.29 लाख रुपये थी जिनमें से 78.56 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित थी। अध्याय 5, 6 और 8 से परिलक्षित है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन बैंकों ने ग्रामीण समाज से जमा संग्रह करने का गहन प्रयास किया है।

ऋण वितरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूर-दराज के वित्त विहीन ग्रामीण अंचलों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाकर ग्रामीण समाज को उचित मात्रा एवं उचित समय पर कृषि, कृषि आधारित उद्योगों, भूमिहीन मजदूरों, लघु एवं कुटीर उद्योगों और परिवहन हेतु ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इन्होंने अपने सम्पूर्ण ऋण का लगभग 73 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वितरित किया है। 1999-2000 में उत्तर प्रदेश में 254164.82 लाख रुपये ऋण वितरित किया गया जिसमें से 74.35 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है।

जनपद जौनपुर में 1999-2000 में कुल 9193.12 लाख रुपये गोमती ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण वितरित किया गया जिसमें से 79.31 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है।

ऋण जमा अनुपात

इन उपलब्धियों के बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक सफल नहीं हुए हैं स्थापना के प्रारम्भ के पांच वर्षों में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि होती रही और दिसम्बर 1980 में यह सम्पूर्ण भारत का 22 प्रतिशत हो गया लेकिन उसके पश्चात इसमें निरन्तर कमी होती गयी और वर्तमान में यह मात्र 41 प्रतिशत रह गया जबकि उत्तर प्रदेश में इससे भी कम 30.15 प्रतिशत ही है। जो कि सन्तोषजनक नहीं है। जनपद जौनपुर में गोमती ग्रामीण बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च 1998 में 34.74 था जो कि मार्च 2000 में घटकर 30.11 प्रतिशत हो गया है।

आर्थिक स्थिति

अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब है और वे भारी घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल होंगे। घाटे की राशि में निरन्तर वृद्धि का कारण उनके द्वारा जो ऋण दिये जाते हैं उनकी वापसी नहीं होना है। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास नये ऋण देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं रहता। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लक्ष्य से गठित ये बैंक खुद सरकार पर एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गये हैं।

परिकल्पना की अभिपुष्टि

इस प्रकार विभिन्न अध्याओं के समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने साहूकारों, सहकारी बैंक तथा अन्य व्यावसायिक बैंकों की कमियों को दूर किया है। ये बैंक ग्रामीण बचतों को गतिशील बनाने में भी सहायक हुए हैं तथा निष्क्रीय पूंजी को वित्तविहीन क्षेत्रों में विनियोग करने में सहायता प्रदान की है तथा स्वतः रोजगार के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्याएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास में अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहा है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर व्यावसायिक बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों पर लिये जाने वाली

2. कृषि विस्तार ऐजेंसियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में तालमेल का अभाव पाया जाता है।
3. भारतीय किसान गरीब व ऋणग्रस्त होने के कारण समय पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं जिससे ग्रामीण बैंकों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में अन्य व्यापारिक बैंक भी अपनी शाखाएं खोल रहे हैं जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतियोगिता करनी पड़ रही है।
5. भोली-भाली एवं अशिक्षित ग्रामीण जनता और बैंक के बीच अनेक विचौलिए हैं जो कि दलाली लेकर ऋण दिलाने का कार्य करते हैं।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए नाबार्ड की पुर्नवित्त सुविधा की नीति भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा उन्हें लागू करने के लिए ऋण वितरण की प्रतिवद्धता के कारण ग्रामीण बैंकों की ऋण वसूली शून्य होती जा रही है।
7. ऋण वसूली कार्यक्रम राजनीति से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं निदेशक मण्डल द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के अनुरूप कोई उपयोगी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
8. इन ग्रामीण बैंकों में प्रायः ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे तथा उन्हें ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता है।

9. इन बैंकों की सबसे बड़ी समस्या आधार भूत ढाँचे की समस्या है। इन ग्रामीण बैंकों को ऐसे जगह अपनी शाखाएं खोलनी पड़ती है जहां यातायात, डाकतार तथा भवन जैसी सुविधाएं नहीं होती।
10. प्रायः ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन उद्देश्यों से ऋण दिये जाते हैं ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा उनका प्रयोग उसी के लिए न करके अन्यत्र किया जाता है।
11. ग्रामीण बैंकों की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जटिल है। इसमें अनेक प्रकार की कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। जिससे ग्रामीण जनता ऋण लेने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं।
12. कभी-कभी ऋण मिलने में इतना विलम्ब हो जाता है कि वह कार्य करना सम्भव ही नहीं रह जाता जिसके लिए ऋण प्राप्त किया जाता है।
13. ग्रामीण बैंक का कार्यभार उनके कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ गया है। कई ग्रामीण बैंक शाखाओं में तो स्थिति की दयनीयता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें केवल एक ही कर्मचारी है तथा सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
14. प्रारम्भ में इन बैंकों के संचालन के लिए प्रतिनियुक्त प्रवर्तक बैंकों के अनुभव हीन अधिकारियों तथा ग्रामीण बैंकों के अल्प प्रशिक्षित अधीनस्थों द्वारा कोष प्रबन्धन की खामियों के कारण इन्हें कोष का उचित लाभ नहीं मिल पाया।
15. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा उनकी शाखाओं के बेलगाम विस्तार के कारण, ऋणों के आवेदन पत्रों की जांच, ऋणों की स्वीकृत एवं भुगतान, ऋणों के भुगतान के पश्चात की कार्यवाही निगरानी

तथा ऋण की वापसी आदि के मामलों में बैंकों की कार्यक्षमता के स्तर में भारी गिरावट आयी हैं।

सुझाव

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। परन्तु यदि निम्न कारणों के प्रति संवेदनशील हो तो आर्थिक विकास को और गति प्रदान की जा सकती है जिसका प्रभाव जनपद जौनपुर के विकास पर भी होगा। इस दिशा में प्रयास प्रारम्भ करने हेतु निम्न सुझाव हैं :

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबंध व संचालन प्रशिक्षित, निष्ठावान व वचनबद्ध व्यक्तियों द्वारा होनी चाहिए, जिससे संस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके।
2. ग्रामीण बैंकों को भी व्यावसायिक बैंकों की तरह सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय में शामिल होने की छूट होनी चाहिए।
3. ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयों को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीणों की साहूकारों पर निर्भरता समाप्त हो सके।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण को ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। जिससे ग्रामीणों को दलालों से मुक्ति मिल सके।
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।
6. इन ग्रामीण बैंकों को अपनी लागत घटाकर एवं कार्यकुशलता बढ़ाकर हानियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि इनकी जीवन क्षमता बनी रह सके।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लाभार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना चाहिए एवं समय समय पर उनकी समस्याओं का निदान करते रहना चाहिए जिससे कि बाद में ऋण अदायगी में कोई असुविधा न हो।
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को चाहिए कि जहां वे काम कर रहे हैं वहां पर अधिक से अधिक बचतों को अपनी ओर आकर्षित करे और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुरस्कार आदि प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था करें।
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा छोटे किसानों को ऋण देते समय, जमानत देने में अधिक जोर नहीं दिया जाए बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाए की कृषकों की ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।
10. ग्रामीण बैंकों की शाखा विस्तार कुछ ही क्षेत्रों/प्रान्तों में केन्द्रित न करके सम्पूर्ण देश में किया जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को कम किया जा सके।
11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण सम्बन्धी नीति के सही निर्धारण एवं संचालन में अन्य वित्तीय अभिकरणों से जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत है समन्वय रखना चाहिए।
12. ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसंगतियों, सुविधाओं एवं प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याओं का निदान करना चाहिए जिससे कि वे सही दिशा में कार्य करे एवं जनता में ग्रामीण बैंक की प्रतिष्ठा को बनाये रख सके।

13. वित्तीय समस्या के सम्बन्ध में ग्रामीण बैंकों को, रिजर्व बैंक तथा अन्य प्रायोजक बैंकों से रियायती दरों पर आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
14. ऋणों की वसूली की समस्या के निदान हेतु ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही दिये जाये और ऋणों के प्रयोग व वापसी पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए।
15. ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दरे कम होनी चाहिए और किसानों के विभिन्न वर्गों के ऋण के लिए ब्याज की अलग-अलग दरें निर्धारित होनी चाहिए।
16. छोटे व सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए अनुत्पादक ऋण भी आवश्यक है। इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार ऋण सुविधाएं ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को बन्धुआ मजदूर बनने से रोका जा सके।
17. कृषकों, कृषि श्रमिकों, सीमान्त कृषकों एवं दस्तकारों आदि से ग्रामीण बैंकों को सतत् सम्पर्क बनाये रखना चाहिए जिससे कि उन पर एक दबाव बना रहे कि उन्हें ग्रामीण बैंकों के ऋण वापसी भी करना है।

नीतिगत उपाय

केन्द्रीय बैंक द्वारा ग्रामीण विकास के लिए निम्न बैंकिंग नीतियाँ लागू की गयी है¹ :

1. ऋण आवेदन फार्मों, करारों/दस्तावेजों आदि के सम्बन्ध में कार्य प्रणाली को सरल बनाना।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऋण प्राप्तकर्ता का स्वीकृत पूर्व मूल्यांकन, ऋण प्राप्तकर्ता के आय स्रोत, प्रस्तावित गतिविधि को अंजाम देने की उसकी क्षमता, ईमानदारी आदि और प्रस्ताव के तकनीकी व्यवहार्यता आदि पर केन्द्रित होना चाहिए।
3. त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, कम से कम 90 प्रतिशत ऋण आवेदनों का शाखा स्तर पर निपटान किया जाना चाहिए।
4. सभी ऋण लेने वाले परिवारों के लिए सम्मिश्रण नकदी ऋण सीमा का आरंभ किया जाना चाहिए।
5. बचत संघटक के साथ नए ऋण उत्पाद का आरंभ किया जाना चाहिए।
6. ऋण का नगद संवितरण किया जाना चाहिए।
7. जरूरी आवश्यकता के रूप में अदेय प्रमाणपत्रों से छूट। अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त करना अब बैंकर के विशेषाधिकार पर छोड़ दिया गया है।
8. 10,000 रु. से अधिक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन प्रतिभूमि आवश्यकताओं से सम्बन्धित मामलों पर बैंकों को विवेकाधिकार प्रयोग करना चाहिए।
9. कृषि ऋण का लक्ष्य "विशेष कृषि ऋण योजनाओं" (एस.ए.सी. पी.) को तैयार करने के जरिए ऋण के प्रवाह पर आधारित होना चाहिए, जिसका उद्देश्य प्रवाह को तीव्र करना तथा ऋण अदायगी की गणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो।

10. ग्रामीण शाखाओं के नियुक्त बैंक अधिकारियों के संबंध में मानव संसाधन विकास सम्बन्धी अनेक मामलों का निराकरण करना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनना और बने रहना दुर्जेय कार्य है। समर्पण, पूर्ण गंभीरता, समस्याओं के समाधान के प्रयास के बिना यह सम्भव नहीं है। भारत में नियोजित ग्रामीण विकास नीति अपनाये जाने के कारण इनके विकास व विस्तार का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों के लिए इन बैंकों की स्थापना की गयी है, एवं जिन तरीकों व प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, वह उचित होते हुए भी उचित क्रियान्वयन के अभाव में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत व निष्पक्ष बनाया जाये और साथ ही ग्रामीण जनता की मानसिकता में परिवर्तन किया जाये तो सम्भव है कि ये बैंक ग्रामीण इलाकों का नक्शा ही बदल दे और भारतीय ग्राम व ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जायें।

इस समय सारी दुनिया जबरदस्त आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नयी नीतियां और कार्यक्रम बनाये तथा चलाये जा रहे हैं। आर्थिक पुनर्गठन के इस दौर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने काम काज के तौर तरीकों में परिवर्तन करना होगा। उन्हें आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद संस्थाओं के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण साख प्रणाली में सुधार के लिए पहल की है। अतः आशा करनी चाहिए कि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान स्थिति में बदलाव आयेगा और ये ग्रामीण विकास में बेहतर योगदान दे सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

लेखक	पुस्तक
कृपा शंकर	“उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास” आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, इलाहाबाद
डॉ. चतुर्भुज ममोरिया एव एस. सी. जैन	भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा
डॉ. जगदीश नारायण मिश्रा	“भारतीय अर्थव्यवस्था” किताब महल, इलाहाबाद
डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल	“कृषितर ग्रामीण ऋण और बैंको की भूमिका” हिमालय प्रकाशन पब्लिक हाऊस, मुम्बई
डी. काक एम.एच.	केन्द्रीय बैंकिंग, हिमालय प्रकाशन, बम्बई
बी.एस. माथुर	“भारत में सहकारिता” साहित्य भवन, आगरा
एच.सी. शर्मा	“बैंको का विकास” साहित्य भवन, आगरा
एच.सी. शर्मा	“भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण” साहित्य भवन, आगरा
एच.सी. शर्मा	“मुद्रा, बैंकिंग और राजस्व” साहित्य भवन, आगरा
एम.एल. गुप्ता	“समाजशास्त्र” साहित्य भवन, आगरा
एम.के. राय	केन्द्रीय सहकारी बैंकों का प्रबन्ध, साहित्य भवन, आगरा

डॉ. एम.यल. गुप्ता एवं	“उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन आजतक”
डॉ. अनुपम अग्रवाल	फरवरी 2000“ साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
एन.सी. जोशी	“भारत में बैंकिंग” साहित्य भवन, आगरा
डॉ. एस.ए. अन्सारी	“स्नातकों के लिए अधिकोषण तथा बीमा” डॉ. एस.ए. अन्सारी, टी.एन. भार्गव एण्ड संस, कटरा, इलाहाबाद
यू.के. वाजपेयी	“ग्रामीण अर्थशास्त्र” साहित्य भवन, लखनऊ
रुद्र प्रकाश एवं सुन्दरम	“भारतीय अर्थशास्त्र”, एस. चान, दिल्ली
श्याम लाल गौड़	“विकासमान बैंकिंग और ग्रामीण विकास” हिमालय प्रकाशन, बम्बई
श्याम कृष्ण पाण्डेय	“क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ
कुसुम लता शर्मा	“गढ़वाल मण्डल में ग्रामीण वित्त का आलोचनात्मक अध्ययन” – अप्रकाशित शोध ग्रन्थ
नरेन्द्र कुमार जैन	“भारतीय आर्थिक सीमक्षा”, मोरी गेट, दिल्ली “भारत 2000” प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार उत्तर प्रदेश 1999, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

- A. H. Elias "Operational Problems of Rural Banking", Vora & Co. Publishers, Bombay
- A.B. Kal Kundrikar RRB & Economic Development
- A.F.W. Plumper "Central Banking in the British Divisions"
- A.G.N. Reddy "Rural Dynamics Development" Chugh Publication, Allahabad
- A.P. Srivastava Role of Financial Institution in Economic Development - Unpublished Thesis.
- Ansari Mohd. Salman Working of the Regional Rural banks in Eastern Uttar Pradesh - Unpublished Thesis.
- B.P. Agrawal "Commercial Banking in India after Nationalisation", Classical Publishing Compnay, New Delhi
- B.N. Chaubey "Principles and Practices of Cooperative Banking in India", Asia Publishing House
- B.M.L. Nigam "Banking Law and Practice", Vani Educational Books, Ghaziabad

- B.M.L. Nigam "Financial Analysis Techniques for Banking Division", Somaiya Publication Ltd., Bombay
- B.M.L. Nigam "Banking and Economic Growth" Vora & Company, Bombay 1967
- D.M. Nithanji "Our Modern Banking and Monetary System" Bombay
- G. Rollin, Thomas "A History of Savings Banks", Oxford University Press, London Take on Page no. 104
- H.S. Shylendra Institutional Reforms and Rural Poor : A case of Regional Rural Banks.
- L.C. Jain "Indigenous Banking in India" Macillan, London
- L. Swaroop Resource Mobilisation of Economic Development in Uttar Pradesh - Unpublished, Thesis
- M.C. bhandari Report of the Committee on Restructuring of RRBs (Summary of Report)
- M.R. Vyas Evaluation and Management of RRBs.

- N.D. Kamble "Poverty within Poverty", Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi
- N. Prabhu Singh "Role of Development Banks in Planned Economy", Vikas Publishing House Ltd., Delhi.
- N.K. Thingalaya "On Bankers and Economists" macmillan India Ltd., New Delhi
- O.R. Krishnaswamy "Fundamentals of Cooperation", New Delhi
- O.P. Mathur "Public Sector Banks in India's Economy" Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi
- P.B. Trescott "Money Banking and Economic Welfare"
- P.N. Mehrotra Role of Financial Institutions in Economic Development. - Unpublished Thesis.
- R.K. Panda "Agricultural Indebtedness and Institutional Finance" Chugh Publications, Allahabad
- R.K. Pany "Institutional Credit of Agriculture in India" Chugh Publications, Allahabad

- R.S. Sayers "Lloyds bank in the History of Monetary System"
- S.C. Anand Hand books on Regional Rural Banks. Allied Publishers Private Ltd., New Delhi
- S.K. Datta Service Conditions and Discipline code in RRBs.
- S.S.M. Desai "Rural banking in India" Himalaya Publishing House, Bombay
- S.L.M. Sinha "Retorms of the India Banking System" Orient Longman Ltd., Madras, Take on Page no. 105 .
- Varde S.D. "Management Studies in Banks", National Institute of Bank Management, Bombay
- V. Dutt. "Banks Nation Lisation in Perspective" Publications Division GOI, New Delhi.

प्रतिवेदन एवं गजेटियर

गोमती ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

जिला सहकारी बैंक जौनपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

बैंकिंग जाँच समिति 1950 का प्रतिवेदन

बैंकिंग समिति 1972 का प्रतिवेदन

सांख्यिकीय डायरी भारत सरकार

अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ

बैंकिंग सांख्यिकीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सांख्यिकीय नाबार्ड

रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

रिजर्व ऑफ इण्डिया बुलेटिन

Uttar Pradesh District Gadgetters - Jaunpur, 1986. Published by the
Government of Unttar Pradesh.

Surrey of India Agriculture Hindu, 1999

Economic Surrey, 1999

Draft Ninth Five Yers Plan (1997-2002) Vol.-I & II.

Statistical out line of India Tata Economic Service 1998-1999.

पत्र एवं पत्रिका

योजना

कुरुक्षेत्र

जनसत्ता

Business India

Commerce

The Bankers

Economic Times

Hindustan Times

Financial Express

हस्तलिखित पुस्तक

सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर 1998-99, 1999, 2000 कार्यालय
अर्थ एवं सांख्याधिकारी अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर
प्रदेश ।

जौनपुर जिला वार्षिक योजना 1998-99, 1999-2000

अधिनियम

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

उत्तर प्रदेश कृषि साख अधिनियम, 1973

शोध प्रश्नावली

(कृषि ऋण)

विषय : “उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान—विशेष संदर्भ गोमती ग्रामीण बैंक जनपद – जौनपुर।”

नोट : आपके द्वारा प्रदत्त सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जायेगी और उनका प्रयोग केवल शोध कार्य के लिए ही किया जायेगा।

1. नाम :
2. जन्म—तिथि :
3. पिता/पति का नाम :
4. विकास खण्ड का नाम :
5. पता (क) स्थायी —
.....
स्थानीय —
.....
6. (क) जाति :
(ख) वर्ग : (अ) सामान्य जाति (ब) पिछड़ी जाति
(स) अनुसूचित जाति (द) अनुसूचित जनजाति
7. परिवार के मुखिया का नाम:
8. मासिक आय :
9. परिवार के सदस्यों की संख्या :
(अ) वयस्क
(ब) अवयस्क
(स) कुल

10. मुख्य व्यवसाय :
11. जोत का विवरण :
 - (अ) स्वामित्व की भूमि –
 - (ब) पट्टे अथवा किरायेदारी की भूमि –
 - (स) बटाई की भूमि –
12. कृषि में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या :
13. कृषि में लगी पूंजी :
 - (अ) स्वामी पूंजी :
 - (ब) ऋण पूंजी :
14. ऋण पूंजी प्राप्ति के स्रोत :

स्रोत	मात्रा	ब्याज की दर	वापसी अवधि	वापसी किस्त
1. सहकारी समिति				
2. भूमि विकास बैंक				
3. गोमती ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक)				
4. अन्य व्यवसायिक बैंक				
5. अन्य ऋणदाता (साहूकार)				

15. ऋण प्राप्ति के उद्देश्य : अनुमानित मूल्य
 - (अ) जुताई के काम वाले पशु –
 - (ब) दुधारू पशु –
 - (स) तेल/इंजन/पम्पिंगसेट/बिजली मोटर –
 - (द) अन्य औजार –
 - (य) बिजली चालित यंत्र –
 - (र) परिवहन गाड़ियां –
 - (ल) अन्य –

16. ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ –

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

17. ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों को दूर करने के उपाय –

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

18. क्या गोमती ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) ने ग्रामों विकास में

योगदान दिया है –

(अ) विचार –

(ब) सुझाव –

शोध प्रश्नावली

(गैर कृषि ऋण)

विषय : “उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का योगदान—विशेष संदर्भ गोमती ग्रामीण बैंक जनपद – जौनपुर।”

नोट : आपके द्वारा प्रदत्त सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जायेगी और उनका प्रयोग केवल शोध कार्य के लिए ही किया जायेगा।

1. नाम :

2. जन्म—तिथि :

3. पिता/पति का नाम :

4. विकास खण्ड का नाम :

5. पता (क) स्थायी —

स्थानीय —

6. (क) जाति :

(ख) वर्ग : (अ) सामान्य जाति

(ब) पिछड़ी जाति

(स) अनुसूचित जाति

(द) अनुसूचित जनजाति

7. परिवार के मुखिया का नाम:

8. मासिक आय :

9. परिवार के सदस्यों की संख्या :

(अ) वयस्क

(ब) अवयस्क

(स) कुल

10. मुख्य व्यवसाय :

11. व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्या :

(अ) शिक्षित —

(ब) अशिक्षित —

(स) प्रशिक्षित —

(द) योग —

12. व्यावसाय प्रारम्भ करने की तिथि :

13. व्यवसाय में लगी पूंजी —

(अ) स्वामित्व पूंजी :

(ब) ऋण पूंजी :

14. ऋण प्राप्ति के स्रोत :

स्रोत	मात्रा	ब्याज की दर	वापसी अवधि	वापसी किस्त
1. गोमती ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक)				
2. अन्य व्यवसायिक बैंक				
3. औद्योगिक बैंक				
4. मित्रों सम्बन्धियों से				
5. व्यापारिक उधार				
5. अन्य देनदारियां				

15. ऋण प्राप्ति के उद्देश्य :

(अ) स्थायी सम्पत्ति -

(ब) कार्यशील सम्पत्ति -

(स) लेनदारों के भुगतान के लिए -

16. ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों -

1.

2.

3.

4.

17. ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों को दूर करने के उपाय -

1.

2.

3.

4.

18. क्या गोमती ग्रामीण बैंक ने औद्योगिक विकास में योगदान दिया है -

(अ) विचार -

(ब) सुझाव -

The University Library
ALLAHABAD

C

Accession No. 563738

Call No. 3774-10

Presented by 4243